3.6

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा

राष्ट्रीय फोकस समूह

का

आधार पत्र

3.6

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा

राष्ट्रीय फोकस समूह

का

आधार पत्र

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-5007-048-2

प्रथम संस्करण
जून 2010 ज्येष्ठ 1932

PD 3T NSY

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2010

रु 00.00

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन सी ई आर टी के प्रकाशन विभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
होस्डेकेरे हेली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग : *नीरजा शुक्ला*
मुख्य उत्पादन अधिकारी : *शिव कुमार*
मुख्य संपादक : *श्वेता उप्पल*
मुख्य व्यापार प्रबंधक : *गौतम गांगुली*
संपादक : *नरेश यादव*
उत्पादन अधिकारी : *अरुण चितकारा*

सज्जा एवं आवरण

श्वेता राव

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा विजय कंप्यूटर, 1-ई, पॉकेट I, मयूर विहार, फेस-I, दिल्ली 110 091 द्वारा टाइपसेट होकर बंगाल ऑफसैट वर्क्स, 335, खजूर रोड, करोलबाग, नयी दिल्ली 110 005 द्वारा मुद्रित।

उद्देशिका

प्रारंभिक बाल्यवस्था शिक्षा पर बने फोकस समूह के सदस्य इस बात के लिए स्पष्ट रूप से सहमत थे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन – ई.सी.ई.) की बजाय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन – ई.सी.सी.ई.) पर राष्ट्रीय फोकस समूह नाम रखा जाए। फोकस ग्रुप के काम के संदर्भ में ई. सी. ई. के स्थान पर ई.सी.सी.ई. के प्रयोग की तर्कसंगतता निम्न कारणों पर नजर डालकर समझी जा सकती है:

प्रारंभिक बाल्यावस्था गर्भधारण से लेकर आठ साल की उम्र तक होती है। विकासात्मक मनोविज्ञान के सैद्धांतिक ढाँचे और सीखने संबंधी सिद्धांतों के अनुसार यह समय बच्चे के विकास का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है और उसके सही विकास के अनुरूप परिस्थितियाँ भी मुहैया कराता है। इस अवधि को 6 से 8 साल की अवस्था तक बढ़ाने का एक कारण पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के बीच संक्रमण अवधि को सरल बनाना है। यह एक ढांचागत और औपचारिक रूप से सीखने की व्यवस्था है जिसके लिए प्रभावी अंतरफलक (Interface) की ज़रूरत है । 'परिचर्या' 'देखभाल' इस बात की ओर इंगित करती है कि बच्चों को देखभाल और पालन-पोषण की सख्त ज़रूरत होती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य और पोषणगत ज़रूरतों के अलावा मनो-सामाजिक और भावात्मक ज़रूरतें भी पर्याप्त रूप से पूरी होनी ज़रूरी हैं । शिक्षा शब्द सीखने – जानकारी ग्रहण करने की प्रक्रिया, कौशल, आदतें और व्यवहार इत्यादि को अपने में समाहित करता है। यह बच्चों को शिक्षा की औपचारिक धारा में प्रवेश करने के लिए तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर भी संकेत करता है।

इसीलिए ई. सी. सी. ई. शब्दावली आठ साल तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अवसर और अनुभव मुहैया कराने के दर्शन को प्रस्तुत करती है। साथ ही परिवारों और समुदायों की ऐसी सेवाएँ और सहयोग प्रणाली का बंदोबस्त करना भी इसमें शामिल है जो उनके बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करे। फिर भी सुविधा, प्रोग्रामिंग/कार्यक्रम के उद्देश्य और सांस्थानिक स्थिति को देखते हुए इसे तीन उप-अवस्थाओं में विभाजित किया गया है : जन्म से 2+, 3 से 5+ और 6 से 8+ । प्रत्येक उप-अवस्था को विभिन्न सांस्थानिक व्यवस्थाओं में रखा जा सकता है।

1. **खंड-1** मानव विकास के लिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर बल देता है और इसके लिए हाल ही में किए गए अनुसंधानों से जुटाए गए तथ्य यहाँ बतौर सबूत प्रस्तुत करता है। यह खंड भारत को वैश्विक-संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में रखता है और सर्वाधिक प्रभावी ई. सी. डी. (प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास) कार्यक्रमों की प्रकृति को भी परिभाषित करता है।
2. **खंड-2** भारत में ई. सी. सी. ई. के स्थितिपरक विश्लेषण को प्रस्तुत करता है जिसमें भारत में इसके उद्‌भव के इतिहास से मौजूदा स्थिति को तो बताया गया है साथ ही इसके नीतिगत ढाँचे की पहुँच और व्याप्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा विभिन्न मॉडलों, परिमाणात्मक तसवीरों एवं कमियों और मौजूदा परिदृश्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन पेश किया गया है।
3. **खंड-3** में स्थिति की गुणात्मक तसवीर पर आधारित मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं एवं व्यवस्थाओं के संदर्भ में आपस में जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की विश्लेषणात्मक समीक्षा का प्रयास किया गया है । सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण ई. सी. सी. ई. एवं भाषायी मुद्दों को हल करने के लिए नीति और कार्यक्रम संबंधी क्रियान्वयन का उल्लेख है।
4. **खंड-4** आगे बढ़ने के लिए अपेक्षित मूलभूत नीतिगत परिवर्तनों पर सूक्ष्म दृष्टि डालता है तथा प्रत्येक मामले में की जाने वाली कार्यवाही को परिभाषित करता है। किसी मसौदे के लिए ऐसी रूपरेखा के अभाव में नीतिगत विवरण कागजों पर केवल एक और वायदा मात्र ही बनकर रह जाएगा।
5. इस बात को मानते हुए कि ऐसे बड़े कदमों के लिए प्रतिबद्धता के अभाव में पाठ्यचर्या संबंधी रूपरेखा उचित रूप से कार्यान्वित नहीं की जा सकती है, बाल विकास के सिद्धांतों पर आधारित नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए दिशा-निर्देश **पाँचवें खंड** में दिए गए हैं।

सार-संक्षेप

अनुभाग 1. प्रारंभिक बाल्यावस्था पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य
अनुभाग 2. भारतीय संदर्भ : स्थितिपरक विश्लेषण और मौजूदा परिदृश्य
अनुभाग 3. महत्वपूर्ण मुद्दे, सामाजिक वास्तविकताएँ और नीतिगत निहितार्थ
अनुभाग 4. आगे बढ़ते कदम : बदलते हुए नीतिगत प्रतिमान
अनुभाग 5. पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए दिशानिर्देश

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य

यह बात विश्व स्तर पर मान्य है कि बच्चे के जीवन के पहले 6 से 8 वर्ष उसके जीवन भर के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास की गति बहुत तेज होती है। विशेषत: मस्तिष्क से संबंधित तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में हाल ही में हुए शोध में, इस बात के पुख्ता तथ्य पेश किए गए हैं कि इन शुरुआती वर्षों के दौरान मस्तिष्क में अंतर्ग्रथनी संधि निर्माण (Forming of synaptic connection in the brain) और दिमाग की क्षमता का संपूर्ण विकास संबंधित नाजुक दौर आते हैं। शोध में इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि अगर इन शुरुआती वर्षों में बच्चों को प्रेरक, समृद्ध भौतिक और मनो-सामाजिक माहौल नहीं मिलता है तो बच्चे के मस्तिष्क की क्षमताओं के संपूर्ण विकास की संभावना काफी कम हो जाती है जिसकी भरपायी बाद में नहीं की जा सकती। यह अवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही उन समाजिक मूल्यों और निजी आदतों के विकास की नींव है जो बच्चों के भावी जीवन का स्थायी आधार होते हैं। उम्र के इस प्रारंभिक दौर में हर बच्चे के लिए उपयुक्त माहौल मुहैया कराने के लिए निवेश करना अत्यधिक महत्त्व रखता है क्योंकि यही भावी जीवन की नींव है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन - ई.सी.सी.ई.) न केवल प्रत्येक बच्चे का अधिकार है बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्र को उपलब्ध होने वाली जनसंसाधन रूपी पूंजी की गुणवत्ता पर भी इसका असर देखा जा सकता है और यही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) के महत्त्व का तर्कसंगत आधार है।

पिछले कुछ दशकों में हुई वैश्विक घटनाएँ और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय बदलावों से उत्पन्न ज़रूरतों ने भी भारत में ई.सी.सी.ई. को प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र शताब्दी घोषणा में विकास संबंधी आठ शताब्दी लक्ष्यों (Milleneum Development Goals एम. डी. जी.) में से पाँच लक्ष्य बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से जुड़े हैं। अन्य विकासशील देशों की तुलना में एम.डी.जी. की दिशा में हमारे निराशाजनक प्रदर्शन ने इस बात की ओर इशारा किया है कि भारत लंबे समय से अपने बच्चों को नज़रअंदाज़ करता आ रहा है।

विश्व भर में किए गए अनुसंधानों ने दर्शाया है कि प्रभाव में वृद्धि करने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों की योजना और प्रावधान में बाल विकास के तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है :

(अ) बच्चे की विकास प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, यह एक क्रमिक और अग्रगामी प्रक्रिया है जिसमें जो पहले होता है वह बाद वाले को प्रभावित करता है इसीलिए पूरे बचपन पर विचार करते समय हमें प्रसव पूर्व से लेकर आरंभिक स्तर तक की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए।

(ब) स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा/मनोवैज्ञानिक विकास, ये सभी सहक्रियात्मक रूप से परस्पर संबंधित हैं, जो एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चे की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वातावरण बनाते हैं; तथा

(स) अगर कार्यक्रम बच्चे का ध्यान रखने के साथ-साथ उसके समग्र परिवेश के संदर्भ में उसका ध्यान रखेगा तो बच्चे का विकास अधिकाधिक होगा।

2. भारतीय संदर्भ : स्थितिपरक विश्लेषण और मौजूदा परिदृश्य

मौजूदा परिदृश्य के स्थितिपरक विश्लेषण के अंतर्गत संवैधानिक उपबंधों, नीतियों और पूर्व के वर्षों में बाल विकास से संबंधित कानूनी उपबंधों, आयोजन प्रक्रिया की उत्पत्ति, विभिन्न कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों तथा विभिन्न मंत्रालयों के उत्तरदायित्वों और मौजूदा स्थिति का गुणात्मक मूल्यांकन शामिल है। अंतिम आलोचनात्मक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि 0-6 आयु वर्ग के केवल 22 फीसदी बच्चों तक ही सार्वजनिक क्षेत्र की पहुँच है । निजी क्षेत्र के बारे में कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अनुमान लगाया गया है कि वे भी सार्वजनिक क्षेत्र की तरह ही होंगे। छोटे स्तर पर कार्यरत गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र (एन.जी.ओ.) जो विविध प्रकार के मॉडल उपलब्ध कराते हैं, के बारे में भी सटीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सन् 2002 को 86वें संविधान संशोधान को, जो प्रभावी रूप से राज्य को 6 वर्ष से कम के बच्चों की देखभाल और शिक्षा मुहैया कराने के दायित्व से मुक्त करता है, एक नकारात्मक विकास माना जाता है।

रिपोर्ट के आधार पर इस विषम परिस्थिति का प्रमुख कारण विखंडित दृष्टिकोण तथा विभाजित उत्तरदायित्व है। निष्कर्ष यह है कि ई. सी. सी. ई. को दृढ़ता से ई. एफ. ए. और यू. ई. ई. के ढाँचे के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और तीन वर्ष से ऊपर के बच्चों के सभी कार्यक्रमों की ज़िम्मेदारी एवं एक जवाबदेही डी.ई.ई. के पास होनी चाहिए। जबकि 3 वर्ष से नीचे के बच्चों के कार्यक्रमों की ज़िम्मेदारी डी.डब्ल्यू.सी.डी. की होनी चाहिए।

3. महत्वपूर्ण मुद्दे, सामाजिक वास्तविकताएँ और नीतिगत निहितार्थ

रिपोर्ट में महत्वपूर्ण मुद्दों एवं सामाजिक वास्तविकताओं का विश्लेषण पेश करने के साथ-साथ नीतिगत निहितार्थ कार्यरत शहरी की ओर इशारा किया गया है। रिर्पोट यह तर्क देती है कि अधिकांश समस्याएँ ई. सी. सी. ई. को अभी तक शैक्षणिक मुख्यधारा में पहचान न दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई हैं। यह रिपोर्ट इन बहुल सामाजिक विभाजानों जो जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को प्राप्त ई. सी. सी. ई. की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं तथा उन समाजिक समूहों जिनके साथ भेदभाव किया जाता है और सेवाओं के ध्रुवीकरण की ओर भी ध्यान दिलाती है। गरीब ग्रामीण और कार्यरत शहरी महिलाओं के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्रेच एवं डे-केयर की असफलता के लिए गहरे जेंडर भेदभाव तथा समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक मूल्यों को ज़िम्मेदार माना जा सकता है, इस उपेक्षा का प्रतिकूल प्रभाव बालिका की शिक्षा पर भी पड़ता है।

रिपोर्ट में सार्वजनिक, निजी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को संबोधित करने तथा इन्हें नियमित करने की रणनीति पर भी विमर्श किया गया है। एक गुणात्मक समीक्षा से सार्वजनिक क्षेत्र में कमोबेश निम्न गुणवत्ता वाली सुविधाओं के होने का पता चलता है, साथ ही निजी क्षेत्रों में व्यापक अंतर भी महसूस होता है, जहाँ ऐसी नुकसानदायक एवं अवांछनीय प्रक्रियाएँ भी बड़ी मात्रा में विद्यमान समूची प्रणाली पर एक हानिकारक प्रभाव छोड़ती हैं। यह दर्शाता है कि गैर-सरकारी संगठनों में उत्कृष्टता के कुछ उदाहरण भी हैं, परंतु ये सीमित ही हैं।

सभी के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मुद्दे तथा मानदंडों एवं मानकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता के पाँच प्रमुख आयामों के आधार पर एक रूपरेखा तैयार की गई है। इन आयामों में–उपयुक्त पाठ्यचर्या, प्रशिक्षित, स्वप्रेरित एवं उचित रूप से पुरस्कृत शिक्षक, उचित शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात और समूह आकार, एक निरीक्षण तंत्र और बालकोन्मुख संरचना शामिल है।

इसके बाद प्रेरणा और समर्थन द्वारा नियमन अभिभावक, परिवार एवं समुदाय सशक्तीकरण के मुद्दों पर विचार किया गया। शिक्षकों के निम्न दर्जे एवं कम वेतन, मौजूदा प्रशिक्षण की असंतोषजनक स्थिति, मान्यता और प्रमाणन का अभाव तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों के एक बड़े समूह की ज्वलंत समस्याओं के हल की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

रिपोर्ट में एक स्तरीय कार्यबल तैयार करने के लिए आवश्यक कदमों का वर्णन किया गया। इसमें अनेक बातें शामिल हैं-विविध पाठ्यक्रमों, अनेक मॉडलों एवं लचीली कार्यनीतियों के माध्यम से सभी तरह के और सभी स्तरों के कार्यक्रमों के लिए सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण; सभी के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करना; प्रशिक्षकों की क्षमता का विकास; सीखने एवं शिक्षण सामग्री का प्रावधान तथा प्रत्यायन (Accreditation)।

रिपोर्ट में कक्षा में विद्यमान बहुभाषिकता के मुद्दों तथा सभी वर्गों द्वारा अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के समर्थन में दबाव निर्मित करने के मुद्दों पर विचार किया गया। भाषा शिक्षण के लिए कुछ नवाचारी सुझाव भी पेश किए गए।

4. आगे बढ़ते कदम : बदलते हुए नीतिगत प्रतिमान

चूँकि ई. सी. सी. ई. में वर्तमान समस्याएँ पूर्व नीतियों का परिणाम हैं, अतः छोटे बच्चों के साथ न्याय करने के लिए पाठ्यचर्या संबंधी दूसरे सुधारों के बारे में बोलने से पूर्व बड़े नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता होगी।

(क) ई. सी. सी. ई. का महत्त्व : पहला कदम यह मान्यता प्रदान करना और यह स्वीकार करना होगा कि ई. सी. सी. ई. सभी बच्चों की एक महत्वपूर्ण विकासात्मक आवश्यकता है तथा प्रत्येक बच्चे को न्यायसंगत गुणवत्ता वाली ई. सी. सी. ई. का अधिकार है। ई. सी. सी. ई. शैक्षणिक सीढ़ी का पहला कदम और ई. एफ. ए. का भाग होना चाहिए। डी. ई. ई. एंड एल. को 3+ वाले बच्चों तथा डी. डब्ल्यू. सी. डी. को तीन से कम आयु वाले बच्चों के लिए सभी कार्यक्रमों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

(ख) संसाधन आवंटन : सभी के लिए न्यायसंगत गुणवत्ता की ई. सी. सी. ई. प्रदान करने के आशय का अर्थ है संसाधन आवंटन में व्यापक वृद्धि करना। यद्यपि विश्व स्तर पर किए गये अनुसंधान दर्शाते हैं कि किसी बच्चे की 85 फीसदी केंद्रीय मस्तिष्क बनावट प्रारंभिक वर्षों में पहले ही पूर्ण हो जाती है, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों पर प्रति बालक वास्तविक व्यय 6-14 आयु वर्ग के बच्चों पर किए जा रहे व्यय का केवल आठवाँ भाग ही है।

(ग) सभी के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करना : समय के साथ विकसित हुए अनेक मॉडलों, विविध क्षेत्रों और कार्यक्रम दृष्टिकोणों के अस्तित्व को साझी एकरूप व्यवस्था के भीतर ही स्वीकार किया जाना चाहिए। कतिपय बुनियादी मानदंडों और मानकों तथा गुणवत्ता के पाँच मूलभूत आयामों का पालन विभिन्न कार्यनीतियों, जिनमें नियमन विभिन्न संदर्भगत वास्तविकताओं और एक अर्थपूर्ण भाषा नीति का अनुकूलन शामिल है, के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(घ) समर्थन : अभिभावकों से लेकर नीति-निर्माताओं तक प्रत्येक स्तर पर जनता को संवेदनशील बनाने के लिए जनसंचार के साधनों को शामिल करते हुए एक व्यापक और सतत समर्थन अभियान की

ज़रूरत है। इसके लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान किए जाने और सरकार द्वारा विभिन्न तरीकों की आवश्यक सामग्री तैयार करने की दिशा में पहल की ज़रूरत है। समर्थन अभियान के माध्यम से बाल जीवन में इस अवधि का महत्त्व इस अवधि की उपेक्षा के खतरे, ई. सी. सी. ई. का समुचित क्षेत्र, अर्थ और उद्देश्य बताए जाने की ज़रूरत है।

(ङ) क्षमता निर्माण : जैसाकि पहले वर्णन किया गया है, अगला महत्वपूर्ण कार्य सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के व्यापक और दीर्घकालिक कार्यक्रम तत्काल प्रारंभ करना है। विद्यमान क्षमताओं का निर्माण और संस्थाओं को निर्मित करने में डी. ई. ई. एंड एल. को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

(च) अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं :

- छोटे बच्चों के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों के बीच सहयोग/जुड़ाव।
- विभिन्न स्वायत्तशासी प्राधिकरणों के साथ समन्वय।
- विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग।
- रिपोर्ट प्रणालियों का विकास जिसके फलस्वरूप आँकड़ों का आधार तैयार हो सके।
- क्रियान्वयन और निगरानी के लिए सभी स्तरों पर संस्थागत तंत्र।
- प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से सहभागिता के लिए पी. आर. आई. को सशक्त करना।
- अनुसंधान, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए उपयुक्त ढाँचा एवं संस्थाएँ।

5. पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए दिशानिर्देश

ई. सी. सी. ई. के तीन विस्तृत उद्देश्य :

- बच्चों का सर्वांगीण विकास, जो उसे उसकी अधिकतम क्षमता के निर्माण को निश्चित करने में मददगार हो
- विद्यालय के लिए तैयारी
- औरतों और बालिकाओं को समर्थन एवं सहायता सेवा मुहैया कराना

इसकी पाठ्यचर्या को आयु अनुकूल, चहुँमुखी, खेल आधारित, एकीकृत, अनुभवजनित, लचीली और संदर्भगत के रूप में पारिभाषित किया गया है। ई. सी. सी. ई. पाठ्यचर्या के निर्देशन सिद्धांत हैं:

- सीखने के आधार के रूप में खेल
- शिक्षा के आधार रूप में कला
- बच्चों की सोच की मुख्य विशेषताओं की पहचान
- विशेषज्ञता के स्थान पर अनुभव को प्राथमिकता
- दिनचर्या में अंतरंगता एवं चुनौती का अनुभव
- औपचारिक एवं अनौपचारिक संपर्कों का मिश्रण
- मूलपाठ विषयक (बुनियादी साक्षरता एवं संख्या विषयक) एवं संस्कृति का मिश्रण
- स्थानीय सामग्री, कला और ज्ञान का प्रयोग
- विकासात्मक उपयुक्त व्यवहार, लचीलापन और विविधता
- स्वास्थ्य, कल्याणकारी एवं स्वस्थ आदतें

इसके पश्चात्, रिपोर्ट में विकास के विभिन्न क्षेत्रों, जन्म से आठ वर्षों की अवधि के भीतर प्रत्येक उप-समूह की विकास संबंधी विशेषताओं तथा बच्चे द्वारा उसके विकास संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में अनुभव द्वारा उत्पन्न ज़रूरतों को बताया गया है । इसके पश्चात् प्रत्येक उपसमूहों अर्थात् 0.2+, 3.5+ और 6-8 के लिए आयु-निर्दिष्ट पाठ्यक्रम रूपरेखा को मूलभूत सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में वर्णित किया जाता है। समेकित शिक्षा एवं भाषा नीति पर भी विचार किया गया है।

राष्ट्रीय फोकस समूह
"प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा"
के सदस्यों के नाम

श्रीमती मीना स्वामीनाथन (अध्यक्ष)
मानद कार्यक्रम निदेशक
उत्तरा देवी जेंडर एवं विकास संसाधन केंद्र
एम. एस. स्वामीनाथन अनुसंधान संस्थान
चेन्नई-600 113
तमिलनाडु

प्रोफेसर आदर्श शर्मा
निदेशक
लोक सहयोग एवं बाल विकास
राष्ट्रीय संस्थान
सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास,
नई दिल्ली-110 016

प्रोफेसर एस. आनंदलक्ष्मी
पूर्व निदेशक
लेडी इरविन कॉलेज
ए-204, मानसरोवर
19, तीसरा सीवर्ड रोड
वाल्मीकि नगर
चेन्नई-600 041
तमिलनाडु

डॉ. रोमिला सोनी
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली-110 016

डॉ. जी. सी. उपाध्याय
रीडर
प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली-110 016

श्रीमती एस. एस. जयालक्ष्मी
निदेशक
विद्या विकासिनी सोसायटी
कोयम्बटूर-641 034
तमिलनाडु

प्रोफेसर प्रेरणा मोहिते
अध्यक्ष
एच.डी.एफ.सी. विभाग
गृह विज्ञान संकाय, एम.एस. विश्वविद्यालय
वडोदरा, गुजरात

डॉ. के. लक्ष्मी
मानद निदेशक
ई.सी.सी.ई. पर राज्य संसाधन केंद्र
आन्ध्र महिला सभा (अकेडमिक कैंपस)
हैदराबाद-500 007
आन्ध्र प्रदेश

डॉ. आशा सिंह
रीडर
बाल विकास विभाग, लेडी इरविन कॉलेज
नई दिल्ली-110 001

डॉ. के उषा अबरोल
क्षेत्रीय निदेशक
एन.आई.पी.सी.सी.डी.
बेंगलुरु-560 064
कर्नाटक

डॉ. वनिता कौल
वरिष्ठ शिक्षा विशेषज्ञ
विश्व बैंक
नई दिल्ली-110 003

सुश्री फेनी तारापोर
अध्यक्ष, आई.ए.पी.ई.
पुणे–411 039 (महाराष्ट्र)

प्रोफेसर वी.पी. गुप्ता (सदस्य-सचिव)
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली–110 016

डॉ. वृन्दा दत्ता (आमंत्रित सदस्य)
रीडर
यूनिट फॉर फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर
तारा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज
मुंबई–400 088
महाराष्ट्र

आभार

मैं प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर बने राष्ट्रीय फोकस समूह के प्रत्येक सदस्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी गहन लगन, उत्तरदायित्व निभाने की वचनबद्धता और विषद् प्रयासों के बिना यह कार्य सीमित समय सीमा के अंदर पूर्ण होना संभव नहीं था।

पूरा फोकस समूह भी उन सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता है जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं और समूहों के प्रतिनिधियों के रूप में भारत के छः शहरों में हुई परामर्शदात्री बैठकों में हिस्सा लिया। इस आधार पत्र के विकास और इसे समृद्ध करने में यह बैठकें बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं।

मीना स्वामीनाथन
अध्यक्ष

अनुवाद सहयोग

श्री नरेन्द्र सैनी, सी-9/सी-5, अपर्णा अपार्टमेंट्स, फेस-III, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन-II, साहिबाबाद-201005, उत्तर प्रदेश।
श्री शंभू जोशी, केयर ऑफ श्री भरत महोदय, निदेशक, गाँधी विचार परिषद् गोपुरी, वर्धा - 442001, महाराष्ट्र।
श्रीमती इंदु कुमार, *प्रवक्ता*, सी.आई.ई.टी., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
डॉ. रंजना अरोड़ा, *प्रवाचक*, पाठ्यचर्या समूह, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।

विषयसूची

उद्देशिका ...v

सार-संक्षेप ...vi

''प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा'' पर बने राष्ट्रीय फोकस समूह के सदस्य ...x

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य ...1

1.1 प्रारंभिक वर्षों का महत्त्व ...1
1.2 उभरती हुई अवधारणाएँ ...1
1.3 वैश्विक संदर्भ ...2
1.4 भारतीय संदर्भ ...3
1.5 वैश्विक स्तर पर छोटे बच्चों की स्थिति का पता लगाना ...3
1.6 वैश्विक विकास ...4
1.7 भारतीय बच्चे की छवि का लेखा-जोखा ...5

2. भारतीय संदर्भः स्थितिपरक विश्लेषण और मौजूदा परिदृश्य ...5

2.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ...6
2.2 व्याप्ति और पहुँच ...11
2.3 आलोचनात्मक मूल्यांकन ...12

3. महत्वपूर्ण मुद्दे, सामाजिक वास्तविकताएँ और नीतिगत निहितार्थ ...14

3.1 सामाजिक विभाजन–समता, पहुँच और गुणवत्ता ...14
3.2 ई.सी.सी.ई. परिदृश्य की गुणात्मक तसवीर ...17
3.3 सभी के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करना ...23
3.4 भाषायी मुद्दे ...31

4. आगे बढ़ते कदम : बदलते हुए नीतिगत प्रतिमान ...34

4.1 ई.सी.सी.ई. का महत्त्व और ई.एफ.ए. के भाग के रूप में मान्यता ...34
4.2 संसाधन आवंटन ...34
4.3 सभी के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करना : कार्यनीतियाँ और साधनों की सुनिश्चितता ...34
4.4 समर्थन ...35
4.5 क्षमता निर्माण ...35
4.6 समन्वय ...36
4.7 निष्कर्ष ...36

5. पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए दिशानिर्देश ...37

5.1 शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रियाएँ ...37

5.2 पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मूलभूत सिद्धांत ...37

5.3 नवजातों और शिशुओं के लिए पाठ्यचर्या (0–2+) ...41

5.4 3–5 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा ...42

5.5 3–5+ वर्ष के बच्चों से संबंधित अन्य मुद्दे ...47

5.6 प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेडों में 6–8+ वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यचर्या ...48

संदर्भ ...50

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य

1.1 प्रारंभिक वर्षों का महत्त्व

यह बात विश्व स्तर पर मान्य है कि किसी बच्चे के जीवन के प्रथम 6 से 8 वर्ष, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था चरण कहा जाता है, उसके संपूर्ण जीवन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवधि है, क्योंकि इन वर्षों में विकास की गति अत्यंत तेज होती है। तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में हाल ही में हुए शोधों ने इन वर्षों के दौरान, विशेष रूप से पहले तीन वर्षों में अवस्थित महत्वपूर्ण नाजुक अवधियों के पुख्ता साक्ष्य पेश किए हैं, जब मस्तिष्क में अंतर्ग्रंथनसंपर्क बनते हैं और यह अवधि मस्तिष्क की क्षमता[1] के पूर्ण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुसंधानों ने यह भी दर्शाया है कि यदि ये प्रारंभिक वर्ष उत्प्रेरक और समृद्ध भौतिक एवं मनोसामाजिक परिवेश द्वारा समर्थित व पोषित न किए जाएँ, तो बालक के मस्तिष्क की सक्षमताओं के पूर्ण विकास की संभावना कम हो जाती है जिसकी भरपायी बाद में नहीं की जा सकती[2,3,4,5,6,7]

यह निष्कर्ष बड़ी संख्या में विकासशील विश्व के बच्चों को गरीबी और उनके जीवन के परिप्रेक्ष्य में जोखिम की श्रेणी के अंतर्गत रख देता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का महत्व इस लिए भी है कि यह अवधि उन सामाजिक एवं व्यक्तिगत आदतों एवं मूल्यों को आत्मसात् करने के एक महत्वपूर्ण आधार की भाँति होती हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। यह आदतें और मूल्य अंत तक बने रहते हैं। उम्र के इस प्रारंभिक दौर में हर बच्चे के लिए उपयुक्त माहौल मुहैया कराने के लिए निवेश करना अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि यही भावी जीवन की नींव है। ई.सी.सी.ई. न केवल बच्चे का अधिकार है बल्कि दीर्घकाल में राष्ट्र को उपलब्ध होने वाली मानव रूपी पूंजी के गुणवत्ता पर भी इसका असर देखा जा सकता है।

1.2 उभरती हुई अवधारणाएँ

प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ई.सी.डी.) को व्यापक संभावना प्रदान करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न तरीकों से पारिभाषित और व्याख्यायित किया गया है। निर्धारक कारक को प्रधानता देते हुए यह 0-6 वर्ष के आयु वर्ग की समस्याओं का निराकरण करने के विशेष कार्यक्रम संचालित करता है। इसकी नामावली एवं परिभाषाओं में *प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा* (ई. सी. ई.) स्कूल पूर्व शिक्षा केंद्रित कार्यक्रम हैं जिसका लक्ष्य 3-6 वर्ष तक के बच्चे हैं (जैसा कि नर्सरी, के.जी. और प्रारंभिक स्कूल आदि में देखा जाता है)। ये प्राय: प्राथमिक स्कूल के भाग हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ई. सी. सी. ई.) का भी यही शैक्षिक आधार है। परंतु देखभाल संबंधी अवयव को शामिल करने से इसका क्षेत्र बृहद हो जाता है (इसमें क्रेचों एवं गृह आधारित अभिभावक शिक्षा के माध्यम से 0-3 वर्ष बड़े बालकों की देखभाल और प्रेरणा देना शामिल है)। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ई. सी. डी.) तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं विकास (ई.सी. सी. डी.) कार्यक्रम और भी एकीकृत और पूर्णता लिए हुए हैं, जो स्वास्थ्य, पोषण और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक विकास अथवा शिक्षा के बीच सहक्रिया और अंतर्निर्भर संबंधों की अवधारणा के साथ संकल्पनात्मक रूप से स्वयं ही

---

1. डोहर्ती, जिलियन 1997
2. लेविंगर, बी. 1994
3. घई, ओ. पी. 1975
4. नतेसन, एच. और देवदास, 1981
5. आनन्दलक्ष्मी, एस. 1982
6. भट्टाचार्य, ए.के. 1981
7. उपाध्याय, जी.सी. 1996

चित्र 1.1: मस्तिष्क विकास और कार्य के कुछ पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण अवधि

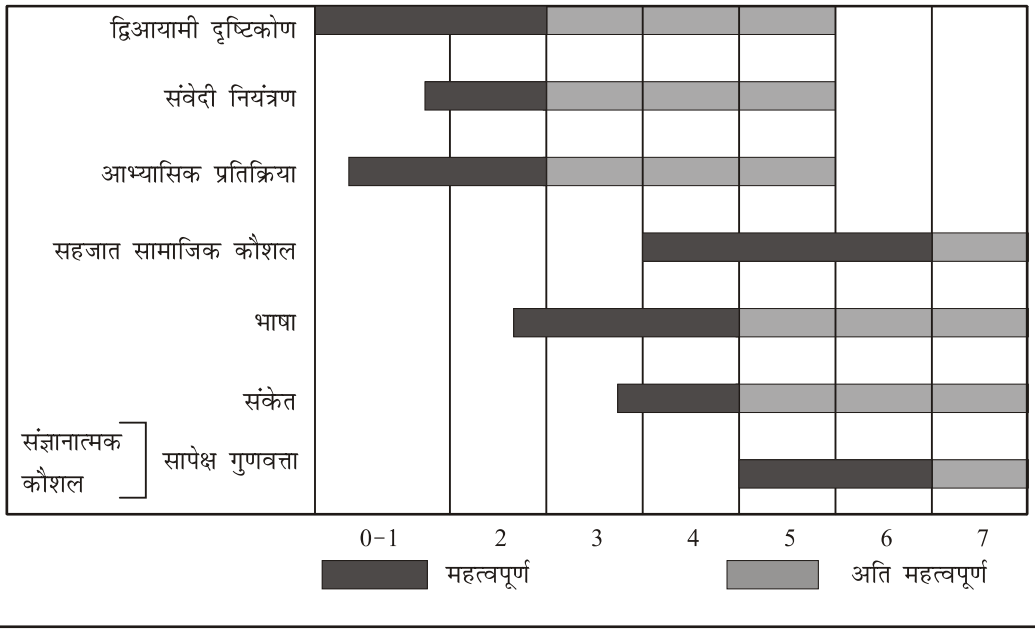

स्रोत : रीचिंग आउट टू दि चाइल्ड एचडीएस, विश्व बैंक 2004

सम्मिलित होती है तथा बच्चे के चहुँमुखी विकास को प्रतिपादित करती है। ई.सी.सी.डी. अथवा ई.सी.डी. के कार्यक्रम सामान्यतया एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) की तरह एक जीवन अवधि संबंधी दृष्टिकोण रखते हैं। बालक के अलावा इसका लक्ष्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएँ और किशोरवय बालिकाएँ भी होती हैं।

1.3 वैश्विक संदर्भ

विश्व स्तर पर ऐसी अनेक घटनाएँ हुई हैं जिन्होंने राष्ट्र के आर्थिक विकास में प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों के महत्त्व को पहचानने में योगदान दिया है। इस परिवर्तन की शुरुआत 1989 में बच्चों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के साथ हुई थी। पहली बार, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और उपायों का एक ढाँचा बनाया गया जिसका आशय समाज के बच्चों के कल्याण को इंगित करना तथा प्रोत्साहित करना था।

प्रारंभिक बाल्यावस्था के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली दूसरी प्रमुख घटना मानव विकास सूचकांक का बनना थी जो वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा मानव विकास को संक्षिप्त तौर पर मापती थी। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के तीन मूलभूत आयामों - अर्थात् 1. दीर्घ और स्वस्थ जीवन, 2. ज्ञान एवं 3. जीवन के मानक स्तर के आधार पर देशों की उपलब्धि का आकलन करता है। विशेष बात यह है कि इसमें बच्चों से संबंधित सूचक भी - मृत्यु दर, शिक्षा और बाल श्रम आदि शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तीसरी महत्वपूर्ण घटना जोमटेन, थाईलैंड में आयोजित सभी के लिए शिक्षा संबंधी विश्व सम्मेलन (ई. एफ. ए.) है जहाँ शिक्षा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया और इस सम्मेलन के दस्तावेज की शुरुआत "सीखने की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है" जैसे सुप्रसिद्ध शब्दों के साथ की गई। इसके अलावा, डकार (सेनेगल) सम्मेलन अप्रैल 2000 में आयोजित विश्व शिक्षा फोरम में राज्य, परिवारों और समुदायों की भागीदारी के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा के महत्त्व को दोहराया गया। भारत ने इन सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विभिन्न देशों के बीच बच्चों से जुड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान आकर्षित करना संभव किया है। बालश्रम, बाल कुपोषण तथा शिक्षा के मुद्दे आज विश्व स्तर पर हल किए जा रहे हैं तथा संसाधानों को जुटाया जा रहा है।[8] दक्षिण एशियाई देशों ने भी बच्चों के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। साथ ही इन देशों में बाल स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहार, बाल व्यापार और बाल श्रम से बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में हल किए जाने वाले सामान्य मुद्दों की पहचान की गई है।

1.4 भारतीय संदर्भ

इन वैश्विक घटनाओं ने भारत में भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित किया है। विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर समुदायों में, बालकों के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता की भी भली-भाँति पहचान कर ली गई है। भारत की जसंख्या 2001 में एक अरब पहुँच गई है। भारत में बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 0.6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 158 करोड़ है। मानव विकास का समग्र स्तर काफी निम्न माना गया है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत की स्थिति 124 से गिरकर 127 पहुँच गई है तथा 2003 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और भुखमरी जैसे क्षेत्रों में भारत के अपर्याप्त प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एम.डी.जी.) की ओर बढ़ने में भारत की प्रगति शिशु मृत्यु दर में कमी करने, जेंडर समानता एवं प्राथमिक स्कूल की शिक्षा पूरी करने संबंधी लक्ष्यों के संदर्भ में नेपाल, बांगलादेश और चीन जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी धीमी है तथा इस धीमी गति के साथ 2015 तक एम.जी.डी. लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना संदेहास्पद है। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि घोषणा में आठ सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में से पाँच लक्ष्य छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से संबंधित हैं। अत: ईसीसीडी सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम है।

भारत ने भेदभाव के सभी प्रकारों के उन्मूलन संबंधी सम्मेलन (सी.ई.डी.डब्ल्यू.) का भी अनुसमर्थन किया है, फिर भी भारत में स्त्री भ्रूण, बालिका शिशु हत्या और बाल विवाह से लेकर यौन शोषण और घरेलू संसाधानों तक अपर्याप्त पहुँच इन सभी में महिलाओं के समूचे जीवन चक्र में जेंडर भेदभाव दिखाई देता है।

1.5 वैश्विक स्तर पर छोटे बच्चों की स्थिति का पता लगाना

0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल विकास (ई. सी. डी.) कार्यक्रम अपना महत्त्व इस तर्क और उन ज़रूरतों से प्राप्त करता है जो पिछले कुछ दशकों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से पैदा हुई हैं। ये प्रमुख रूप से परिवार की संरचना, घर से बाहर स्त्री रोजगार में वृद्धि तथा शिक्षा की बढ़ती हुई माँग के संबंध में हुए परिवर्तन हैं। ई.सी.डी. कार्यक्रम 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के आवश्यकता की पूर्ति हेतु गुणवत्तापरक कार्यक्रम है। अच्छे ई. सी. ई. कार्यक्रम जो 0-6 के आयुवर्ग के लिए हैं विशेषतौर पर वंचित वर्गों के बच्चों के संदर्भ में उल्लेखनीय अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ/सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। ये कार्यक्रम गरीबी के कारण बेघर और वंचित बच्चों को क्षतिपूर्ति प्रदान करके सहयोग करते हैं। यह कार्य बच्चों के जीवन अवसरों को बेहतर बनाने में योगदान देता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विशेष रूप से, भारत में हुए अनुसंधान ने औपचारिक रूप से स्कूल जाने के लिए बच्चों की शैक्षणिक और सामाजिक तैयारी पर अल्पकालिक संदर्भ में ई.सी.डी. कार्यक्रमों के प्रभावों का उल्लेख किया है। यह ग्रहणशीलता

8. दत्ता, वी. 2005

और उपलब्धि स्तरों तथा साथ ही प्राथमिक ग्रेडों[9] में गणित सीखने की सुधारी गुणवत्ता में 15-20 फीसदी के अंतर में व्यक्त होता है। ब्राजीलियाई पीआरओएपीई परियोजना में, प्रारंभिक सीखने के कार्यक्रम समेत, प्राथमिक शिक्षा की कक्षा दो तक के छात्रों के लिए स्कूल जाने की कुल लागत ई.सी.सी.डी. में भाग न लेने वालों की तुलना में 11 फीसदी कम थी। ई.सी.डी. ने न केवल छोटे बच्चों को लाभांवित किया है बल्कि उनके बड़े भाई-बहनों, विशेष रूप से लड़कियों को लाभांवित किया हैं। जो अपने भाई-बहनों की देखभाल की ज़िम्मेदारी से मुक्त होकर स्कूल जाने में समर्थ हो पाई। दीर्घकालिक परिदृश्य में, ई.सी.डी. कार्यक्रमों में सहभागिता ने उच्च आय, कल्याण संबंधी कम निर्भरता, वयस्कों में अपराधों की दरों में कमी, कैरियर और परिवार के बीच बेहतर सामंजस्य स्तरों, उच्चतर उत्पादकता और कम स्वास्थ्य देखरेख लागत के संदर्भ में लाभ प्रदान किए हैं। ब्रिटिश देशांतरीय अध्ययन ई.पी.पी.ई. (इफेक्टिव प्रोविज़न ऑफ़ प्रीस्कूल एजुकेशन) ने स्पष्ट रूप से. ई. सी. सी. ई. के विभिन्न मॉडलों तथा प्राथमिक स्तर पर बाद में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों के बीच संबंधों को दर्शाया है।

ई.सी.डी. सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों तथा सभी के लिए शिक्षा संबंधी लक्ष्यों के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं और जिसमें एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना शामिल है। वैश्विक स्तर पर किए गए अनुसंधान दर्शाते हैं कि प्रभाव में वृद्धि करने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों की योजना तथा प्रावधान में बाल विकास के तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार हैं :

(अ) बच्चे के विकास की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, इसे एक बढ़ते हुए स्तरीकरण के रूप में देखना चाहिए जिसमें जो पहले होता है वह बाद वाले को प्रभावित करता है इसीलिए पूरे बचपन पर विचार करते समय हमें प्रसव पूर्व से लेकर आरंभिक स्तर तक की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्राथमिक शिक्षा में भारी निवेश के बावजूद इसके परिणामों में उस समय तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक कि तैयारी सुनिश्चित करने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था के परिणामों को सुनिश्चित नहीं किया जाता।

(ब) स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा या मनोवैज्ञानिक विकास, ये सभी सहक्रियात्मक रूप से परस्पर संबंधित हैं, जो एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से बालक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक भूमिका तैयार करते हैं।

(स) अगर कार्यक्रम बच्चे का ध्यान रखने के साथ-साथ उनके समग्र परिवेश जिसमें तात्कालिक और दीर्घकालिक संदर्भ दोनों शामिल हैं, को भी महत्त्व देगा तो बच्चे का विकास अधिकाधिक होगा।

1.6 वैश्विक विकास

समूचे विश्व में नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा ने ई.सी.सी.ई. की उभरती हुई प्राथमिकता दर्शायी है।

चीन में, बाल देखभाल के उनके प्रमुख उद्देश्य के रूप में नर्सरियों को सभी स्तरों पर शिक्षा विभागों के क्षेत्रधिकार के अंतर्गत रखा गया है। किंडरगार्टन तीन वर्ष की आयु के बच्चों को दाखिल करते हैं तथा स्कूल की अवधि तीन वर्ष है। तथापि स्कूल पूर्व शिक्षा अनिवार्य नहीं है और गैर राज्यीय सत्ताओं को कुछ सरकारी पहलों की पूर्ति के लिए मुख्य प्रदाता के रूप में प्रोत्साहित किया गया है।

न्यूजीलैंड में, ई. सी. ई. का प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं। परंतु लगभग सभी बच्चे औपचारिक स्कूल प्रणाली में हैं जिसमें 3-5 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए किंडरगार्टन भी शामिल हैं। इन्हें सरकारी सहायता प्राप्त होती है। सरकार अब ई. सी. सी. ई. पर एक व्यापक

9. कौल एवं सहयोगी, 1993

राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है जो लचीली एवं विविध दृष्टिकोण वाली होगी। जापान में, ई. सी. सी. ई. परंपरागत रूप से दो प्रणालियों में विभाजित है : पहली, शिक्षा विभाग के तहत तीन वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए किंडरगार्टन, दूसरी, कल्याण क्षेत्र के अधिकार में तीन वर्ष से कम के बच्चों के लिए डे-नर्सरी। किंडरगार्टन में बच्चों को अनुभव प्राप्त करने में सक्षम होने पर जोर दिया जाता है। जिसके बारे में माना जाता है कि यह शैक्षणिक दृष्टि से ज़रूरी है और इन्हें परिवार में बच्चों को नहीं दिया जा सकता। प्रशिक्षित विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन के अंतर्गत शुरू किए गए सामूहिक जीवनयापन अनुभव, बौद्धिक अधिगम गतिविधियाँ और सृजनात्मक निर्माण गतिविधियाँ किंडरगार्टन के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करती हैं। मलेशिया में भी सरकार द्वारा वित्त-पोषित निजी प्री-स्कूल हैं। फिलिपींस में, वर्ष 2000 में एक कानून अधिनियमित किया गया था जिसमें ई. सी. सी. ई. के लिए एक व्यापक नीति और एक राष्ट्रीय प्रणाली प्रचारित की गई थी। ई-9 देशों (नौ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश अर्थात्, बांगलादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान) में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा संबंधी स्थिति रिपोर्ट[10] स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वे सभी ई एफ. ए. के एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में ई. सी. सी. ई. को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रहे हैं तथा इसमें औचित्यपूर्ण पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षकों और अनेक अन्य संकेतकों को शामिल करने के लिए प्रयासों पर जानकारी शामिल है।

इस संदर्भ में, भारत में बच्चों से जुड़ी जानकारी पर नज़र डालना वास्तव में निराशाजनक है।

1.7 भारतीय बच्चे की छवि का लेखा-जोखा

- बाल जनसंख्या (0-6 वर्ष) 15.8 करोड़ है।
- एक तिहाई शिशु जन्म के समय सामान्य से कम भार के साथ पैदा होते हैं।
- केवल 42 फीसदी बच्चों (12-23 महीने) को ही पूरे संपूर्ण टीके लग पाते हैं।
- 14 फीसदी बच्चे टीकाकरण से बिल्कुल ही अछूते रहते हैं।
- समूचे विश्व में सबसे अधिक संख्या में कुपोषित बच्चे भारत में हैं।
- दो वर्ष से नीचे के सभी बच्चों में 47 फीसदी कुपोषित हैं।
- 0-6 वर्ष के सभी बालकों में 5 फीसदी बच्चे गंभीर या कम तौर पर खून की कमी के रोग से पीड़ित हैं।
- प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं।
- शिशु मृत्यु दर बच्चों में 70 बच्चे प्रति हजार है।
- छह करोड़ बच्चे (पाँच वर्ष से कम) गरीबी में रहते हैं।
- इनमें से केवल एक करोड़ 94 लाख बच्चे (3-5) आई.सी.डी.एस. के तहत स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
- छह वर्ष से कम के 16 करोड़ बच्चों में से केवल 3.42 करोड़ कुपोषण से बचाव की सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

स्रोत : भारत सरकार 2002 (अ) भारत में बालक : एक प्रोफाइल 2002, नई दिल्ली : यू.एन.डी.पी. : मानव विकास रिपोर्ट।

स्पष्ट रूप से, भारत ने अपने बच्चों को पहले ही काफी लंबे समय से उपेक्षित किया है। यदि अभी साहसपूर्ण और निर्णायक कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य के लिए गंभीर खतरा है।

2. भारतीय संदर्भ : स्थितिपरक विश्लेषण और मौजूदा परिदृश्य

पूर्व खंड में बाल जीवन में शुरुआती वर्षों की महत्ता तथा इस अवधि में ई. सी. सी. ई. की आवश्यकता का वर्णन किया गया। वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति ने प्रारंभिक

10. यूनेस्को 2003

बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश के लिए पर्याप्त तर्क प्रदान किए हैं।

2.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ई. सी. सी. ई.) में लगभग 5,000 साल पुराने परंपरागत व्यवहारों की दृष्टि से समृद्ध रहा है। भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ई.सी.ई.) की पहल का दस्तावेजीकरण औपचारिक रूप से उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ था। आन्दोलन के प्रारंभिक अग्रणियों में गिजुभाई बधेका, ताराबाई मोदक, मारिया मांटेसरी तथा अन्य व्यक्ति शामिल थे। महात्मागांधी, रबीन्द्रनाथ टैगोर तथा जाकिर हुसैन जैसे महान् भारतीय शैक्षणिक चिंतकों के लेखन-कार्य ने विकास-काल के वर्षों में शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। स्वतंत्रता के समय स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यकता मुख्य रूप से स्वैच्छिक संगठनों/निजी संस्थानों द्वारा पूरी की गई थी।

2.1.1 भारतीय संविधान तथा छोटे बच्चे

भारत के संविधान में ई. सी. सी. ई. सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मौलिक अधिकारों के रूप में अथवा राज्य नीति के नीति-निदेशक सिद्धांतों के रूप में अनेक प्रावधान हैं। मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को आर्थिक और शैक्षिक रूप से कमजोर समूहों का पक्ष लेते हुए सकारात्मक विभेद के व्यवहार का अधिकार देता है। यह बालिकाओं और उपेक्षित सामाजिक समूहों के बच्चों के लिए और विषम परिस्थितियों में किसी नागरिक के साथ भेदभाव न करने का प्रावधान करता है अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है *"इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान तैयार करने से रोकेगी नहीं"* ।

भारत के संविधान की राज्य नीति के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत विशिष्ट अनुच्छेद हैं जो देश में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के लिए सहायता संबंधी ढाँचा उपलब्ध कराते हैं। ये निम्नानुसार हैं :

अनुच्छेद 39 (एफ)	बच्चों के स्वस्थ ढंग से तथा स्वतंत्र और सम्मानजनक वातावरण में विकास हेतु अवसर और सुविधाएँ और बचपन और युवावस्था में शोषण से बचाव
अनुच्छेद 42	कार्यरत महिलाओं के प्रत्यक्ष संदर्भ में, "राज्य को कार्य और मातृत्व संबंधी राहत की औचित्यपूर्ण और मानवीय परिस्थितियाँ प्राप्त करने के लिए आदेश देना।" (इस वैधानिक प्रावधान का प्राथमिक फायदा बच्चे भी उठा सकते हैं।)
अनुच्छेद 45	संविधान (86वां संशोधान) अधिनियम, 2001 पारित होने तक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 (राज्यनीति के नीति निदेशक सिद्धांत) राज्य को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का निर्देश देता है। इस संवैधानिक निदेशक सिद्धांत के अधीन 0-6 वर्ष के बच्चों को शुरुआती दौर में शामिल करना इस उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि स्कूल पूर्व शिक्षा को एक ज़रूरी अवयव की तरह स्वीकार करते हुए बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए स्थितियाँ उपलब्ध करवानी होंगी।
अनुच्छेद 47	राज्य स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए अपने लोगों के पोषण तथा जीवन स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा।

2.1.2 संविधान अधिनियम, 2001 (86वां संशोधन)

संविधान अधिनियम, 2001 (86वां संशोधन) ने संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत बच्चों के हितों को शामिल करने के लिए 0-14 वर्ष तक के बच्चों को दो स्पष्ट वर्गों में विभाजित कर दिया है। अनुच्छेद 21(ए) को अनुच्छेद 21 के पश्चात् मौलिक अधिकार के रूप में पुन: स्थापित किया गया है जो इस प्रकार है, *"राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उस ढंग से उपलब्ध कराए जिससे कानून द्वारा इसकी रक्षा की जा सके।"* 0-6 वर्ष के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए संविधान अधिनियम (86वां संशोधान) ने अनुच्छेद 45 (राज्य नीति के नीति निदेशक सिद्धांत) को प्रतिस्थापित किया जिसके अनुसार *"राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के लिए प्रावधान करने का तब तक प्रयास करेगा जब तक कि वे छह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते।"* ई. सी. सी. ई. के पक्षधारों और प्रयोगकर्ताओं ने संशोधन पर अपनी गहरी चिंता एवं निराशा व्यक्त की और तर्क दिया कि यह छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, सरकार छह वर्ष की आयु से कम के बच्चों को शिक्षा एवं देखरेख उपलब्ध कराने के दायित्व और किसी भी प्रकार की सेवाएँ करने के प्रयास से खुद को मुक्त कराने में सफल हो गई है।

2.1.3 बच्चों के अधिकारों का संरक्षण

बच्चों का कल्याण 1951 से भारत की विकासात्मक योजना का एक एकीकृत हिस्सा रहा है। संवैधानिक दृष्टि से, बाल विकास और शिक्षा समवर्ती विषय हैं जिसमें ई.सी.सी.ई. सेवा वितरण में संघ और राज्य का साझा उत्तरदायित्व अंतर्निहित है।

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा सेवाओं का प्रावधान है। इसके तत्वों को अनेक नीतियों से विनियमित किया जाता है। ये नीतियाँ निम्न हैं :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) 1986	ई.सी.सी.ई. को मानव संसाधान विकास की कार्यनीति में एक महत्वपूर्ण निवेश, प्राथमिक शिक्षा के लिए एक फीडर और सहायक कार्यक्रम तथा कामकाजी महिलाओं के लिए एक सहायक सेवा के रूप में देखा जाता है। यह नीति छोटे बच्चों के विकास में निवेश पर विशेषत: बल प्रदान करती है, विशेष रूप से ऐसी आबादी के लिए जिनमें प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले अधिक होते हैं। बाल विकास की सर्वांगीण प्रकृति को मान्यता प्रदान करते हुए ई.सी.सी.ई. के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना था। ये कार्यक्रम बालोन्मुखी थे और जिनका बल खेल एवं बच्चे की वैयक्तिकता के ईर्द-गिर्द था। प्राथमिक शिक्षा के लिए फीडर और उसे मजबूती प्रदान करने वाले दोनों ही प्रकार के कारकों के रूप में बच्चों की देखरेख तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण एकीकरण किया जाना था।
राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 और राष्ट्रीय कार्य योजना: बच्चों के प्रति प्रतिबद्धता, 1992	*"राज्य की यह नीति होगी कि वह बच्चों को जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात् तथा विकास की संपूर्ण अवधि के दौरान पर्याप्त सेवाओं का प्रावधान करे . राज्य ऐसी सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि करे ताकि उचित समय के भीतर देश के सभी बच्चे संतुलित विकास के लिए अधिकतम शर्तों का लाभ उठा सकें।"*
राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.पी.ए.)	बाल संरक्षण, अस्तित्व रक्षा, विकास और वृद्धि के लिए राज्य बाल कार्ययोजना (एस.पी.ए.सी.) का गठन हुआ। एन.पी.ए. तथा एस.पी.ए.सी. में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए समयबद्ध लक्ष्य और रणनीतियाँ निर्धारित की गईं।

राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993	इस बात को मान्यता देती है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए स्तरीय पोषण अनिवार्य है तथा ये बच्चे "उच्च जोखिम" वाले समूह में से एक हैं। इस प्रकार के विशेष अपरिहार्य समूहों के लिए नीतिगत संधियों और कार्यक्रम मध्यस्थता के द्वारा उन्हें उच्च प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता है, तथा इसके लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.) प्रारंभ किया गया है।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000	इस बात का अवलोकन करती है कि बच्चों को स्वास्थ्य जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए एक स्पष्ट रणनीति हो।
राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001	महिलाओं के लिए सहयोगी सेवाओं के प्रावधान जैसे बाल देखरेख सुविधाएँ-जिनमें कार्यस्थलों में क्रेच, शैक्षणिक संस्थाएँ, आवास का प्रावधान... आदि हो जिससे सार्थक माहौल का निर्माण करने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इनका विस्तार और सुधार किया जाए।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एन.एच.पी.), 2002	0-6 वर्ष तक के बच्चे जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। **एन.एच.पी.** का लक्ष्य वर्ष 2010 तक शिशु मृत्युदर को 30 बच्चे 1,000 और एम.एम.आर. को 100 बच्चे 100,000 तक घटाने का है, जनजातीय तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों के लिए बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए अत्यंत उपयुक्त योजनाएँ प्रस्तावित की गईं।
बच्चों के अधिकार पर कन्वेंशन (सी.आर.सी.), 1992	भारत द्वारा सी.आर.सी. (1992) के समर्थन ने बच्चों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को आगे और परिपुष्ट किया है तथा इसके परिणामस्वरूप एक राष्ट्रीय बाल अधिकार पत्र तैयार करने के लिए नीतिगत ढाँचा तैयार किया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा निरक्षर, भूख अथवा चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में न रहे। **राष्ट्रीय बाल आयोग** के गठन पर सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है।

2.1.4 ई. सी. सी. ई. की तुलना में संबंधित कानूनी प्रावधान

भारत में दो प्रकार के विधायी उपाय हैं जिन पर बाल विकास का भार है। हालाँकि ये सेवा उपलब्धि से प्रत्यक्षत: संबंधित नहीं हैं। फिर भी पहला कानूनी प्रावधान बालक के जीवन एवं स्वास्थ्य तथा समान अवसरों तक पहुँच से संबंधित है। जबकि दूसरे प्रकार का प्रावधान कतिपय कार्य परिस्थितियों में बाल देखरेख सेवाओं की उपलब्धता को कानूनी बनाता है ताकि कामकाजी माताओं तथा छोटे बच्चों को उपयुक्त एवं सहयोगी कार्य वातावरण प्रदान किया जा सके, जो बच्चों की समृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करता है।

प्रावधानों का पहला सेट इस प्रकार है :

- **जन्म-पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग निवारण और विनियमन) अधिनियम, 1994** यह जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण के लिए ऐसी तकनीकों के दुरुपयोग से रोकथाम करता है जिनके परिणामस्वरूप मादा भ्रूण की हत्या कर दी जाती है।
- **शिशु दुग्ध विकल्प, बोतल और शिशु खाद्य (दुरुपयोग निवारण और विनियमन) अधिनियम,**

1994 जिसका उद्देश्य स्तनपान को संरक्षण और प्रोत्साहन देना तथा शिशु खाद्य का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।

- **अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995** जिसका संबंध अशक्तता के लिए निवारण उपाय अपनाना तथा उनके विकास और समृद्धि के लिए सेवा प्रदान करना है।

प्रावधानों का दूसरा सेट इस प्रकार है :

क्रेचों के रूप में डे-केयर सुविधा एक कानूनी प्रावधान के रूप में विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत अनिवार्य है। बशर्ते कि कतिपय शर्तों की पूर्ति होती हो जो नियोजित महिलाओं की संस्था, पात्र बच्चों की संख्या तथा कारखानों या फैक्ट्रियों के आकार से संबंधित हैं। ये केंद्रीय अधिनियम समग्र दिशानिर्देशों का प्रावधान करते हैं तथा राज्य सरकारों ने अधिक विस्तार में जाने के लिए प्रत्येक अधिनियम के तहत नियम तैयार किए हैं। ये हैं:

- कारखाना अधिनियम, 1948 (1954 में संशोधित)
- खान अधिनियम, 1950
- बागान श्रमिक अधिनियम, 1951
- बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966
- प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961
- ठेका श्रम अधिनियम, 1970
- अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1980
- निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996

2.1.5 योजना प्रक्रिया तथा छोटे बच्चे

तीसरी पंचवर्षीय योजना तक, ई. सी. सी. ई. स्वैच्छिक और निजी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहा। 1968 में, जब **गंगा शरण सिन्हा समिति** ने स्कूल पूर्व शिक्षा के प्रावधान की आवश्यकता का उल्लेख किया, तब इसे सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर लाया गया।

तथापि **चौथी पंचवर्षीय योजना**, शैक्षणिक प्रणाली में स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार और बाल कल्याण योजना के रूप में एक बाल कल्याण अवधारणा के तौर पर जानी गयी। जिसका उद्देश्य स्कूल पूर्व बच्चों को व्यापक बाल कल्याण सेवाएँ प्रदान करना था ताकि उनका चहुँमुखी विकास हो सके और परिवार सुदृढ़ बन सके ताकि वे अपने बच्चों के विकास में सहयोग प्रदान कर सकें।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बाल विकास की अवधारणा में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और दृष्टिकोण में *'कल्याण से विकास'* की ओर रूपांतरण हुआ। राष्ट्रीय बाल नीति 1974 की घोषणा की गई। नीति के अनुसरण में **एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई. सी. डी. एस.)** 1975 में प्रारंभ की गई। यह 33 परियोजनाओं में प्रयोगात्मक आधार पर प्रारंभ की गई तथा **आठवीं पंचवर्षीय योजना** तक सरकारी क्षेत्र के भीतर इसकी स्कूल पूर्व बच्चों की संख्या में व्यापक विस्तार हुआ।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी *मानव संसाधन विकास* में एक निवेश के रूप में प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवाओं के विकास की प्राथमिकता को सशक्ततापूर्ण तरीके से पुष्ट किया गया। ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों के प्रबंधन में विशेष रूप से विकेंद्रीकृत पंचायती राज प्रणाली (पी. आर. एस.) के अंतर्गत महिला समूहों की भागीदारी पर बल दिया गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना ने बालक के विकास के लिए उपुयक्त आधार के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जिसके अंतर्गत देश में प्रत्येक छोटे बच्चे तक पहुँचने के लिए बड़ी कार्य नीतियाँ तैयार की गईं ताकि उनकी "अस्तित्व रक्षा", "संरक्षण" और "विकास" को सुनिश्चित किया जा सके।

तीन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों आर. सी. एच., आई. सी. डी. एस. एवं एस.एस.ए. और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण, पोषण और शिक्षा के क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा विकास सुनिश्चित किया गया। इस बात पर बल दिया गया कि 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण है तथापि जन्म पूर्व प्रारंभिक तीन वर्षों की अवधि भी पूर्ण मानव विकास क्षमता तथा आजीवन सीखने की बढ़ती प्रवृत्ति की

प्राप्ति के लिए आधार तैयार करने की दृष्टि से जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य अवधि है। इस प्रकार यह परिवार-केंद्रित और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों की स्थापना को पुनः बल प्रदान करते हैं।

दसवीं योजना भी कामकाजी एवं बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रेच या डे-केयर केंद्रों के रूप में सहायता सेवाओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करती है। विशेष रूप से ऐसे संदर्भ में जहाँ अधिक से अधिक महिलाएँ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार के लिए बाहर आ रही हैं। इस संदर्भ में समूचे देश में क्रेचों का एक विशाल नेटवर्क तैयार करने के लिए राष्ट्रीय क्रेच निधि को और मजबूती प्रदान की जाएगी।

2.1.6 ई. सी. सी. ई. के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच सहयोग

भारत सरकार में चार मंत्रालय प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवाओं की व्यवस्था में शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवाओं के विभिन्न अवयवों के वितरण में बालकों के विशेष आयु वर्गों के लिए अपने संबंधित क्षेत्र की जिम्मेदारियों का वहन कर रहा है। जैसाकि नीचे तालिका 2.1 में दर्शाया गया है :

तालिका 2.1 : ई. सी. सी. ई. सेवाओं के वितरण में मंत्रालयी प्रभार

ज़िम्मेदारी का क्षेत्र	बच्चों की आयु	मंत्रालय
पोषणात्मक पूर्ति, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचईडी)	0-6 वर्ष	महिला एवं बाल विकास विभाग (डी. डब्ल्यू. सी. डी.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम. एच. आर. डी.)
प्रतिरक्षण	0-6 वर्ष	परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एम. ओ. एच. एफ. डब्ल्यू.)
स्कूल पूर्व शिक्षा	3-6 वर्ष	महिला एवं बाल विकास विभाग (डी. डब्ल्यू. सी. डी.), प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (ई. ई. एंड एल.), एम.एच.आर.डी.
बच्चों की देखरेख	0-5/6 वर्ष	महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम मंत्रालय
विकलांगता का पूर्व निर्धारण और निवारण	जन्म पूर्व और आगे	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

सरकार में, मानव संसाधान विकास मंत्रालय 0-6 वर्ष के बालकों से संबंधित मामलों को देखने वाला मुख्य मंत्रालय है। मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग ई.सी.सी.ई. सेवाएँ प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है तथा आई.सी.डी.एस. स्कीम, राष्ट्रीय क्रेच निधि और क्रेच स्कीम के माध्यम से वह 0-6 वर्ष के बच्चों का कार्य देखता है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना होने के नाते (आई.सी.डी.एस.) केंद्रीय सरकार इस कार्यक्रम की योजना तथा इसमें लगने वाली लागत के लिए उत्तरदायी है जबकि राज्य सरकारें कार्यक्रम क्रियान्वयन और पोषण उपलब्धता के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक क्षेत्र भी हैं।

2.2 व्याप्ति और पहुँच

जन्म से लेकर आठ वर्ष तक के बच्चों के कार्यक्रम और इसमें मध्यस्थता सरकार, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

2.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा : एक अवलोकन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2003) के अनुसार 1996-97 में स्वैच्छिक क्षेत्र में 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चों में से केवल 19.64 फीसदी को ही ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों जैसे आई. सी. डी. एस. तथा ई. सी. ई. योजनाओं जैसे क्रेच और बालवाड़ियों को स्वयंसेवी संस्थाओं के तहत समाहित किया गया था, इनको डी. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था।

1996-97 के बाद से विशेष रूप से आई. सी. डी. एस. के तहत समाहित बच्चों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। आई. सी. डी. एस. के दो प्रमुख कार्यक्रमों तथा क्रेचों (2003-04) के अंतर्गत व्याप्ति नीचे दी गई है :

तालिका 2.2: सरकारी ई.सी.सी.डी. कार्यक्रमों 2003-04 की व्याप्ति की मौजूदा स्थिति

क्र.सं.	कार्यक्रम	आयु वर्ग	परियोजनाओं/ क्रेचों की संख्या	लाभार्थी	कुल
1.	आई. सी. डी. एस.	6 माह 3 वर्ष 3-6 वर्ष	5,267	1,67,98,824 2,04,38,002	372,36,826
2.	कामकाजी और बीमार महिलाओं के लिए क्रेच*	0-5 वर्ष	12,470	3,11,750	
3.	राष्ट्रीय क्रेच निधि*	0-5 वर्ष	4,885	1,22,125	4,33,875
					3,76,70,701

**सरकारी वित्तीय सहायता से गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित*
स्रोत : डी. डब्ल्यू. सी. डी. की वार्षिक रिपोर्ट 2003-04, एच.आर. डी.मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 19, 107

जहाँ तक सरकार के अन्य कार्यक्रमों का संबंध है, ई.सी. ई. का विस्तार आई. सी. डी. एस. की तुलना में अधिक नहीं है। वर्ष 2000 में बीस लाख ई.सी.ई. केंद्रों के लक्ष्य की तुलना में केवल 55,000 केंद्र ही कार्य कर रहे हैं। डी. पी. ई. पी. और सर्वशिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों में, आई. सी. डी. एस. कार्यक्रमों द्वारा छोड़े गए अंतरालों को भरने के प्रयास किए हैं। डी.पी.ई.पी. ने गैर-आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों[11] में 10,000 ई. सी. सी. ई. केंद्र खोले। ई.ई. एंड एल. विभाग के अनुमान के अनुसार, पूर्व प्राथमिक स्तर पर नामांकित किए गए बच्चों की कुल संख्या 46,23,168 है। अत: उपयुक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि ई. सी. सी. डी. कार्यक्रमों के विस्तार के बावजूद ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों में बालकों की पहुँच (22 फीसदी) अत्यंत अपर्याप्त है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के आई. सी. डी. एस. कार्यक्रम के अलावा, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई. पी.) तथा महिला समाख्या परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रभावपूर्ण बनाने के प्रयास किए गए हैं। हाल ही में, शुरू हुए सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य हैं : (1) आई. सी.

11. डी. ई. ई. एंड एल., एम. एच. आर. डी. 2001

डी. एस. में स्कूल पूर्व अवयव को मजबूत बनाना (2) पूर्व के कार्यक्रमों की पहुँच से दूर क्षेत्रों में बालवाड़ियों की स्थापना करना (3) प्रारंभिक बाल विकास के महत्त्व के लिए समर्थन तैयार करना (4) समुदाय के नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना (5) ई. सी. सी. ई. के लिए गहन योजना का प्रावधान करना (6) सामग्री विकसित करना तथा (7) स्कूल व्यवस्था और ई. सी. सी. ई. के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना। योजना में ई. सी. सी. ई. केंद्र खोलने के लिए प्रत्येक जिले के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये का प्रावधान है। जनशाला भी इसी तरह का अभिनव सहयोगी कार्यक्रम है।

2.2.2 निजी क्षेत्र

चूँकि अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है, ऐसे में इस क्षेत्र में व्यवसायिक उद्देश्यों को लेकर विभिन्न नामों से कार्य कर रहे निजी क्षेत्र के बारे में कोई सटीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो विभिन्न नामों के अंतर्गत संचालित व्यवसायिक उद्यम हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार, निजी क्षेत्र की पहल (जिनमें डे-केयर, नर्सरियाँ, किंडरगार्टन और प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाएँ शामिल हैं) में नामांकित बच्चों की संख्या लगभग एक करोड़ (2001) अथवा उस समय आई. सी. डी. एस. के बराबर थी।[12] आज निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की तरह ही बड़ा हो सकता है परंतु यह विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। हालाँकि शुरू में यह शहरों में उच्च और मध्यम वर्गों तक ही सीमित था, आज यह छोटे कस्बों, गाँवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों, शहरी मलिन बस्तियों में फैल चुका है और अभूतपूर्व माँग एवं लोकप्रियता हासिल कर चुका है। इसके अतिरिक्त, पहले उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत चलने वाले कानूनी क्रेच की पहुँच अनुमानित तौर पर एक लाख से अधिक बच्चों तक नहीं है।

2.2.3 ई.सी.सी.ई. के लिए एनजीओ सेवाएँ

एक गैर-सरकारी क्षेत्र भी है जो ई. सी. सी. ई. सेवाओं के विभिन्न मॉडल और पैकेज मुहैया करता है। एनजीओ क्षेत्र द्वारा प्रदान की जा रही ई. सी. सी. ई. सेवाओं के तहत आने वाले बच्चों की संख्या के बारे में कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जो विभिन्न तरीकों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दानदाताओं, न्यासों और सांप्रदायिक समूहों द्वारा वित्त-पोषित किए जा रहे हैं। इसके तहत अनुमानित बच्चों की संख्या तीस लाख से दो करोड़ के बीच है।

2.2.4 अंतराल

सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल भी है जो छोटे और सीमांत समूहों तक नहीं पहुँचती हैं। उदाहरण के लिए, प्रवासी श्रमिक, घुमंतु और बंजारे, छोटी और दूरवर्ती बस्तियों में रहने वाले लोग, आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्र, विकलांग, फुटपाथ पर रहने वालों और यौन कार्यकर्ताओं के बच्चे, टी. बी. और एच.आई.वी. रोगी, कैदी आदि। यह सूची केवल उदाहरण मात्र ही है।

2.3 आलोचनात्मक मूल्यांकन

उपुर्यक्त समीक्षा पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट करती है कि संवैधानिक निर्देशों, समय-समय पर घोषित होने वाली अनेक विधियों, नीतियों और कार्यक्रमों के बावजूद आवश्यकता और वास्तविक प्रावधानों के बीच का अंतराल निरंतर बढ़ता जा रहा है और केवल यही नहीं, गुणवत्ता मूल्यांकन की बात भी छोड़ दें तो वास्तविक रूप से कितनी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, इसके बारे में भी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, स्थानिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर असंतुलन मौजूद है, अत: कुछ वर्ग तो और अधिक उपेक्षित हैं।

ई. सी. सी. ई. से संबंधित मुद्दों ने पिछले दो दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि नीतियों को कार्यरूप में परिवर्तित करने के लिए सिफारिशें करने हेतु एन. पी. ई. (1986)[13] और पी. ओ. ए. (1992)[14] अनेक समितियों, कार्यबलों, अध्ययन समूहों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा,

12. डी. ई. ई. एंड एल., एम. एच. आर. डी. 2004
13. भारत सरकार, 1986
14. भारत सरकार, 1992

कार्यक्रमों के अनेक मूल्यांकन अध्ययन कराए जा चुके हैं जिन्होंने अपनी सिफारिशें की हैं।

नीति को कार्य में परिवर्तित करने में असफलता के पीछे मूलभूत कारणों में विखंडित दृष्टिकोण तथा विभाजित उत्तरदायित्व, ठोस कार्य-योजना का अभाव, निधियों का प्रावधान स्पष्ट न होना तथा नीतिगत दस्तावेजों को लागू करने के लिए उत्तरदायित्वों का स्पष्ट प्रयोजन नहीं होना था। जबकि एन. पी. ई. और पी. ओ. ए. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में डी. ई. ई. द्वारा संकल्पित और विकसित की जा रही थीं, ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों को वास्तविक रूप से क्रियान्वित करने की ज़िम्मेदारी केंद्र में डब्ल्यू. सी. डी. विभाग को सौंपी गई थी (राज्यों में सामाजिक कल्याण)। इसी प्रकार, शिक्षा एक राज्य विषय है जबकि आई. सी. डी. एस. राज्यों द्वारा लागू किया जाने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसके परिणामस्वरूप क्रियान्वयन में अत्यधिक विलंब हुआ, जिसका कारण एक ओर पहले बताई गई सीमित ठोस कार्यवाही थी तो साथ ही समन्वय का अभाव भी था। वर्ष 1990 में, आचार्य राममूर्ति समिति[15] ने कुछ टिप्पणियाँ की थीं जो अभी तक भी महत्वपूर्ण हैं तथा इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। उदाहरण के लिए, इसने उल्लेख किया कि (5.1.2) अनुच्छेद 45 का सदैव ही संकुचित अर्थ लगाया गया है कि यह केवल 5 और 6 वर्ष के बच्चों पर ही लागू है और यह कि एन. पी. ई. सभी बच्चों को ई. सी. सी. ई. उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक अनिवार्यता का अनुपालन नहीं करता अथवा इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट नीति घोषित नहीं करता। क्रियात्मक रूप में विखंडित दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया गया था। जबकि यू. ई. ई. और महिला विकास में ई. सी. सी. ई. की भूमिका को मान्यता दी गई है, वास्तविक क्रियान्वयन ई. सी. सी. ई. संबंधी अध्याय में ही वर्णित किया गया है। हालाँकि ई. सी. सी. ई. में महिलाओं के लिए कुशल रोजगार का प्रमुख प्रदाता बनने की क्षमता मौजूद है, व्यावसायिक शिक्षा का अध्याय इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं करता और न ही महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा का अध्याय कुछ कहता है। इसी प्रकार, अध्यापक और उनके प्रशिक्षण से जुड़े अध्याय ई. सी. सी. ई. के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण के मामले में कोई टिप्पणी नहीं करते। जबकि 5.1.4 (महिलाओं, बालकों और लड़कियों की अलग-अलग आवश्यकताओं) का उल्लेख करता है। आँगनबाड़ियों को कामकाजी महिलाओं अथवा बालिकाओं की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए बहुत ही कम कदम उठाए गए हैं। इसी प्रकार, डब्ल्यू. सी. डी. विभाग से अपेक्षित था कि वह ई. सी. सी. ई. के संबंध में अन्य विभागों एवं एजेंसियों के प्रयासों को समन्वित, उत्प्रेरित और उनकी निगरानी करने में प्रमुख विभाग की भूमिका अदा करेगा। ये विभाग और एजेंसियाँ महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे श्रम, कृषि, जनताजीय कल्याण, कार्य एवं आवास, सिंचाई, ग्रामीण विकास आदि में बड़ी संख्या में रोज़गार देती हैं और उनके संपर्क में रहती हैं।

वस्तुतः एक ही मंत्रालय में शिक्षा विभाग और डब्ल्यू. सी. डी. के बीच समन्वय असंतोषजनक हैं। समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डी. ई. ई. न तो ई. सी. सी. ई. के प्रति अपनी मूलभूत ज़िम्मेदारी से विमुख हो सकता है क्योंकि इसका प्राथमिक शिक्षा और यू.ई.ई. के साथ संपर्क है और न ही सभी स्तरों पर शिक्षकों की तैयारी की ज़िम्मेदारी से।

वस्तुतः इस रिपोर्ट ने अन्य कई विषयों पर भी विस्तारपूर्वक विचार किया है जैसे, आई. सी. डी. एस. को पी. आर. आई. की छत्रछाया के भीतर विकेंद्रीकृत समुदाय आधारित और पी. आर. आई. के अधीन समुदाय द्वारा प्रबंधित कार्यक्रम कैसे बनाया जाए, तथा अपेक्षित अतिरिक्त निधियाँ किस प्रकार जुटाई जाएँ ताकि छह वर्ष से कम के सभी बच्चों में से 70 फीसदी बच्चों को सन् 2000 तक अपनी पहुँच में लिया जा सके हालांकि यह एक ऐसा लक्ष्य है जिससे हम अभी कोसों दूर हैं।

---

15. राम मूर्ति, ए. 1990

यद्यपि यहाँ और आगे विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है, निष्कर्षों से यह बात स्पष्टत: उभरती है कि न केवल ई. सी. सी. ई. को ई. एफ. ए. और यू. ई. ई. के ढाँचे के भीतर लाना आवश्यक है अपितु ज़िम्मेदारी, उत्तरदायित्व और समन्वय प्रदान करते समय अधिक ध्यान दिए जाने की भी ज़रूरत है। ई. सी. सी. ई. बालक के जन्म से लेकर आठ वर्ष की अवधि को समाहित करती है, डी. ई. ई. को तीन वर्ष से ऊपर की आयु के सभी कार्यक्रमों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और डब्ल्यू. सी. डी. को 0-3 आयु वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए साथ हो दोनों विभागों के बीच समन्वय के लिए सुस्थापित तंत्र अवश्य मौजूद होना चाहिए।

3. महत्वपूर्ण मुद्दे, सामाजिक वास्तविकताएँ और नीतिगत निहितार्थ

ई. सी. सी. ई. की अनवरत "अमान्यताप्राप्त" प्रकृति और इस स्तर के कारण बड़ी संख्या में गंभीर परिणामों का सामने आना स्वाभाविक था। ई. सी. सी. ई. को शिक्षा प्रणाली के एक एकीकृत भाग के रूप में अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

3.1 सामाजिक विभाजन-समता, पहुँच और गुणवत्ता

पहला परिणाम जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के बीच भारी अंतर का होना है। यह जनसंख्या शहरी-ग्रामीण, अमीर-गरीब में बँटी हुई है तथा विभिन्न समूहों जैसे दलितों, जनजातियों, सुदूरवर्ती समुदायों, समाज द्वारा हाशिए पर रखे समूहों, विकलांगों आदि के साथ भेदभाव किया जाता है।

दूसरा परिणाम सरकारी और निजी सेवाओं के बीच ध्रुवीकरण है। यह कहना समस्या की गम्भीरता को कम करना होगा कि बाद वाला वर्ग (निजी सेवा) अमीर शहरी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और पहले वाला (सरकारी सेवा) गरीब ग्रामीणों की, परंतु विभाजन परस्परव्यापी है जैसा कि नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ठीक इस अवस्था में शिक्षा में एक दोहरापन व्याप्त हो गया है।

सरकारी सेवाएँ अधिकांशत: आई. सी. डी. एस. नामक कार्यक्रम के माध्यम से डब्ल्यू.डी.सी. विभाग द्वारा चलाई जाती हैं अथवा सहयोग प्राप्त करती हैं जिसकी शुरुआत 30 वर्ष पहले की गई थी। जो 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए छह सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। अवधारणा की दृष्टि से यह कार्यक्रम समग्र, व्यापक और एकीकृत है परंतु जमीनी स्तर पर यह असंतोषजनक रूप से क्रियान्वित हुआ है तथा इसकी गुणवत्ता में भारी अंतर है। व्यवहार में, 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा पर बल प्रदान किया गया है जबकि पोषण के लिहाज से महत्वपूर्ण अवधि 0-2 वर्ष है। डी. ई. ई. के पास बच्चों के लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा विद्यमान नहीं है क्योंकि पूर्व प्राथमिक अथवा स्कूल पूर्व कक्षाएँ बहुत ही कम सरकारी स्कूलों में होती हैं, परंतु इसका एक उल्लेखनीय अपवाद दिल्ली का संघ राज्य क्षेत्र है।

तालिका 3.1 : ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों में सामाजिक विभाजन

वर्ग	**धनी/मध्यम**	**गरीब**
स्थान	शहरी/अर्ध-शहरी	ग्रामीण
भाषा	अँग्रेज़ी	क्षेत्रीय
नियंत्रण	निजी	सार्वजनिक
पाठ्यक्रम	शैक्षणिक	समग्र/कल्याणकारी
निरीक्षण विभाग	डी. ई. ई. एंड एल.	डब्ल्यू. सी. डी.

3.1.1 क्रेच और डे-केयर केंद्र

हमारे समाज के लिए जेंडर भेदभाव और विकृत पितृसत्तात्मक मूल्यों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी मलिन बस्तियों में कार्यरत गरीब महिलाओं के लिए क्रेच (0-3 वर्ष) और डे-केयर (0-6 वर्ष) की आवश्यकता को नकारा है। इस सुविधा को उपलब्ध कराने से बड़े भाई-बहिन को, विशेष रूप से बालिकाओं को स्कूल जाने में समर्थ बनाया जा सकता है। सबसे छोटे आयु वर्ग, 0-3 वर्ष, के विशेष महत्त्व को आधिकारिक तौर पर उजागर करने की भी आवश्यकता है। इसकी ज़िम्मेदारी बड़ी आसानी से परिवार के क्षेत्राधिकार पर डाल दी गई है तथा इसके लिए राज्य की किसी भूमिका पर विचार नहीं किया गया है।

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 12 करोड़ कामकाजी महिलाएँ हैं (यह संभवत: कम संख्या है) जिनमें से 90 फीसदी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिनमें से अधिकांश निर्धन हैं, वहाँ क्रेचों और डे-केयर सेवाओं का गंभीर अभाव होना एक अनोखी स्थिति है। जबकि लगभग 2-2.5 करोड़ कामकाजी महिलाओं और उनके छह वर्ष से नीचे के साढ़े पाँच करोड़ बच्चों को क्रेचों-डे-केयर सेवाओं की आवश्यकता है, तालिका 2. 2 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इनमें से केवल 4.33 लाख ही इन सेवाओं को पाते हैं।

इसका महिला और बच्चों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बड़ी संख्या में और बड़े अनुपात में कुपोषित बच्चे इसका उदाहरण हैं। पितृसत्तात्मक समाज में मौजूद दृष्टिकोण यह मानता है कि महिलाएँ मुख्यत: घरेलू, पत्नियाँ और माताएँ ही होती हैं और बहुत कम ही कामकाजी होती हैं। यह विचार वर्तमान वास्तविकता के साथ मेल नहीं खाता है। यह समाज के मध्यमवर्गीय दृष्टिकोण के साथ भी जुड़ा है, जिसकी धारणा है कि माँ की अनुपस्थिति में बड़े-बूढ़े और परिवार के अन्य सदस्य बच्चे की देख-रेख के लिए उपस्थित रहते हैं। यह भी एक मिथ्या विचार है क्योंकि गरीब वर्गों में पृथक परिवार आज मानदंड बन गया है और बूढ़े लोग तब तक काम पर जाते रहते हैं जब तक वो काम करने में सक्षम होते हैं। गरीबों में यदि बच्चे की देख-रेख के लिए यदि कोई परिवार का सदस्य होता है तो वह होता है बड़ा भाई-बहिन जिसे घर पर छोड़ा जाता है अथवा वह माँ के साथ काम पर जाता है तो इस प्रकार वह दोनों ही स्थितियों में शिक्षा के अवसर से वंचित हो जाता है। यहाँ भी, शिशु की देखभाल करने के लिए बहिन को प्राथमिकता दी जाती है, लड़कों को आवश्यकता होने पर ही घर पर रखा जाता है। अत: ई. सी. सी. ई. के संबंध में जेंडर अंधता और जेंडर पक्षपात क्रेचों और डे-केयर के विशेष संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है, हालाँकि पारंपरिक "स्कूल पूर्व" कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों की संख्या समान ही रहती है।

3.1.2 निजी क्षेत्र

तीस वर्षों की समान अवधि में अब भी पूर्णतया अनियंत्रित निजी क्षेत्र ने जनता की माँग की प्रतिक्रिया में व्यापक वृद्धि दर्शायी है। संभवत: आई. सी. डी. एस. की तुलना में अधिक बच्चों तक इसकी पहुँच है। आज अनेक ऐसे गरीब लोग हैं जो निजी क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अनेक बलिदान करते हैं जबकि सरकारी क्षेत्र ग्रामीण, मलिन बस्तियों और आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

मोटे तौर पर, यह कहा जा सकता है कि अधिकांश निजी स्कूल अँग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं अथवा दावा करते हैं, हालाकि प्राय: यह बात वास्तविकता से बहुत परे होती है। साथ ही सरकारी क्षेत्र क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृ भाषा के माध्यम के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। यह सरकारी क्षेत्र की लोकप्रियता का एक कारण भी कहा जाता है क्योंकि अँग्रेज़ी के ज्ञान को समाज में ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का मुख्य रास्ता ही माना जाता है। तथापि, यह आशा यथार्थ में कई बार पूरी नहीं हुई। अत: अँग्रेज़ी का ज्ञान एक अन्य प्रमुख सामाजिक विभाजन बन गया है, जो अन्य जगहों की ई.सी.ई. में भी दिखाई दिया है।

निजी क्षेत्र के भीतर भी व्यापक भिन्नताएँ हैं। ये भिन्नताएँ उच्चवर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहे सुस्थापित श्रेष्ठ स्कूलों से लेकर ऐसे स्कूलों तक विद्यमान

हैं जो बड़ी संख्या में हैं। ये असंतोषजनक ढंग से संचालित हैं, जिनमें छात्रों की भारी संख्या है। ऐसे विद्यालय भी हैं जिनके पास पूरा बुनियादी ढाँचा नहीं है और वे गैराजों में चल रहे हैं, जहाँ छात्रों को अस्वास्थ्यकर स्थान में ठूँस दिया जाता है तथा उन्हें प्रारंभिक अवस्था में उनके लिए अनुपयुक्त तीन "आर" (रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक सिद्धांतों) के सहारे पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में नया प्रचलन "विशेषाधिकार युक्त" विदेशी और अत्यंत खर्चीले मॉडल के स्कूल हैं जो नए शहरी उच्च वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

पिछले तीस वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समान गहरे सामाजिक विभाजन बड़ी संख्या में पैदा हो गए हैं। विशेष रूप से 1991 से, निजी स्कूल निरंतर जनसंख्या के नए से नए वर्गों तक पहुँच रहे हैं जिसका आधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। इससे ज़्यादा खराब स्थिति यह है कि सरकारी प्राथमिक प्रणाली में ही दो धाराएँ पैदा हो गई हैं जिनमें से एक है-सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा चलाए जाने वाले पूर्णत: वित्त पोषित स्कूलों में जहाँ प्रशिक्षित और योग्य अध्यापक होते हैं तथा दूसरी धारा है, विभिन्न हलके स्वरूप वाले स्कूल जो विभिन्न नामों से चल रहे हैं, जैसे वैकल्पिक स्कूल, ई.जी.एस. और अनौपचारिक शिक्षा जिसमें केवल व्यावसायिक शिक्षकों का प्रयोग किया जाता है और जो अत्यंत हाशिए पर रह रहे समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऐसा ई. सी. सी. ई. द्वारा संवैधानिक आश्वासनों और रक्षा उपायों का प्रयोग न करने के कारण हुआ है।

3.1.3 गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) क्षेत्र

यह क्षेत्र बहुत ही छोटा परंतु प्रभावशाली है। इसका फैलाव भी कम है और प्रदान की जाने वाली सेवाएँ विविध हैं जिनमें देश में अत्यधिक अभिनव और उच्च गुणवत्ता वाले कुछ कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच और डे-केयर की सुविधा। तथापि, इस क्षेत्र का एक भाग ऐसा भी है जो या तो सरकारी क्षेत्र के मॉडल का अनुकरण करता है या किसी निजी क्षेत्र की नकल करता है तथा इसकी बोझिल औपचारिक शिक्षा छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त है। परंतु, यह छोटा सा क्षेत्र किसी भी प्रकार से मौजूद विशाल अंतराल को कम नहीं कर सकता है। हालाँकि इसे अभी अनेक सबक सीखने हैं। अंतर तालिका 3.2 में देखा जा सकता है :

तालिका 3.2 : तीन क्षेत्रों में ई. सी. सी. ई. की विशेषताएँ

मद	सरकारी (अर्ध-सरकारी और अनुदान प्राप्त)	स्वैच्छिक	निजी
1. लक्ष्य	नीति क्रियान्वयन	सामाजिक हित	लाभ
2. नाम/कार्यकर्ता का नाम	आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक	बालवाड़ी/बाल देखरेख केंद्र बालवाड़ी शिक्षक/कार्यकर्ता	स्कूल (नर्सरी, पूर्व प्राथमिक, इत्यादि)
3. उद्देश्य और क्षेत्र	व्यापक, समग्र विकास और सामुदायिक ज़रूरतें	बच्चों की देखरेख/विकास/शिक्षा स्कूल की तैयारी	औपचारिक शिक्षा तथा
4. अवयव	छह का पैकेज	विविध, ज्यादातर सेवाएँ आईसीडीएस में	शिक्षा, कुछ देखभाल और पोषण निगरानीपरक

5. शिक्षण-अधिगम उपागम	कार्यकलाप आधारित अनौपचारिक	विविध, औपचारिक से अनौपचारिक	औपचारिक, स्कूली
6. लक्ष्य समूह	नीति द्वारा पारिभाषित प्राप्त वर्ग	निम्न आय एवं अल्पसुविधा अनुसार	सामाजिक माँग के
7. अभिभावकों के लिए लागत	नि:शुल्क	नि:शुल्क/नाममात्र के प्रभार	तरह-तरह के भुगतान
8. कार्यकर्ता की तैयारी	ई.सी.ई. अवयव के साथ तीन माह का कार्य प्रशिक्षण, कभी-कभी पुनश्चर्या कोर्सेस	भिन्न-भिन्न, अनौपचारिक गैर-स्तरीय	न्यूनतम, शून्य अथवा असंगत प्रशिक्षण
9. सामुदायिक सहभागिता	कम	भिन्न, कम से अधिक की ओर	कम/शून्य
10. कार्यक्रम में लचीलापन	शून्य, मानकीकृत ऊपर से स्थिर	बच्चे एवं समुदाय के परिप्रेक्ष्य के अनुसार, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील	मानकीकृत और स्वेच्छाचारी ढंग से निर्मित
11. स्वयं द्वारा सोचा गया स्वामित्व	सरकारी	चर, निम्न से उच्च, समुदाय स्वामित्व	व्यक्तिगत/कम्पनी आधारित
12. प्रबंधन शैली	श्रेणीक्रम आधारित अपारदर्शक	सहभागिता एवं पारदर्शिता का प्रयास	श्रेणीक्रम आधारित और अपारदर्शी

3.2 ई. सी. सी. ई. परिदृश्य की गुणात्मक तसवीर

ई. सी. सी. ई. के गुणात्मक आयामों के बारे में सामान्य तसवीर प्रोत्साहित करने वाली नहीं है। हालाँकि तीनों क्षेत्रों में कतिपय उत्कृष्ट उदाहरण विद्यमान हैं।

शोधकर्ताओं ने गुणवत्ता को एक ओर न्यून रक्षा उपायों के साथ लगातार देखभाल करने, दूसरी ओर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी सुविधाओं के प्रावधान करने के रूप में देखा। मुंबई में शहरी प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर किए गए अध्ययन ने दर्शाया है कि मुम्बई[16] के आई. सी. डी. एस. केंद्रों में से केवल 3.5 फीसदी बेहतर गुणवत्ता वाले थे जबकि अधिकांश (45.8 फीसदी) कम औसत गुणवत्ता के थे तथा 24 फीसदी अंसतोषजनक गुणवत्ता के थे। जबकि गैर सरकारी संगठनों (प्रथम) में 34 फीसदी अच्छी गुणवत्ता वाले तथा 9 फीसदी असंतोषजनक गुणवत्ता वाले थे। अधिकांश आई.सी. डी. एस. को शिक्षण तरीकों के लिए असंतोषजनक रेटिंग दी गई जबकि केवल 17 फीसदी प्रथम केंद्रों को ऐसी असंतोषजनक रेटिंग की गई, जो यह दर्शाता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों में कुछ अधिक कार्य नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार, डे-केयर के अध्ययन से पता चलता है कि यह बालकों को प्रेरणा उपलब्ध नहीं करता है जबकि परिवार के डे-केयर[17] छोटे बच्चों की देखभाल का सबसे उपयुक्त

16. दत्ता, बी. 2001 (अ)
17. दत्ता, बी. 1994

रूप है क्योंकि इसका पारिवारिक परिवेश होता है और समूह आकार भी छोटा होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और बालकों की सीखने की क्षमताओं के बीच संबंध को समझने के लिए तमिलनाडु में बालकों की संज्ञानात्मकता, भाषा, समाज-संवेदी तथा बोधात्मक-प्रेरणा संबंधी क्षमताओं का एक अध्ययन किया गया। सभी तीन क्षेत्रों में कार्यक्रम की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए तमिलनाडु[18] प्रारंभिक बाल्यावस्था पर्यावरण रेटिंग स्कूल (टीईसीईआरएस) का गठन किया गया। अध्ययन ने केंद्रों में देखी गई गुणवत्ता तथा घर एवं सामाजिक पृष्ठभूमि में प्रभावों को अनुमति देने के बाद भी विशेष रूप से संज्ञानात्मक और भाषायी क्षमता में बालक के प्रदर्शन के बीच एक सकारात्मक संबंध दर्शाया।

3.2.1 सरकारी क्षेत्र

जहाँ तक आईसीडीएस का संबंध है, नीचे दर्शाई गई तालिका 3.3 गुणवत्ता का एक व्यापक सूचक है।

तालिका 3.3 : तीन से छह वर्ष के बच्चे : कार्यक्रमों की समीक्षा

ई. सी. सी. ई. केंद्र	बालवाड़ी	डे-केअर केंद्र
आई.सी.डी.एस. वैश्वीकरण के कारण अत्यंत कम संख्या	आई.सी.डी.एस. वैश्वीकरण के कारण समाप्त की जा रही है	विकासात्मक रूप से अधिक उपयुक्त होने की ज़रूरत

आई. सी. डी. एस. : मुख्य प्रदाता, परंतु ईसीसीई इसका एक कमजोर अवयव है।

व्याप्ति : लक्ष्य समूह के पाँचवें भाग से भी कम।

कमजोर पहुँच : स्थान और जाति / आगनबाड़ी (ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू.) कार्यकर्ता महत्वपूर्ण कारक।

असंतोषजनक सेवाएँ : विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में प्रारंभिक बाल्यावस्था स्कूल की तुलना में अधिक पोषण केन्द्र।

अल्प उपयोग/उपयोग न होना : कमजोर बुनियादी ढाँचा, सामग्री की कमी, शेष दिन के लिए वैकल्पिक डे-केयर की ज़रूरत, पोषणीय पदार्थों की घटिया गुणवत्ता और वितरण में अनियमितता।

गैर-प्रेरित कार्यकर्ता : अपर्याप्त प्रोत्साहन, औचित्यहीन कार्य चार्ट, प्रशिक्षण और कार्य परिस्थिति के बीच प्राय: तालमेल का अभाव

असंतोषजनक निगरानी तथा सामुदायिक स्वामित्व का अभाव।

समग्र : अत्यधिक कार्यभार, संशोधित डिजाइन और वित्तीय/मानव संसाधन जैसे नए सहायक निवेशों के अभाव में अधिक ज़िम्मेदारी नहीं ली जा सकती। मजबूत आईईसी अवयव की आवश्यकता, तेज़ी से फैल रहे निजी स्कूलों के पर्यवेक्षण की आवश्यकता।

स्रोत : "रीचिंग आउट टू चाइल्ड" बाल विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण, मानव संसाधन क्षेत्र, दक्षिण एशिया क्षेत्र विश्व बैंक, सितंबर 2004

3.2.2 निजी क्षेत्र में ई. सी. ई. के मौजूदा प्रयोग

हालाँकि, विशेष रूप से उच्च सामाजिक स्तर पर उत्कृष्टता के अनेक उदाहरण हैं तथा अनेक अच्छे निजी स्कूल हैं, इनमें से अधिकांश निम्नलिखित अवांछनीय व्यवहारों से

18. एम.एस.एस.आर.एफ. 2000

अधिकतर प्रभावित होते हैं :

- **बोझ से बोरियत तक :** इस स्तर पर कई विविधताएँ देखी गई हैं, कई बच्चे अत्यधिक तनाव का अनुभव कर रहे हैं। वे अवांछित और अवास्तविक अपेक्षाओं से दबे हुए हैं, तसवीर के दूसरी ओर कुछ ऐसे केंद्र हैं जहाँ बहुत कम कामकाज हो रहा है। समान दिनचर्या दोहराई जाती है तथा बच्चों को एक ही स्थान पर चुपचाप बैठने को कहा जाता है। बच्चे इस दिनचर्या को बोझिल, अरुचिकर तथा उबाऊ पाते हैं।
- **दाखिला :** अनेक निजी स्कूलों द्वारा दाखिला पाने के इच्छुक बच्चों और अभिभावकों का साक्षात्कार लेना एक सामान्य प्रक्रिया है। बच्चे के सामान्य ज्ञान की परीक्षा की जाती है तथा उसे वे काम कराए जाते हैं, जो प्रवेश पाने के पश्चात् उससे कक्षा में कराए जाने अपेक्षित हैं। इसके परिणामस्वरूप अभिभावकों तथा बच्चों में दबाव, तनाव और चिंता बढ़ती है और इसका बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
- **संरचनात्मक सीखने में जल्द शुरुआत :** आज अधिकांश ई. सी. ई. कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा का अधोमुखी विस्तार मात्र बन कर रह गए हैं। ई. सी. ई. का अत्यधिक बड़ा पाठ्यक्रम बच्चों को उस आयु में एक बहुत ही संरचनात्मक और रूढ़ शिक्षा की ओर ले जाता है जबकि वे इसके लिए विकासात्मक रूप से तैयार नहीं होते हैं।
- **बालकों की विकासात्मक अवस्था एवं वांछित क्षमताओं के बीच प्रतिकूलता :** पूर्व-स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यचर्या विकासात्मक दृष्टि से अनुपयुक्त है। बच्चों को एक ही स्थान पर बैठाया जाता है तथा लंबे समय तक उनसे लिखने का कार्य कराया जाता है। कतिपय संज्ञानात्मक कौशल तो बताए जाते हैं परंतु समग्रतापूर्ण विकास की उपेक्षा की जाती है।
- **अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली कक्षाएँ :** लगभग 60 बच्चों को एक ही कक्षा में भर दिया जाता है, जिससे उन्हें न तो कक्षा में घूमने का और न ही परस्पर बातचीत के लिए अवसर मिल पाता है। अध्यापक व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान देने में असमर्थ होते हैं। ऐसा वातावरण चहुँमुखी विकास के लिए सहायक नहीं है।
- **अध्यापन और मूल्यांकन की औपचारिक पद्धति :** बच्चे अपना अधिकांश समय लिखने, कार्य पुस्तिकाओं अथवा अंकों की पुस्तिकाओं को भरने में बिताते हैं। कला, संगीत, ई वी एस, घर के बाहर अथवा भीतर स्वतंत्र खेलों के सीमित अवसर ही दैनिक पाठ्यक्रम में स्थान पाते हैं। चहुँमुखी विकास के लिए आवश्यक जागरूकता और चिंता का अभाव है।
- **मूल्यांकन :** मूल्यांकन भी उन्हीं मदों पर ध्यान केंद्रित करता है जो प्राथमिक स्कूलों में प्रयोग की जाती हैं, जैसे, पढ़ने-लिखने, श्रुतलेख, गणित और कला में सक्षमता। विकासात्मक दृष्टिकोण से बच्चों के मूल्यांकन पर कोई जोर नहीं दिया जाता है।
- **गृह कार्य :** बच्चों को लिखित गृह कार्य दिया जाता है। बच्चे लेखन-कार्य के लिए तैयार नहीं होते हैं तथा घरों पर संघर्ष करते रहते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उनके खेल के समय का नुकसान होता है, जोकि इस अवस्था में उनका अधिकार है।
- **उचित उपकरण और खेल सामग्री का अभाव :** सीमित आपूर्ति उपलब्ध है। कभी-कभी यह केवल प्रदर्शन के लिए अधिक होती है। कभी-कभी किसी विशेष मौकों पर ही बालकों को उपकरण और सामग्री[19] खेलने की अनुमति दी जाती है।
- **शिक्षकों का पारिश्रमिक :** अधिकांश शिक्षक अप्रशिक्षित हैं तथा उन्हें छोटे बच्चों के साथ काम करने के तरीके का ज्ञान नहीं होता है। उनका पारिश्रमिक कम और हर स्कूल में अलग-अलग होता है।

3.2.3 समयपूर्व शिक्षा के जोखिम

देश के दस प्रमुख शहरों में एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा प्रतिष्ठित स्कूलों में कराए गए सर्वेक्षणों ने समान रूप से यह दर्शाया है कि एन. पी. ई. की हिमायत के अनुसार

खेल आधारित, विकासोन्मुखी ई. सी. ई. के कार्यक्रम मानदंडों की तुलना में अपवाद अधिक हैं यानि कसौटी पर खरे नहीं हैं। सभी प्रमुख शहरों में किए गए पाठ्यक्रम के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 3-4 वर्ष के बच्चों को न केवल पहली और दूसरी कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए न तो वे बौद्धिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से परिपक्व होते हैं। बच्चों को नियमित परीक्षाएँ देनी होती हैं तथा नियमित रूप से गृहकार्य भी करना पड़ता है।[20,21]

अंतरअनुशासनिक शोधों ने बच्चों पर प्रारंभिक शिक्षा के हानिकारक प्रभावों को दर्शाया है। गुलाटी[22] ने बच्चों में सामाजिक विकास और स्वास्थ्य पर दबाव के प्रभावों का निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सांस की तकलीफें, पैरों, हाथों और पीठ में दर्द, बार-बार बुखार आना तथा वजन में असंतोषजनक वृद्धि सामान्य तौर पर देखी गई है। लगभग 82 फीसदी में अनियमित आंत की तकलीफें होती हैं तथा उनकी नींद भी प्रभावित होती है।

एलकिंड[23] के अनुसार व्यापक रूप से औपचारिक शिक्षण की ओर प्रेरित करने के कारण बच्चों को नुकसान हो रहा है। आने वाले जोखिम को वे गलत शिक्षा का नाम देते हैं। उनके अनुसार बच्चों को बेवजह जोखिम की ओर धकेला जा रहा है। उनके अनुसार ये जोखिम अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के हैं। अल्पकालिक जोखिम में, बच्चों में तनाव के लक्षण देखे जाते हैं। दीर्घकालिक जोखिमों के प्रेरणापरक, बौद्धिक क्षमता और सामाजिक व्यवहार पर दूरगामी प्रभाव होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का खतरा बच्चों की सीखने की इच्छा पर एक चोट है। छोटे बच्चों की सीखने की अपनी ही प्राथमिकताएँ होती हैं तथा ये आत्म-निर्देशित होती हैं। जब वयस्क उसके इस आत्म-निर्देशित तरीके से सीखने का अतिक्रमण करते हैं तथा सीखने की उनकी प्राथमिकताओं पर पढ़ने और लिखने जैसी बातें थोपते हैं, तो वे उनकी आत्म निर्देशित अंत: प्रेरणा में हस्तक्षेप कर रहे होते हैं और बच्चे की पहल करने की आदत को कमज़ोर करते हैं।

कात्ज़[24] मानती हैं कि शैक्षणिक कौशल को शीघ्र प्रारंभ करने की प्रवृत्ति स्वयं बच्चे द्वारा अर्जित कौशल का उपयोग करने संबंधी बच्चे की मनोवृत्ति के विकास को धीमा या कमजोर करती है। पढ़ने के लिए दिए गए प्रारंभिक पाठ और अभ्यास बच्चे के अच्छे पाठक बनने की मनोवृत्ति को दुर्बल बनाते हैं। उनके अनुसार, इस बात को मानने के पीछे कोई बाध्यकारी साक्ष्य नहीं है कि शैक्षणिक कार्य को शीघ्र प्रारंभ करना स्कूलों में दीर्घकालिक सफलता की गारंटी प्रदान करता है। एक अन्य प्रभाव सामाजिक-संवेदनशील विकास पर है। औपचारिक संरचना में जब बच्चे उनसे अपेक्षित विषयवस्तु अथवा कार्यों से जुड़ नहीं पाते हैं, ऐसी संभावना होती है कि वे खुद को असक्षम महसूस करें। स्कूल के कार्य से संबंध रखने में असमर्थता से बार-बार होने वाले अनुभव के कारण तथाकथित "सीखकर ग्रहण की गई बेवकूफी"[25] (Learned Stupidity) का मार्ग प्रशस्त होता है।

3.2.4 निजी क्षेत्र पर एक नज़र

- इन "स्कूलों" में से अधिकांश अत्यंत निम्न स्तर के हैं और कभी-कभी ऐसे प्रकार के हैं जो बच्चों पर विनाशकारी और कहना होगा कि खतरनाक प्रभाव डालते हैं और वे लाखों बच्चों को प्रभावित करते हैं।
- उनका प्रभाव हानिकर है, तथा उनके परिणामस्वरूप वर्ग और शक्ति के मुद्दे खड़े हो सकते हैं। इसके बावजूद भी वे उदाहरण स्थापित कर रहे हैं और पब्लिक एवं स्वैच्छिक संगठनों के लिए गति निर्धारक बन रहे हैं।

20. कौल, 1997
21. उपाध्याय, जी.सी. 2000
22. गुलाटी, ए. के. 1992
23. एलकिंड, डी. 1987
24. कात्ज़, एल. 1987
25. कौल, वी. 1997

- यह अभिभावकों की जानी-पहचानी आदत है कि जैसे ही वे आर्थिक स्तर पर सक्षम होंगे वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से इन स्कूलों में भरती करा देंगे। प्राय: वह ऊँची कीमत और कई बलिदान देकर भी ऐसा करते हैं। उनको लगता है उनके बच्चे बहुत उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। यह न केवल समुदायों के बीच आम है बल्कि समुदायों और क्षेत्रों के बीच भी आम है।
- निजी क्षेत्र के सुधार, विनियमन और यहाँ तक कि सर्वेक्षण में सरकार की रुचि के अभाव को हाल ही में निजीकरण, उदारीकरण की कार्य-पद्धतियों के उदय होने तथा बाजार की प्रकृति के परिणामस्वरूप नया बल मिला है जिसे चुनाव की स्वतंत्रता के लिए सम्मान करने की अपीलों द्वारा सहारा मिला है।
- हाल के संविधान संशोधन ने दुर्भाग्यवश केवल इस गैर-मान्यता को ही विधिक बनाया है तथा इन भयंकर अत्याचारों पर 'आँखें मूंद लेने' को कानूनी रूप दे दिया है।

3.2.5 देखरेख संबंधी अवयव

डे-केयर के अध्ययनों से पता चलता है कि वंचित वर्ग की कामकाजी महिलाएँ सर्वाधिक प्रभावित थीं क्योंकि उनमें से लगभग 66 फीसदी बिना किसी सहायता[26] के अपने बच्चों की देखरेख कर रही थीं। ये माताएँ खेतिहर मजदूर, ठेका श्रमिक तथा स्वरोजगार के काम में लगी हुई थीं। सेठी[27] की भी असंगठित क्षेत्र में कामकाजी माताओं के बारे में यही टिप्पणियाँ थीं। डिसूजा[28] ने देखा कि किसी पारिवारिक सहायता के बिना प्रवासी माताएँ सर्वाधिक प्रभावित थीं क्योंकि उनमें से 78 फीसदी के लिए उनके बच्चों हेतु कोई सहायता नहीं थी तथा 48 फीसदी उन्हें बिना देखरेख के अकेला छोड़ देती थीं।

वंचित वर्ग की माताओं के लिए यह आम बात है कि वे अपने छोटे बच्चे को भाई-बहिन की देख-रेख में छोड़ देती हैं। ये देखभाल करने वाले भी बच्चे ही होते हैं, जिन्हें बच्चों की देखभाल[29] करनी नहीं आती है। महाराष्ट्र में एक अध्ययन ने देखरेख करने वालों की विभिन्न श्रेणियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति के बीच एक निश्चित संबंध[30] दर्शाया है। 6-8 वर्ष की आयु के ऐसे छोटे बच्चों में, जिनकी देखभाल उनके बड़े भाई-बहिनों द्वारा की जाती है, गंभीर कुपोषण की घटनाएँ 55 फीसदी थीं जबकि दादा-दादी द्वारा देखे जाने वाले बच्चों में यह दर 21 फीसदी थी तथा माँ की देख-रेख में रहने वालों की 8.5 फीसदी थी।

एन. आई. पी. सी. सी. डी.[31] द्वारा 1998 में संचालित तथा सी. एस. डब्ल्यू. बी. द्वारा समर्थित क्रेचों की संख्या उस समय लगभग 13,000 थी। इनके अध्ययन में यह पता चला कि आधे से अधिक बच्चे तीन वर्ष की आयु से अधिक के थे, जबकि योजना का आशय कामकाजी महिलाओं के 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख करने का था। इसके अलावा, अनेक माताओं के कार्य की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि रिकॉर्ड नहीं बनाए गए थे तथा यह पता चला कि अधिकांश मामलों में गुणवत्ता भी बहुत खराब थी। इसका कारण अत्यंत सीमित बजट में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन का अभाव और उनका अत्यंत अल्प वेतन और साथ ही पर्यवेक्षण और पर्याप्त सामग्री का अभाव था। तथापि, अनेक ई. सी. सी. ई. केंद्रों की गुणवत्ता के बारे में कोई भी अध्ययन नहीं किया गया जो विभिन्न नामों से चल रहे हैं जैसे, बालवाड़ी, क्रेच, डे-केयर। ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सांप्रदायिक एजेंसियों की सहायता से अन्य एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हैं।

---

26. भारत सरकार, 1985
27. सेठी, आर. एम. 1982
28. डी' सूजा 1979
29. श्रीराम, आर. और गणपति 1997
30. शाह, पी.एम. एवं सहयोगी 1979
31. गोपाल ए. के. 1998

शहरी मध्यम वर्ग में 'लैचकी' बालक एक आम बात है, क्योंकि जब वे स्कूल से घर आते हैं तो उपेक्षणीय सेवाएँ उनका इंतजार कर रही होती हैं। वैकल्पिक तौर पर, घरेलू सहायता, "आया" और घरेलू नौकर ही बालकों की देखभाल करते हैं जोकि शहरी मध्यमवर्गीय परिवारों में एक प्रचलित फैशन है। तथापि, देखभाल के इस रूप के अंतर्गत आने वाले बालकों ने बौद्धिक तथा सामाजिक परिपक्वता परीक्षाओं में अन्य तरह की देखभाल[32] में रहने वाले बच्चों की तुलना में बहुत कम अंक प्राप्त किए। उपयुक्त आँकड़े सुझाते हैं कि ई. सी. सी. ई. का देखभाल संबंधी अवयव कमजोर है तथा बड़ी संख्या में ऐसे बालकों को, जो या तो समुचित देखरेख प्राप्त नहीं कर रहे हैं अथवा जिन्हें अपना ध्यान स्वयं रखने के लिए छोड़ दिया जाता है, उन्हें अपनी पहुँच में लाने के लिए तत्काल ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

3.2.6 गैर सरकारी संगठन (एन. जी. ओ.)

यह एक अन्य क्षेत्र है जिसके बारे में पक्के तौर पर बहुत कम ही ज्ञात है क्योंकि बच्चों की देखभाल में लगे गैर सरकारी संगठनों की न तो वास्तविक संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण अथवा अनुमान है और न ही इस बारे में कुछ पता है कि वे किस प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं। तथापि, कुछ ऐसी उत्कृष्ट संस्थाएँ भी हैं जो अभिनव कार्यक्रमों के विकास में अग्रणी हैं, परंतु इनकी संख्या बहुत कम है। शेष में से, कुछ निजी स्कूलों की पद्धति का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ डे-केयर और बालवाड़ी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

नए कार्यक्रमों के संदर्भ में, 1994-95 में एम. एस. एस. आर. एफ. द्वारा ऐसी ही आठ अभिनव बाल संस्थाओं का अध्ययन सुरक्षा शृंखला के अंतर्गत किया गया था जिसके निम्न पहलू[33] उभर कर आए। इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में योगदान देने वाले कुछ समान कारक हैं-स्थानीय आवश्यकता एवं संदर्भ के प्रति लचीलापन और प्रतिक्रियात्मकता, समुदाय की भागीदारी और संपर्क, विविधतापूर्ण वित्त-पोषण और समुदाय संसाधानों का अर्जन, कार्यकर्ताओं का प्रक्रियोन्मुखी प्रशिक्षण ताकि क्षमता और विश्वास हासिल किया जा सके तथा ठोस सामुदायिक सहायता जो आत्म-सम्मान में वृद्धि की ओर ले जा सके : निर्णय लेने और मूल्यों के अपनाए जाने में सहभागिता के साथ मजबूत नेतृत्व और बेहतरीन दो-तरफा संवाद। उच्च गुणवत्ता उच्च लागत से संबंधित थीं परंतु इनका आपस में कोई मेल नहीं था, अर्थात् उच्च लागत का मतलब उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना नहीं था। लागत और गुणवत्ता के बीच संबंध दर्शाने वाली तालिका 3.4 इस पर प्रकाश डालती है :

तालिका 3.4 : लागत-गुणवत्ता संबंध

क्रम सं.	उच्च लागत/उच्च गुणवत्ता	कम लागत/कम गुणवत्ता
1.	उच्च कार्यकर्ता-बालक अनुपात	निम्न कार्यकर्ता-बालक अनुपात
2.	उच्च कार्यकर्ता वेतन तथा बेहतर कार्य परिस्थितियाँ जिसके परिणास्वरूप संतोष/प्रेरणा प्राप्त हो	कम वेतन तथा खराब कार्य परिस्थितियों से उत्पन्न अनुपस्थिति, संताप, हतोत्साह और कार्य से कम संतुष्टि
3.	उच्च सुपरवाइज़र-कार्यकर्ता अनुपात	कम अनुपात अथवा सुपरवाइज़र नहीं
4.	लचीली कार्यशैली	निश्चित कार्य शैली
5.	सतत प्रशिक्षण प्रारंभिक प्रशिक्षण	शून्य/कम प्रशिक्षण अथवा केवल एक

32. दत्ता, वी. 1994

33. एम. एस. एस. आर. एफ. और एन.आई.पी.पी.सी.डी. 1996

6.	स्थानीय पहलों तथा निर्णय लेने के लिए समुदाय को स्थान और सहभागिता	सामुदायिक सहभागिता के लिए कम/शून्य अवसर के साथ केंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया

स्रोत : लर्निंग फ्रॉम इन्नोवेशन

दूसरी ओर, अध्ययन किए गए सभी कार्यक्रम छोटे थे तथा शालीन विस्तार के लिए ही योजना थी, जिससे आकार और गुणवत्ता के बीच एक विपरीत संबंध दिखता है।

3.3 सभी के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करना

बच्चों के लिए किसी भी कार्यक्रम के परिणाम को निर्धारित करने में गुणवत्ता एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है।

अध्ययन दर्शाते हैं कि बेहतर तरीके से डिजाइन किए गए प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम बच्चों के जीवन में एक सकारात्मक अंतर ला सकते हैं। इसके अलावा व्यापक और शीघ्र ही क्रियान्वित कर लिए गए कार्यक्रमों के प्रभाव अत्यंत ठोस थे तथा उनमें किए गए कार्यों की समीक्षा का अवयव भी मौजूद होता तो उससे लाभों[34] को बनाए रखने में सहायता मिलती। मोटे तौर पर, गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों को स्वस्थ और सामान्य शारीरिक, मनो-सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना ही चाहिए जिनके लिए बच्चे के रोजमर्रा के अनुभव महत्वपूर्ण हैं। गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम विकसित करने के लिए अनेक मोर्चों पर सतत् प्रयासों की आवश्यकता है (चित्र 31 देखें)।

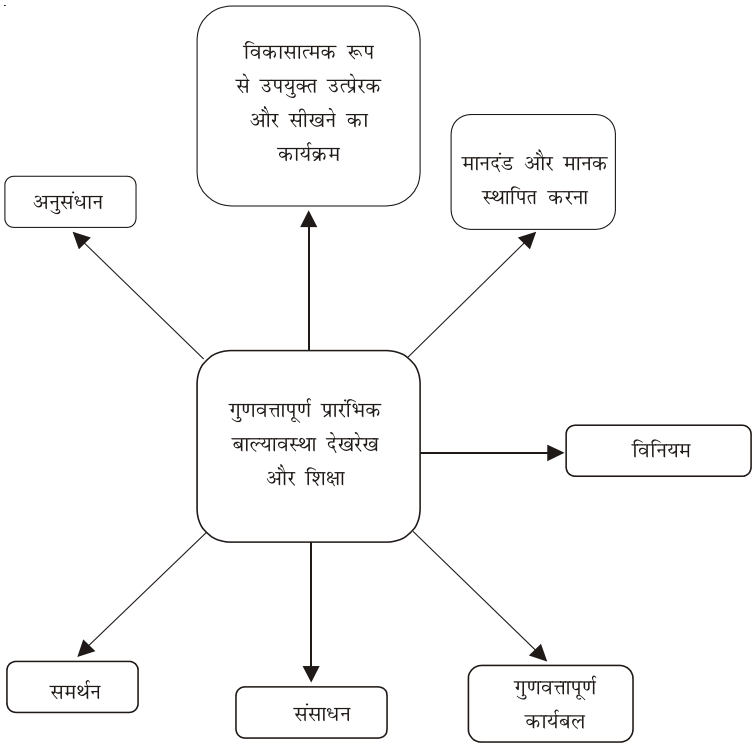

चित्र 3.1: गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियाँ

34. कैरोली और सहयोगी

3.3.1 मानदंड और मानक तैयार करना

संकेतकों को और मानकों को ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों के लिए निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में और प्रत्येक उद्देश्य के संबंध में पारिभाषित करना होगा। उद्देश्य के संदर्भ में कतिपय अंतरों की अपेक्षा की जाती है, भारतीय और विश्वव्यापी अनुभव[35] ने **गुणवत्ता के निम्नलिखित बुनियादी अथवा अनिवार्य** तत्वों को चिह्नित किया है:

1. **पाठ्यक्रम :** क्रियाकलाप-आधारित, बाल-केंद्रित, उम्र के अनुकूल, चहुँमुखी विकास पर आधारित, संदर्भ के अनुकूल तथा लचीला।
2. **अध्यापक :** प्रयोगात्मक हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के माध्यम से छोटे बच्चों के साथ कार्य करने में लगभग प्रशिक्षित तथा लगन वाले शिक्षक : शिक्षक के दर्जे से मान्यता प्राप्त : उपयुक्त वेतन।
3. **अनुपात और समूह आकार :** ऐसा हो जो वयस्कों और बच्चों के बीच संपर्क में सहायता करे तथा बच्चे की उम्र के साथ परिवर्तित हो।
4. **बुनियादी ढाँचा :** बच्चों की आवश्यकताओं में सहायक, कम लागत वाला और संस्कृति के अनुसार हो।
5. **पर्यवेक्षण और निगरानी** ऐसी हो जो गुणवत्ता[36] में सुधार को प्रोत्साहित करे।

स्तरों, आवश्यकताओं, संदर्भों और समझ की विविधता पर विचार करते हुए सभी के लिए एक ही समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम भी हैं जो विभिन्न अवयवों अथवा अवयवों के विभिन्न जोड़े प्रदान करते हैं। तथापि, केवल प्रत्येक समूह के लिए ही विभिन्नता की एक निश्चितशृंखला हो सकती है। जबकि श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के विभिन्न उदाहरणों को प्रतिस्पर्धा के उदाहरणों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तथापि इसे न्यूनतम होना चाहिए।

संकेतकों का निर्धारण करते हुए, यह अनिवार्य है कि सभी पक्षों को शामिल किया जाए - शिक्षा प्रदाता, कक्षाओं के अध्यापक/बालकों की देखरेख करने वाले कार्यकर्ता, अभिभावक, समुदाय और सरकार (उपयुक्त स्तर/अवस्था में)। शिक्षा प्रदाता बुनियादी आवश्यकताएँ प्रदान कर सकते हैं, अभिभावकों की ज़रूरतों और विचारों को सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए, अध्यापकों की समस्याओं को समझा जाना चाहिए तथा महिलाओं की सहभागिता पर विशेष जोर देते हुए समुदाय की सहभागिता होनी चाहिए। ये सभी बातें अनिवार्य हैं। सरकार को बच्चों के विकास और शिक्षा के अधिकारों (जैसाकि सी आर सी में निहित है) के लिए निगरानी करने वाले और संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए।

3.3.2 विनियमन

पूर्व पृष्ठों में उल्लिखित समीक्षा ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों विशेष रूप से निजी क्षेत्र में ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों की असंतोषजनक गुणवत्ता के बारे में बताती है। यह आवश्यक है कि सरकार उपयुक्त विनियामक प्रक्रिया के माध्यम से घटिया गुणवत्ता वाले ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व उठाए। तीन क्षेत्रों– सरकारी, निजी और स्वैच्छिक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्यनीतियाँ और दृष्टिकोण बनाने होंगे जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

1. *सरकारी क्षेत्र* - संदर्भ की विशेषता, प्रासंगिकता और लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए अपने यथावश्यक विभिन्न विभागों के माध्यम से अत्यधिक उपेक्षित और हाशिए पर पड़े समूहों को प्राथमिकता देते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएँ सीधे प्रदान करता है।
2. *निजी क्षेत्र* - इनमें विविध सेवाएँ प्रोत्साहित करना और उन्हें बाज़ार द्वारा वहन करने योग्य प्रभार वसलूने की अनुमति देना परंतु साथ ही स्तर और स्थापित मानकों पर कायम रहते हुए कमजोर वर्ग का शोषण रोकना तथा उचित प्रवधान के माध्यम से पंथ निरपेक्ष भेदभाव रहित नीतियाँ अपनाना, इसमें अत्यधिक सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के लिए अधिकतम गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में कार्य करना।
3. *स्वैच्छिक क्षेत्र*- न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विविध सेवाओं को प्रोत्साहन, विकास और

35. इवान्स, जे. 1996
36. लव और सहयोगी

समर्थन प्रदान करना है। साथ ही विनियमों के माध्यम से सांप्रदायिक एवं निषेधित प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करता है : कठिन क्षेत्रों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देता है तथा अभिनव व्यवहारों का विकास करता है।

जबकि निजी क्षेत्र में न्यूनतम मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंसिंग ऐसी पद्धति है जो अनेक देशों द्वारा अपनाई जाती है, परंतु भारत के संदर्भ में अपेक्षित विशाल तंत्र और लाइसेंस प्रणाली में भ्रष्टाचार पनपने की संभावना पर विचार करते हुए यह प्रणाली व्यावहारिक नहीं है। पंजीकरण एक ऐसी बीच की पद्धति है जो कार्यक्रमों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है और कतिपय मानदंडों का पालन करती है। तथापि, न्यूनतम मानदण्ड उपलब्ध कराने के लिए ऐसी पद्धतियाँ बहुत हद तक प्रबंधन की इच्छा पर निर्भर रहती हैं तथा अभिभावकों पर भी निर्भर होती हैं, जो भ्रष्टाचार की सूचना दें ताकि पंजीकरण रद्द हो सकें। पर्यवेक्षण और निगरानी महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं। परंतु ये सामान्तया उन कार्यक्रमों में अपनाई जाती हैं जिन्हें अपने वित्त प्रदान कराने वालों को रिपोर्ट देनी होती है। हालाँकि प्रत्यायन गुणवत्ता नियंत्रण का उच्चतम साधान है, परंतु इसे क्रियान्वित करना भी बहुत मुश्किल है। तथापि, स्व-मूल्यांकन के माध्यम से कार्यक्रम को लेकर तथा उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में यह बेहतर परिणाम पैदा कर सकता है।

जब हम छोटे बच्चों के विकास के संबंध में कार्य कर रहे होते हैं, तो यह आश्वासन देने का कोई मार्ग अवश्य होना चाहिए कि प्रदान किये जा रहे कार्यक्रम की गुणवत्ता उपयुक्त है ताकि बच्चों पर इसके परिणाम भी सकारात्मक हों। आज तक, सरकार की ओर से इस बारे में कोई अपेक्षा नहीं है कि इन कार्यक्रम को कौन चलाएगा, ये कैसे चलेंगे और बच्चों के विकास के लिए अत्यधिक सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के लिए ये कैसे अधिकतम गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में कार्य करेंगे।

विनियमन के प्रति स्वैच्छिक प्रयास का एक उदाहरण महाराष्ट्र फोर्सेस, आईएपीई, मुम्बई तथा महाराष्ट्र बाल शिक्षण परिषद द्वारा गठित महाराष्ट्र बाल विकास बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है। बोर्ड ने नामांकन, पंजीकरण, मान्यता और प्रत्यायन की एक प्रणाली तैयार की है। प्रत्येक चरण के लिए मानदंड स्थापित किए गए हैं तथा एक स्टार प्रणाली के आधार पर एक निश्चित समय अवधि के लिए मान्यता-प्रत्यायन प्रदान किया जाता है। ऐसी प्रणाली स्वैच्छिक सहभागिता को प्रोत्साहित करती है तथा ई. सी. सी. ई. केंद्र को न्यूनतम से श्रेष्ठ कार्य-संचालन में सहायता प्रदान करती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रणाली में संगठन का पंजीकरण कार्यक्रमों की संख्या और उनके प्रकार के बारे में आँकड़े एकत्र/विकसित करने में सहायता देगा। पहल करके शुरू की गई इस प्रणाली का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए, इसे प्रयोगात्मक आधार पर रखा जाना चाहिए तथा एकदम नई प्रक्रियाएँ प्रदान करने के स्थान पर इसमें संशोधन भी किया जाना चाहिए। चूँकि विनियमन राज्य का दायित्व है, ऐसे बाल विकास बोर्डों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और मान्यता दी जानी चाहिए। विनियमन प्रक्रिया में प्रारंभिक बाल्यावस्था पेशेवरों की सहभागिता उचित और उपयुक्त प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करेगी।

3.3.3 समर्थन - अभिभावकों, परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाना

निगरानी तथा गुणवत्तापूर्ण मानकों को पाने में अभिभावकों, समुदायों और स्थानीय प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी को शामिल करने का एक अनिवार्य कदम ई. सी. सी. ई. के बारे में, इसके उद्देश्य और प्रकृति के विषय में तथा साथ ही गुणवत्तापूर्ण ई. सी. सी. ई. के समर्थन में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। यहाँ सरकार को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी जिसमें विशेष रूप से धनराशि उपलब्ध कराना, ई. सी. सी. ई. में श्रेष्ठ पद्धतियों के सकारात्मक उदाहरणों को प्रोत्साहित करना और घटिया गुणवत्ता एवं इसके नकारात्मक प्रभाव के संबंध में नकारात्मक प्रचार कार्य करना शामिल है।

सर्वप्रथम, जीवन के सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों के अभिभावकों अर्थात् साधारण अभिभावकों में जीवन की इस अवधि के महत्त्व के विषय में तथा विकास को कैसे प्रोत्साहित किया जाना है, इस संबंध में अत्यंत कम अथवा बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। इसके अलावा,

बड़ी संख्या में अभिभावकों को निरंतर शैक्षणिक उपलब्धि और ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता के लिए शीघ्र शुरुआत के महत्त्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रभावशाली ई. सी. सी. ई. की भूमिका, विषय-वस्तु और प्रक्रिया के बारे में दीर्घकालिक समर्थन का अभाव है। इसके अभाव में एकमात्र उपलब्ध मॉडल औपचारिक स्कूल-पूर्व का है जो 2 और 3 वर्ष की आयु और उसके बाद से छोटे बच्चों को एक यांत्रिक तरीके से तीन "आर" (रीडिंग, राईटिंग और अर्थमैटिक) के आधारभूत सिद्धांत सिखाना शुरू कर देता है, जिसका अंत केवल रटकर याद करने पर होता है। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र में, सही-अवधारणा की बनावटी सेवा की जाती है। व्यावहारिक स्तर पर उनमें बहुत कम तालमेल होता है क्योंकि शिक्षक उचित रूप से प्रशिक्षित और पर्यवेक्षित नहीं होते हैं, सामग्री दयनीय तरीके से अपर्याप्त होती है। परिणाम सेवाओं की घटिया गुणवत्ता में प्रकट होता है। वे अभिभावक जो अपने बच्चों को निजी क्षेत्र में भेजना पसंद करते हैं, उन्हें मिथ्या चयन का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें भुगतान करना होता है, परंतु सरकारी क्षेत्र के अभिभावकों के पास घटिया गुणवत्ता को झेलने के अलावा कोई पसंद नहीं होती है। अत: उपलब्ध समस्त मीडिया का प्रयोग करते हुए व्यापक समर्थन के प्रचार की आवश्यकता है।

इसका संदेश होना चाहिए-मानव विकास और मस्तिष्क विकास के लिए जीवन की इस अवधि का महत्त्व, प्रारंभिक कुपोषण और उपेक्षा के खतरे, ई. सी. सी. ई. के उद्देश्य, इसकी विषय व्याप्ति और इसका अर्थ, आयु-वर्गों के लिए अनुपयुक्त औपचारिक पद्धतियों का अत्यंत शीघ्र प्रारंभ करने के खतरे, बालक के लिए जानकार भाषा में पाठ्यचर्या को पढ़ाने का महत्त्व, स्वास्थ्य और पोषण के साथ देखरेख का जुड़ाव, इस अवस्था पर विकास और शिक्षा, झूठी अवधारणाओं को तोड़ना और बच्चों के हित में सटीक जानकारी से प्रतिस्थापित करना। साथ ही अभिभावकों की आशाओं और उनके स्वप्नों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कभी-कभी अभिभावकों की आशाएँ अयथार्थवादी होती हैं। यदि अभिभावक शिक्षण और विकास के समग्र संदर्भ में ई. सी. सी. ई. के महत्त्व को जानेंगे, तो स्कूल-पूर्व स्तर पर औपचारिक शिक्षण और सीखने के लिए दबाव में कमी आएगी। जहाँ तक इस प्रक्रिया में अभिभावकों की सहभागिता का सवाल है, यह निजी क्षेत्र में कम ही विद्यमान होती है, जहाँ प्राय: अभिभावकों के प्रति एक विरोधी प्रवृत्ति होती है तथा स्कूल और अभिभावक के बीच बहुत ही कम संवाद होता है। दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र में इसके लिए सामुदायिक सहभागिता के नारे का योगदान होता है। एन.जी.ओ. क्षेत्र संभवत: अभिभावक से लेकर समुदाय शिक्षा तक के विभिन्न उपायों द्वारा समुदाय को शामिल करने की दिशा में सर्वाधिक सफल रहा है। इसमें अन्य सामुदायिक मुद्दों और सेवाओं हेतु ई. सी. सी. ई. का एक प्रवेश स्थल के रूप में प्रयोग करना तथा ई. सी. सी. ई. के लिए समुदाय संसाधन जुटाने तक के विभिन्न उपाय शामिल हैं।

ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता गुणवत्ता में वृद्धि करने की कुंजी है। यह कार्यक्रमों की योजना एवं निगरानी, शिक्षकों को सहायता प्रदान करने तथा संसाधन जुटाने में समुदाय को अधिकार भी प्रदान करती है। इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी (पी.आर.आई.) है जिससे अभिभावक अपनी आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, पीड़ा और शिकायतों का सीधे ही निपटारा कर सकते हैं, संसाधन जुटाकर कार्यक्रम को प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

हमें ऐसे भविष्य की योजना बनानी चाहिए जहाँ बड़े कार्यक्रम (जैसे आई. सी. डी. एस.) निम्न समूह तक विकेंद्रीकृत किए जा सकें और उन्हें संचालन में अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सकें, जिसके परिणामस्वरूप वे अधिकाधिक सामुदायिक सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित कर सकेंगे तथा पाठ्यचर्या में अधिक लचीलापन तथा विविधता का समावेश भी कर सकेंगे। संबंधित सरकारी विभाग की भूमिका मानदंड और मानक उपलब्ध कराने, क्षमता विकास उपलब्ध कराने, संसाधन सामग्री जुटाने, मार्गदर्शन और निगरानी करने तथा वित्तीय संसाधानों की व्यवस्था करने की होनी चाहिए।

3.3.4 गुणवत्तापूर्ण कार्य बल

प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम में, कार्यक्रम की गुणवत्ता

का निर्धारण करने के लिए स्टाफ एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, फिर भी यह शिक्षा का सर्वाधिक उपेक्षित पहलू है। अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व प्रशिक्षण पर बल नहीं दिया जाता है। ई. सी. सी. ई. में अपर्याप्त रूप से तैयार अथवा अपरिपक्व शिक्षकों की विशाल संख्या द्वारा किए गए अंतराल को पाटने में बहुत लंबा समय लगेगा साथ ही प्रशिक्षण के लिए नए लोग भी क्षेत्र में शामिल हो रहे हैं। यह कल्पना अब भी व्याप्त है कि कोई इंसान जो बच्चों को पसंद करता है अथवा स्वयं एक माँ है, वह प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम में एक बेहतर कर्मचारी सिद्ध होगा। इसके अलावा, उन्हें प्रशिक्षण में क्या प्रदान किया जाता है वह पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण की अवधि, कार्यपद्धति तथा सिद्धांत एवं व्यवहार इन्हें जोड़ने के संदर्भ में अलग-अलग तरीके से भिन्न है। एक ओर, विश्वविद्यालय और सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम हैं जिनकी निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है तथा प्रशिक्षण एवं संगठन[37] के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं तथा दूसरी ओर निजी संस्थाएँ हैं (जो वैश्वीकरण के युग में अत्यधिक हो गई हैं) जो अपने पाठ्यक्रम चलाती हैं, जिनका पाठ्यक्रम और अवधि संबंधी कोई मानक नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप ऐसे शिक्षार्थी बाहर निकलते हैं जो छोटे बच्चों के लिए स्वस्थ कार्यक्रम विकसित करने में असमर्थ होते हैं (तालिका 3.5 देखें)।

तालिका 3.5 : ई. सी. सी. ई. कार्मिकों के संबंध में विद्यमान प्रशिक्षण कार्यक्रम

(अ) सभी तीन स्तर-सरकारी, अर्ध-सरकारी और अनुदान	परियोजना अथवा कार्यक्रम आधारित	• पूर्णत: कार्यरत/ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की संभावना के बिना या समान क्षेत्र में नौकरियों प्राप्त क्षेत्र की मान्यता के लिए पूर्णत: कार्यरत
(ब) स्वैच्छिक क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम आधारित	• आकार में छोटी परंतु गुणात्मक रूप से समृद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के लिए रोज़गार के घटते अवसरों के कारण पाठ्यक्रम समाप्त हो रहे हैं
(स) निजी क्षेत्र	स्कूल-पूर्व एवं नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण	• कुछ अच्छे कार्यक्रमों को निर्धारित मानकों द्वारा चुनौती मिल रही है। • शिक्षक प्रशिक्षण दुकानों के रूप नियम एवं मानक के बिना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध

तथापि, प्रशिक्षित स्टाफ की कोई माँग नहीं है क्योंकि न तो राज्य सरकारों ने स्टाफ की योग्यता अथवा पारिश्रमिक के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और न ही शिक्षक के लिए ई.सी.सी.ई. स्टाफ की मान्यता आवश्यक है। यह देखा गया है कि मुंबई का 83 फीसदी डे-केयर स्टाफ अप्रशिक्षित[38] था जबकि ई. सी. सी. ई. सरकारी कार्यक्रमों अथवा अनुदान प्राप्त कार्यक्रम में 37 फीसदी स्टाफ अप्रशिक्षित था। प्रशिक्षण की अवधि एक माह से लेकर एक वर्ष[39,40] थी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बालकों की शिक्षा और विकास पर जानकारियों तथा सामग्रियों का सामान्य अभाव था। आई. सी. डी. एस. कार्यक्रम (पूर्व में यह चार माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता था अब यह एक माह का है) राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक व्यवस्थित स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम है और फिर भी प्रभावी मानवशक्ति का सृजन न कर पाने के लिए इसकी आलोचना होती है। हालाँकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पाठ्यचर्या सर्वांगीण विकास के सिद्धांतों पर आधारित है, फिर भी यह कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करता। अत: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विकास के साथ गतिविधियों को जोड़ने में असमर्थ रहते हैं अथवा अपने स्वयं के कार्यक्रमों और कार्यकलापों[41] को तैयार

37. कौल, वी. 1998
38. दत्ता, वी. 2001 (अ)
39. दत्ता, वी 2002
40. क्रिस्टीना, जे. आर. 1999
41. दत्ता, वी. 2001 (अ)

करने में सफल नहीं होते हैं। हाल के समय में, निजी स्कूल प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षकों के रूप में बी. एड. और डी.एड. को नियुक्त कर रहे हैं, जो बाल विकास के सिद्धांतों को लागू करने तथा छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त शिक्षाशास्त्र का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं।

काम करने का माहौल भी प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास से जुड़ा होना चाहिए। राज्यों के किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों में कार्यरत स्टाफ को बहुत कम वेतन मिलता है, उनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कैरियर में आगे पदोन्नति पाने के अवसर नहीं हैं तथा इन्हें शिक्षक[42,43,44] के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है। इन चिंताओं के मद्देनजर, प्रारंभिक बाल्यावस्था के क्षेत्र में अनुभवी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक नई सोच तथा निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है:

1. ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना जिससे शिक्षकों को ऐसे किसी भी कार्यक्रम को पढ़ाने का अवसर मिले जो आठ वर्ष तक के बालकों की आवश्यकता पूरी करता हो।
2. मॉड्यूल संबंधी कार्यक्रमों का सृजन करके प्रशिक्षण में लचीलापन लाना होगा जो किसी अध्यापक को सर्टिफिकेट से डिप्लोमा, डिप्लोमा से डिग्री तक बढ़ने में सहायता करेगा। इनमें से प्रत्येक उपलब्धि उसे डे-केयर शिक्षक अथवा बालवाड़ी शिक्षक अथवा स्कूल का शिक्षक जैसे निर्धारित कार्यक्रमों के लिए योग्य बनाएगी।
3 शिक्षकों या देखरेख करने वालों के कौशल तथा ज्ञान को उन्नत बनाने के लिए मॉड्यूल्स तैयार करना। पाँच वर्ष की सेवा के बाद शिक्षक को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम करने के लिए समर्थ होना चाहिए।
4. प्रशिक्षण में किसी भी नई पहल को मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ देखा जाना चाहिए (बी.एड., डी. एड.,ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू., बालसेविका और निजी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालक)।
5. मौजूदा प्रशिक्षण संस्थाओं और प्रशिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
6. पर्यवेक्षकों, सहायकों तथा अन्य स्टाफ के लिए प्रशिक्षण के आवश्यक संसाधन भी सुनियोजित होने चाहिए।
7. परिवार डे-केयर जैसे बाल देखरेख के कुछ संवर्गों को विशेष संसाधन की आवश्यकता होती है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था के क्षेत्र में अनुभवी शिक्षकों के लिए कार्यक्रमों के सभी प्रकारों और स्तरों के लिए सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था डी. ई. ई. द्वारा की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशिक्षकों की क्षमता के निर्माण, शिक्षण और निर्देश सामग्री के संदर्भ में संसाधान निर्माण, क्षेत्रीय अनुभवों के लिए प्रावधानों, वित्त पोषण तथा सांस्थानिक सहायता को इसमें प्राथमिकता दी गई है। प्रशिक्षण क्षमता निर्माण[45] के लिए मूलभूत सिद्धांतों को निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकता है :

- विभिन्न परिस्थितियों, संदर्भों, अवयवों और स्तरों की पूर्ति के माध्यम से विविधता पर ध्यान देना। (सहायक से शिक्षक प्रशिक्षक तक)
- लचीलेपन और नवीनता को प्रोत्साहन देना।
- विशेष रूप से निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए पुरानी औपचारिक और भारी सैद्धांतिक सोच के स्थान पर व्यावहारिक "हैंड्स ऑन" प्रशिक्षण पर बल देना।
- सेवापूर्व प्रशिक्षण के स्थान पर सेवाकालिक प्रशिक्षण में अल्प और दीर्घकालिक कार्यक्रमों पर जोर देना।
- विशेष रूप से निजी क्षेत्र में लंबे समय से अलग-थलग पड़े नए और व्यावहारिक सेवाकालीन पाठ्यक्रमों, दूरवर्ती शिक्षा मॉडलों आदि का विकास करना ताकि बड़ी संख्या में फैले तथाकथित अप्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।
- विभिन्न विशेषज्ञों जिनमें विशेष रूप से शिक्षक को भी शामिल करके सहभागी पद्धति के माध्यम से प्रशिक्षण दृष्टिकोण और पाठ्यचर्या विकसित करना।
- गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने वाले स्व-रोजगार और रोजगार दोनों को ही प्रोत्साहित करने वाले ई. सी. सी. ई. प्रशिक्षण को सत्यापित करना एवं मान्यता प्रदान करना।
- ई. सी. सी. ई. में विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास को

42. क्रिस्टीना, जे. आर. 1999
43. दत्ता, वी. 2001 (ब)
44. शनमुगवलयुथम, के. 2003
45. स्वामीनाथन, एम. 2003

मजबूत करना, संसाधन विशेषज्ञता तथा संसाधन सामग्री की शेयरिंग एवं नेटवर्किंग को मजबूत बनाना।

- शिक्षण की प्रक्रिया-आधारित कार्य-पद्धति विकसित करके प्रशिक्षकों की क्षमता का विकास करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण के विविध मॉडल तैयार और स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है।

विविध संदर्भों में अनेक कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का विकास करने के लिए निश्चित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मोबाइल प्रशिक्षण, औपचारिक विश्वविद्यालय डिग्री पाठ्यक्रम, दूरवर्ती शिक्षा तथा ऐसे ही अनेक मॉडलों को मान्यता प्रदान किए जाने की ज़रूरत है। (देखें चित्र 3.2)

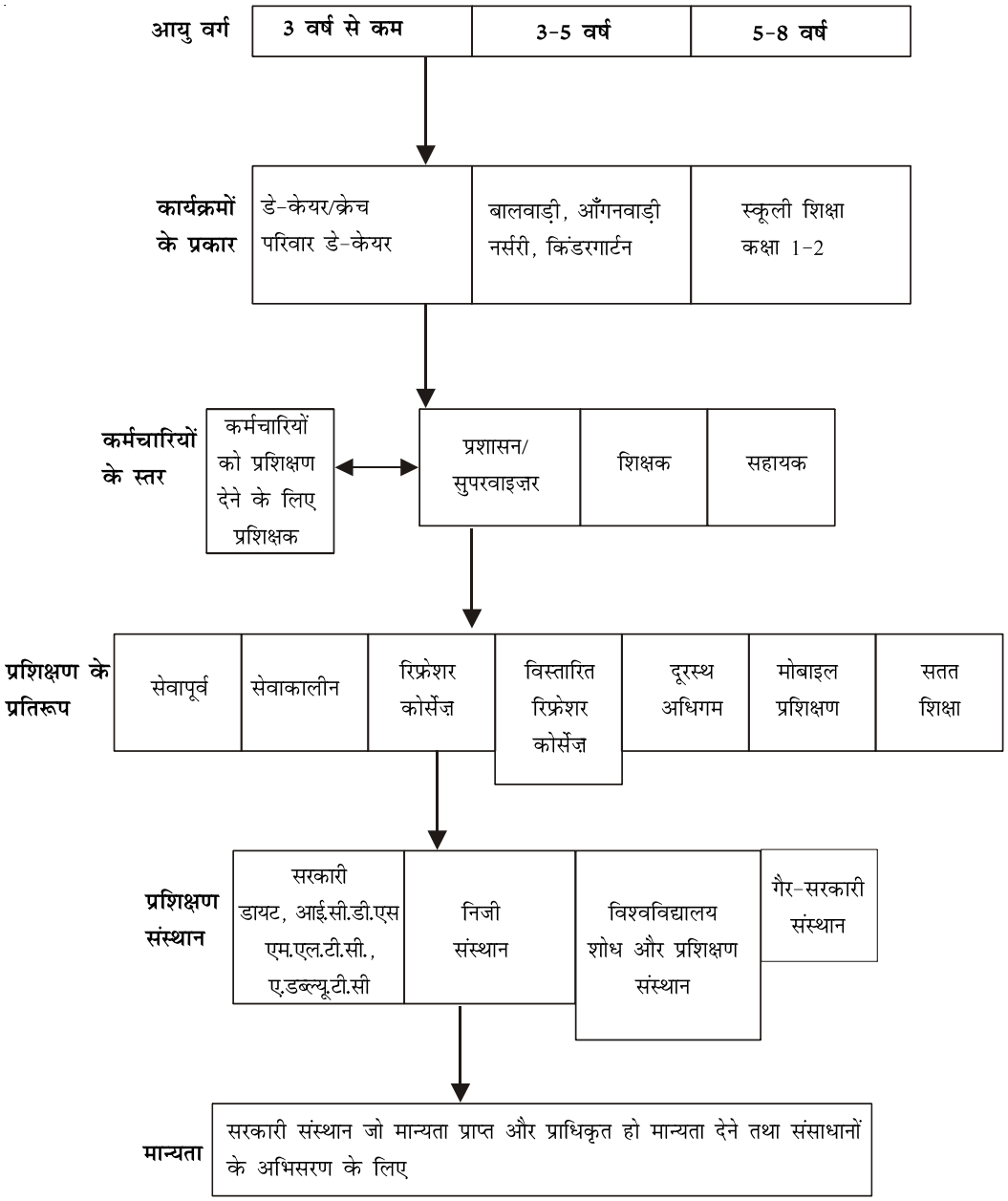

चित्र 3.2 : गुणवत्ता की ओर

ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता निर्धारित करेगी। अब तक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ही एकमात्र निकाय है जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देता है (समूचे देश में 68 ई.सी. सी. ई. प्रशिक्षण केंद्र हैं)। तथापि प्रशिक्षण संस्थाओं/ पाठ्यक्रमों को प्रत्यायन देने के लिए अधिक उपयुक्त पद्धतियाँ बनाए जाने की ज़रूरत है। प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक निगरानी/प्रत्यायन प्रणाली तैयार की जानी चाहिए। इस प्रणाली को ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों के कार्मिक देखरेख करने वाले तथा शिक्षा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और पेशेवरों को प्रत्यायन प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए।

3.3.5 पाठ्यचर्या

एक बेहतर पाठ्यचर्या, उन सभी बातों को समाहित करती है जो बच्चों की शिक्षा और विकास में सहायता के लिए बनाई गई हों। इसके लिए एक ऐसे बाल-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो बच्चे को शक्तियाँ प्रदान करे और उसे शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए। भारत में पाठ्यचर्या के लचीलेपन के लिए विविधता एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय होनी चाहिए। यह पाठ्यचर्या एक ऐसा वातावरण तैयार करने में सहायता देगी जो सामाजिक दृष्टि से अनुकूल हो, भाषायी समृद्धि उपलब्ध कराए, सुरक्षा और संतोष के बीच बच्चों को बौद्धिक तथा शारीरिक रूप से व्यस्त करे। पाठ्यचर्या से संबंधित विवरण खंड 5 में विस्तार से बताए गए हैं।

3.3.6 अनुसंधान

शिक्षा का क्षेत्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता है जब तक नीति, व्यवहार और अनुसंधान के बीच ठोस संपर्क स्थापित नहीं किए जाएँ (देखें चित्र 3.3)।

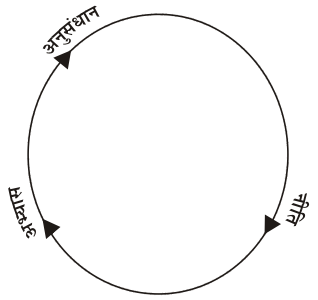

चित्र 3.3 : अनुसंधान, नीति, व्यवहार

अनुसंधान को नीति और फिर क्रियान्वयन में बदलना होता है। साथ ही, क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों का यह जानने के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए कि वे बालकों पर क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं तथा ई. सी. सी. ई. में श्रेष्ठ पद्धतियों को कैसे मजबूत किया जा सकता है। आज अधिकांश विकासशील देश बालकों पर अनुसंधान के लिए अत्यधिक निवेश कर रहे हैं ताकि वे कार्यक्रम निर्माण को मार्गदर्शन देने में सफल हो सकें और बालकों के संबंध में एक समृद्ध डाटाबेस बनाया जा सके। अनुसंधान निश्चित कार्यक्रमों के लिए या कार्यक्रमों की लागत को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए एक समझ प्रदान करने वाली शक्ति बन गया है। हालाँकि भारत में अनुसंधान व्यापक पैमाने पर किए जाते हैं परंतु यह नीतियों को कार्यरूप में बदल नहीं पाते या इनका आधार नहीं बनते हैं।

3.3.7 संसाधन

बच्चों के संबंध में निवेश पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। वित्त, मानवशक्ति और सामग्री से जुड़े संसाधनों को प्रारंभिक बाल्यावस्था क्षेत्र में निरंतर उपलब्ध होना चाहिए।

1. वित्त

जबकि सरकार इस क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व से इनकार नहीं कर सकती है, वह वित्त सहायता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यनीतियाँ अपना सकती है। इनमें से कुछ हैं:

- सकल घरेलू उत्पाद का एक निश्चित हिस्सा प्रति वर्ष खर्च करना, यह लगभग एक फीसदी हो सकता है।
- सभी कर्मचारियों पर उपकर लगाए।
- राज्यों को खंड स्तर पर अनुदान प्रदान करे।
- अन्य कार्यक्रमों/विभागों से निधि समन्वित करे।
- राज्य-केंद्र भागीदारी विकसित करे।
- स्थानीय और सामुदायिक संसाधन जुटाए।
- ई. सी. सी. ई. निधि के लिए दान देने पर कर में राहत जैसे प्रोत्साहन।

2. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन का विकास सरकारी विभागों, अन्य संस्थाओं, समुदायों और अभिभावकों द्वारा किया जाता है। वे लोग जिनकी कार्यक्रम के प्रति सीधी ज़िम्मेदारी है, उनको कार्यक्रम के विकास के लिए निरंतर संसाधनों की आवश्यकता होती है। अन्य लोगों को गुणवत्ता वाले ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों की माँग को पैदा करना होगा। ई. सी. सी. ई. कभी भी किसी का उत्तरदायित्व नहीं रहा है। ज़रूरत है कि इसका स्वामित्व लिया जाए और इसे हिस्सेदारियों द्वारा पोषित किया जाए।

3. शिक्षण और सीखने की सामग्री

इस बात पर विचार करते हुए कि ई. सी. सी. ई. पाठ्यचर्या कार्यकलाप-आधारित है, बड़ी संख्या में सृजनात्मक सीखने की सामग्री विकसित किए जाने की ज़रूरत है। इसमें शिक्षकों को अपनी सामग्री खुद बनानी होगी और आसपास के परिवेश में उपलब्ध संसाधन का उपयोग करना होगा। शारीरिक क्रियाकलापों, बोधात्मक और भाषायी कौशल से संबंधित कुछ उपकरणों को सभी कार्यक्रमों को उपलब्ध कराए जाने के आवश्यकता है (देखें चित्र 3.4)।

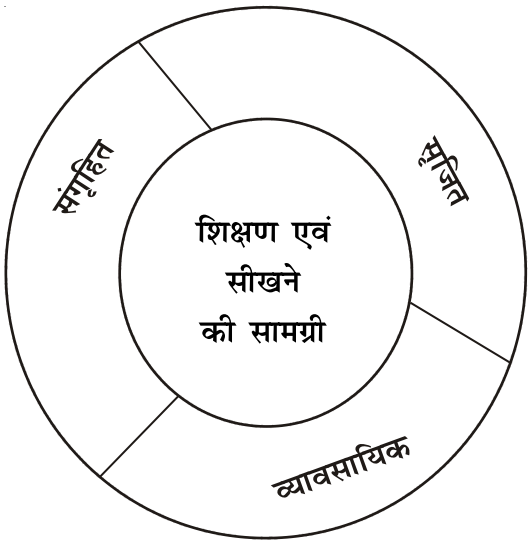

चित्र 3.4 : शिक्षण/सीखने की सामग्री के प्रकार

3.4 भाषायी मुद्दे

संप्रेषण, सूचना विनिमय, पढ़ने के कौशल का विकास, समझ के साथ पढ़ना और बाद के वर्षों में शैक्षणिक सफलता में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तथापि, ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों में भाषा संबंधी कार्यकलापों और अनुभवों पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है।

संकल्पना तैयार करने के प्रारंभिक वर्षों में बच्चे के साथ कार्य करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीके के रूप में बच्चे की पहली भाषा अथवा मातृ भाषा में शिक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। ऐसे बच्चे जो अपनी मातृभाषा में संचालित स्कूल-पूर्व कार्यक्रमों में शामिल होते हैं उन्हें समझ के स्तर पर समस्याओं का कम सामना करना पड़ता है, उन बच्चों की तुलना में जो मातृभाषा से अलग हैं। यह एक सामान्य दृष्टिकोण है जिसे सभी अभिभावक तत्काल और सरलता से मान्यता देते और समझते हैं।

भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा शिक्षण एक जटिल मुद्दा है। जहाँ शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक ही कक्षा के भीतर एक ही समय में अनेक भाषाओं के छात्रों के साथ शिक्षण करें। कोई भी भारतीय भाषा जो स्कूल-पूर्व स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयोग हुई है, विशेष रूप से कस्बों और शहरों में, वह विभिन्न भाषायी पृष्ठभूमि और बोलियों से आने वाले बच्चों के लिए कठिनाई पैदा करती है। इन बच्चों के लिए ऐसा करना एक विदेशी भाषा को सीखना है और ई. सी. सी. ई. कार्यकर्ताओं के लिए एक चुनौती है। घर की भाषा बोली और स्कूल की भाषा के बीच अंतराल को पूरा करने और इससे उबरने के लिए बच्चे को सहायता प्रदान करने के लिए अध्यापक की संवेदनशीलता और प्रशिक्षण दोनों ही अनिवार्य हैं।

जबकि बच्चे धीरे-धीरे मिलने वाले अनुभव से क्षेत्रीय/स्कूल की भाषा अर्जित कर रहे होते हैं, उन्हें गृह भाषा में स्वयं को अभिव्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। चूँकि इस अवधि के दौरान, कक्षा में सुनना, बोलना तथा सहपाठी के साथ स्वतंत्र खेल ही प्रमुख

कार्यकलाप होते हैं, अत: यह संभव होना चाहिए। शिक्षकों को भी बच्चों की गृह भाषा के कुछ शब्द और मुहावरे सीखने का प्रयास करना चाहिए। बहु-भाषायी कक्षा में, बच्चों को उनकी अपनी भाषा में स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा ध्यान देने एवं दूसरों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल-खेल में यह एक प्राकृतिक और आसान क्रिया है।

दूसरी ओर, यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे नयी भाषाओं को बहुत आसानी से सीख लेते हैं। वस्तुत: अनुसंधान दर्शाता है कि 7 साल से पूर्व के वर्ष संभवत: नई भाषा सीखने के लिए सबसे श्रेष्ठ होते हैं तथा अवलोकनों ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि छोटे बच्चे नई भाषाएँ वयस्कों की तुलना में कहीं जल्दी सीख लेते हैं। इस संबंध में पूर्व में दी गई तालिका 1.1 बताती है कि 2-5 वर्षों की अवधि अनेक भाषाएँ सीखने के लिए श्रेष्ठ हो सकती है। इसके अलावा, जनगणना से पता चला है कि भारतीय जनसंख्या का 20 फीसदी दो अथवा अधिक भाषाएँ जानता है जिसमें अँग्रेज़ी शामिल नहीं है। इनमें से अधिकांश भाषाएँ स्कूल से बाहर सीखी जाती हैं, जिनका माध्यम वातावरण से औपचारिक सीखना होता है। यह स्वाभाविक है कि साधारण व्यक्तियों को अधिक शिक्षा के बिना अतिरिक्त भारतीय भाषाएँ सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह भी देखा गया है कि बड़ी संख्या में बच्चे स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से आसानी से पढ़ते हैं, हालाँकि वे घर में दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों के प्राथमिक स्कूल में प्रवेश लेने से पहले के प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्ष, स्वाभाविक रूप से बच्चों को क्षेत्रीय/स्कूल की भाषा से परिचित कराने का श्रेष्ठ समय होता है। अत: बहु-भाषिकता और बच्चे की सीखने की क्षमताएँ यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर शैक्षणिक प्रणाली का ध्यान आकृष्ट करने की क्षमता और उपयुक्त समाधानों को खोजना ही प्रमुख लक्ष्य है।

यह तर्क जनजातीय क्षेत्रों के ऐसे बच्चों पर प्रमुखता से लागू होता है, जो सीधे प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश लेते हैं, जो राज्य की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे वे पूर्णत: अपरिचित होते हैं। हाल ही के अध्ययन[46] ने बताया है कि ऐसे बच्चे राज्य में विभिन्न भागों में भारी कठिनाइयों का सामना करते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे पाँचवीं कक्षा के बाद ही राज्य की भाषा को समझ के साथ पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके साथ असफलता और अपर्याप्तता की भावना भी उनसे जुड़ जाती है और शिक्षा की अध्यापक केंद्रित प्रणाली में बच्चे ऐसी स्थितियों का लगभग रोज सामना करते हैं। यह अंतत: उन्हें शैक्षणिक प्रणाली से बाहर निकलने को मजबूर कर देती है।

यहाँ ई. सी. सी. ई. के शिक्षाशास्त्र का पालन करने का स्पष्ट मामला है। स्कूल-पूर्व चरण में केवल मौखिक साधनों के माध्यम से (सुनने और बोलने) नई भाषा को सिखाया जाता है। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर पढ़ना एवं लिखना सिखाया जाता है। यदि ई. सी. सी. ई. इन क्षेत्रों में शुरू नहीं की जा सकती तो प्राथमिक स्कूल में पहले वर्ष का उपयोग ऐसे अनौपचारिक साधनों से क्षेत्रीय भाषा सीखने के लिए किया जा सकता है। एक सहानुभूतिपूर्ण प्रवृत्ति तथा जनजातीय भाषा अथवा बोली की थोड़ी जानकारी या उसी बोली समूह के किसी अध्यापक की नियुक्ति से दूरगामी परिणाम हो सकते हैं तथा साथ ही इससे शिक्षक को प्रशिक्षित करने में सहायता भी मिल सकेगी।

3.4.1 अँग्रेज़ी की माँग

अन्य मुद्दा अँग्रेज़ी के लिए अत्यंत व्यापक और बढ़ती हुई माँग है। सभी वर्गों, व्यवसायों और क्षेत्रों के अधिकांश अभिभावक यह मानते हैं कि उनके बच्चे अँग्रेज़ी सीखें क्योंकि इसे ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का रास्ता माना जाता है। यह भाषा आज के विश्व में एक तर्कसंगत इच्छा है। दुर्भाग्यवश, कुछ व्यक्ति अँग्रेज़ी सीखने और तथाकथित अँग्रेज़ी माध्यम से भ्रमित हो जाते हैं। इससे "अँग्रेज़ी माध्यम" स्कूलों की बढ़ती हुई लोकप्रियता प्राथमिक और स्कूल-पूर्व शिक्षा के स्तरों पर तेज़ी से निजीकरण से जुड़ गई। अँग्रेज़ी एक ऐसी खाई बन गई जो विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को अन्य लोगों से अलग करती है और यह हमारी शिक्षा के अनवरत दोहरे मार्ग का आधार बन गई।

46. झींगरन, डी. 2005

ये शिक्षा-शास्त्र के स्थान पर वर्ग, शक्ति और सामाजिक समावेश के मुद्दे हैं और इनका समाधान राजनीतिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। यदि किसी पाठ्यचर्या संबंधी ढाँचे को अभिभावकों की आशाओं का प्रत्युत्तर देना होता है, तो यह एक प्रमुख मुद्दा है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से दूसरी भाषा की शुरुआत के लिए आदर्श आयु जो भी हो, लेकिन सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं के दृष्टिकोण से इसे शीघ्र प्रारंभ करना ही होगा, चाहे तो कक्षा एक से, जैसा कि अनेक राज्यों ने पहले ही कर लिया है, अथवा इसे स्कूल-पूर्व स्तर पर शुरू करना चाहिए। शिक्षाविदों को तब इसे पढ़ाने के लिए श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों की तलाश करनी होगी।

नीति के स्तर पर जो दो प्रश्न हैं वह इस प्रकार हैं:

- क्या हम जनता और अभिभावकों को संतुष्ट कर सकते हैं कि निजी और सरकारी क्षेत्र, दोनों में सभी प्रकार की शिक्षा, बच्चे की गृह भाषा के माध्यम में ही होनी चाहिए और ऐसा न होने पर, शिक्षा सर्वाधिक परिचित भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए? इसके लिए निजी क्षेत्र का सहयोग चाहिए तथा यह पहले उठाए गए विनियमन के मुद्दे से जुड़ा है।
- क्या हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं कि दूसरी भाषा, जो अँग्रेज़ी हो सकती है, ई. सी. ई. वर्षों में शीघ्र शुरू की जा सकती है?

ये दोनों बातें एक दूसरे से नजदीकी रूप से जुड़ी हुई हैं। तर्कसंगत भाषा नीति के उद्देश्य का एक पहलू सभी बच्चों को एक भारतीय भाषा में निपुणता प्रदान करना और दूसरा पहलू अँग्रेज़ी को दूसरी भाषा के रूप में यथाशीघ्र लागू करना है।

व्यवहार के स्तर पर दो मुद्दे हैं:

- हम ऐसे शिक्षकों द्वारा बच्चों को अँग्रेज़ी की शिक्षा किस प्रकार दिलाएंगे जो खुद अँग्रेज़ी नहीं जानते? विशेष रूप से तब जब उन घरों के बच्चों को पढ़ाना हो, शामिल है जहाँ अभिभावक भी अँग्रेज़ी नहीं जानते?
- अँग्रेज़ी सीखने में ई. सी. ई. की कार्यपद्धति किस प्रकार लागू की जाएगी?

3.4.2 जन संचार के माध्यमों से अँग्रेज़ी पढ़ाना

पहले प्रश्न का उत्तर उस मूलत: विभिन्न उपागम को शामिल करता है जो देश में पहले से प्रयोग किये जा रहे उपागमों से भिन्न है। शिक्षकों को अँग्रेज़ी पढ़ाने के लिए एक व्यापक जन अभियान (अथवा सभी वयस्कों के लिए आवश्यक है) चलाए जाने की आवश्यकता है जिसमें मौखिक अँग्रेज़ी की कक्षाएँ निम्नलिखित पर हों :

- रेडियो (ए.आई.आर., समुदाय और एफ.एम.);
- टेलीविज़न (दूरदर्शन, उपग्रह चैनल);
- दूरवर्ती शिक्षा (मुक्त विश्वविद्यालय और स्कूल);
- नए ज्ञानवर्धक उपग्रह नेटवर्क; और
- अन्य संभव मीडिया

3.4.3 उदाहरण के तौर पर इस प्रकार के प्रयास चीन में किए जा रहे हैं

शिक्षकों को लक्ष्य बनाकर चलने वाली ऐसी सुविधाओं का लाभ किसी वयस्क, अथवा विद्यार्थी द्वारा उठाया जा सकता है और इसकी लक्ष्य समूह (शिक्षक. विद्यार्थी) के अतिरिक्त भी व्यापक उपयोगिता होगी। तथापि, यह भारत में पूर्णत: नया दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षा क्षेत्र और जन संचार तथा आई. सी. टी. के बीच सहयोग शामिल है। इसके लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के नए प्रयोग की आवश्यकता है। क्या हमें यह चुनौती स्वीकार है? और क्या हम दोहरे मार्ग वाली प्रणाली द्वारा अपनाए गए असमानता के चक्र को स्पष्ट रूप से तोड़ना चाहते हैं?

दूसरे प्रश्न के उत्तर में, ई. सी. सी. ई. का परिदृश्य अथवा विकासात्मक शिक्षाशास्त्र सुझाता है कि भाषा को प्रक्रियाओं द्वारा निम्नलिखित क्रम से सीखना चाहिए - सुनो-बोलो-पढ़ो-लिखो। यह सिद्धांत उस बात से बिलकुल उलटा है जो अधिकांश स्कूलों में अपनाई जाती हैं, जहाँ प्रारंभिक वर्षों में (चाहे वह अँग्रेज़ी हो या अन्य भारतीय भाषा) भाषा सीखने वाले बच्चे को लिखवाकर और

पढ़वाकर सिखाया जाता है। कभी-कभी उसे सुनाया जाता है और बुलवाया कभी नहीं जाता है। विशेषत: प्राथमिक स्कूल के शुरुआती वर्षों में भाषा को सीखने में ई. सी. सी. ई. कार्यपद्धति एक बड़ा योगदान दे सकती है।

4. आगे बढ़ते कदम : बदलते हुए नीतिगत प्रतिमान

चूँकि ई. सी. सी. ई. में मौजूदा समस्याएँ और मुद्दे पूर्व नीतियों और ऐतिहासिक विकासों का परिणाम हैं, अत: पाठ्यचर्या संबंधी सुधार लागू करने के बारे में कुछ कहने से पूर्व छोटे बच्चों को बेहतर सुविधाएँ देने के लिए नीति में कुछ बड़े परिवर्तन किए जाने होंगे। अन्यथा, पाठ्यचर्या संबंधी परिवर्तन सभी मायनों में खोखले सिद्ध होंगे और उनसे वर्तमान असमान व्यवस्थाओं के बदलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

4.1. ई. सी. सी. ई. का महत्त्व और ई. एफ. ए. के भाग के रूप में मान्यता

पहला और महत्वपूर्ण कदम है इस तथ्य को मान्यता देना और स्वीकार करना कि ई. सी. सी. ई. सभी बच्चों की एक महत्वपूर्ण विकासात्मक आवश्यकता है और सभी बच्चों का न्यायसंगत गुणवत्ता वाली ई. सी. सी. ई. का अधिकार है। हाल ही के संवैधानिक संशोधन के परिप्रेक्ष्य में यह एक अव्यावहारिक माँग प्रतीत होती है जिसमें हमारे इतिहास में पहली बार छोटे बालकों को अधिकार से वंचित कर दिया गया। तथापि, उन्नीकृष्णन[47] के निर्णय के साथ अनुच्छेद 21 एक आशा की किरण है जिसका प्रयोग इस संबंध में किए गए विचार-विमर्श को पुन: प्रोत्साहित करने तथा नीतियों में परिवर्तन करने के लिए किया जा सकता है। इसमें समय लगेगा, परंतु इसकी शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। इसका लक्ष्य ई. सी. सी. ई. को ई. एफ. ए. के भाग के रूप में देखा जाना तथा सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या के एक अभिन्न भाग के रूप में स्वीकार करना है।

4.2 संसाधन आवंटन

सभी के लिए न्यायसंगत गुणवत्ता वाली ई. सी. सी. ई. उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ हमें संसाधन आवंटन में भारी वृद्धि करनी होगी। वैश्विक अनुसंधान दर्शाता है कि बच्चे की केंद्रीय मस्तिष्क संरचना का 85 प्रतिशत भाग प्रारंभिक वर्षों में पहले ही पूर्ण हो जाता है। लेकिन प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि सभी राज्यों में, 6 वर्ष से नीचे के बच्चों में प्रति बच्चे पर वास्तविक व्यय 6 से 14 आयु वर्ग में बच्चों के व्यय का लगभग आठवाँ भाग है। इससे स्पष्ट है कि बाल्यावस्था के आधारभूत वर्षों में बच्चों को पर्याप्त रूप से उपेक्षित किया जाता है (देखें चित्र 4.1)। इस स्थिति को सभी स्तरों पर संसाधन जुटाकर व्यापक रूप से परिवर्तित करना होगा।

4.3 सभी के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करना : कार्यनीतियाँ और साधनों की सुनिश्चितता

पिछले कुछ समय से विकसित बहुसंख्यीय मॉडलों, विविध क्षेत्रों और कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोणों को अवश्य ही मान्यता और स्वीकृति दी जानी चाहिए। परंतु इसमें एक सामान्य केंद्रीय ढाँचे के भीतर, तथा बुनियादी मानदंडों और मानकों के साथ-साथ विभिन्न संदर्भों से जुड़ी वास्तविकताओं की व्यवस्था और एक अर्थपूर्ण भाषा नीति का भी पालन किया जाना चाहिए। साथ ही न्याय और समानता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। चाहे कोई कार्यक्रम डी. ई. ई. एंड एल. अथवा डी. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा चलाया जा रहा हो अथवा किसी गैर सरकारी संगठन या निजी तौर पर प्रबंधित संस्था द्वारा सभी को बुनियादी मानदंडों और मानकों का पालन करना चाहिए तथा इन्हें हानि पहुँचाए बिना संदर्भगत वास्तविकताओं को स्वीकार करना चाहिए। इस संदर्भ में, यह जानना रोचक है कि भारत में बाल विकास विशेषज्ञ ई.सी. सी. ई. कार्यक्रमों के विकास के मानदंड पहले ही तैयार कर रहे हैं। वे बुनियादी ढाँचे, भवनों, विस्तृत उपकरणों पर ध्यान देने की तुलना में शिक्षक-बच्चे के बीच संपर्क, पाठ्यचर्या के कार्य-संपादन और मानवीय संबंधों पर अधिक बल दे

47. सुप्रीम कोर्ट 1993

रहे हैं, ताकि उन लोगों की अनुचित रूप से तरफदारी नहीं की जाए जिनके पास अधिक धन है या जो समृद्ध हैं।

चित्र 4.1 : मस्तिष्क विकास में महत्वपूर्ण अवधि-वित्तीय अंतराल

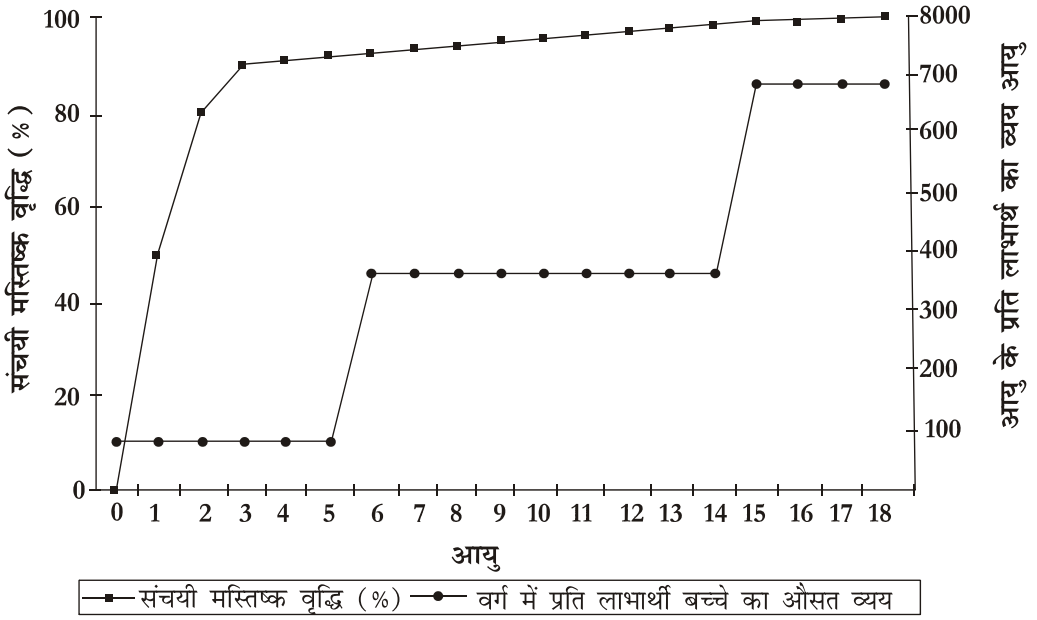

स्रोत : रीचिंग आउट टू चाइल्ड एचडीएस, विश्व बैंक 2004

4.4 समर्थन

जनता को, अभिभावकों से लेकर नीति निर्माताओं तक को प्रत्येक स्तर पर इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए जन संचार माध्यमों की सहभागिता के साथ समर्थन के लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक अभियान की आवश्यकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ और सरकार इसका नेतृत्व करे। इसमें विभिन्न स्वरूपों में अपेक्षित सामग्री तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञ तथा सरकारी क्षेत्र के बाहर से अनुभवी कार्यकर्ता अनेक रूपों में ज़रूरी सामग्री तैयार करें। जन संचार माध्यमों से लेकर लोक जीवन के संचार माध्यमों की सहायता से स्थानीय क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को आमने-सामने संपर्क द्वारा जीवन की इस अवधि के महत्त्व, उपेक्षा के खतरों और ई. सी. सी. ई. के क्षेत्र, उद्देश्य और अर्थ के बारे में बताने का प्रयास करना है।

उदाहरण के लिए, यह बात अजीब है कि ऐसे देश में जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन अनिवार्य बनाया है, वहीं अठारह माह से तीन वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं किया गया है, जोकि कुपोषण के खतरों से सर्वाधिक ग्रसित हैं और इसके परिणाम काफी भयंकर हो सकते हैं। इसके लिए उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर सभी वर्गों के अभिभावकों से सहयोग की आवश्यकता है, जो केवल अपने बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं।

4.5 क्षमता निर्माण

अगला महत्वपूर्ण कार्य सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के

लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाना है। प्रारंभ में, इसके लिए इस बात की स्वीकृति की आवश्यकता होगी कि शिक्षकों/क्रेच कार्यकर्ताओं/देखभालकर्ताओं आदि के अनेक प्रकार हैं तथा कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के रूप में उनकी भूमिका को सम्मान दिए जाने, उनके दर्जे को मान्यता प्रदान किए जाने तथा उन्हें उपयुक्त पारिश्रमिक अथवा उचित वेतन दिए जाने की आवश्यकता है।

तीन स्तरों-बुनियादी शिक्षा, बाल देखरेख कार्यकर्ता, सहायक और उच्चस्तर के पर्यवेक्षक, प्रशिक्षक और प्रमुख- की पाठ्यचर्या में विविधता होनी चाहिए। पुनः व्यवसाय में प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम वेतन स्तर निर्धारित किए जाने चाहिए। नए आने वालों के लिए सेवापूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होने चाहिए। विशेष रूप से बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र में मौजूद "अप्रशिक्षितों" के लिए जिनके पास लंबा अनुभव और कुछ कौशल तो मौजूद हैं परंतु औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है, विभिन्न अल्पकालिक और व्यापक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम होने चाहिए। योजना, प्रशासनिक, निगरानी और मूल्यांकन स्तरों पर क्षमता निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो न केवल अधिकारियों के लिए हो वरन् उसी मात्रा में निर्वाचित निकायों और विभिन्न जनसमुदायों के सदस्य के लिए भी हो। मौजूदा संभावनाओं और संस्थानों के आधार पर ऐसे क्षमता निर्माण की ज़िम्मेदारी सभी क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें डी. ई. ई. एक उल्लेखनीय समन्वयक भूमिका अदा करे।

4.6 समन्वय

भविष्य में छोटे बच्चों से संबंधित सभी मंत्रालयों के बीच सहयोग, पहले ही विद्यमान विभिन्न स्वायत्तशासी प्राधिकरणों (जैसे एन.सी.टी.ई.) और अन्य के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा तथा इस विशाल, विविध और जटिल कार्यक्रम को संचालित करने के लिए डी. ई. ई. एंड एल. की अनिवार्य ज़िम्मेदारी है कि वह विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहे विभिन्न अकादमिक संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग स्थापित करेगा।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रमुख अवयवों पर भी ध्यान दिया जाना है :

- डाटाबेस तैयार करने वाली रिपोर्टिंग प्रणालियों का विकास जिसकी शुरुआत साधारण गणना के रूप में होगी और बाद में पंजीकरण, विद्यमान आंकड़ा संग्रहणता के साथ जुड़ाव और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और गणना प्रणालियों का विकास किया जाएगा।
- उपयुक्त एजेंसियों द्वारा समन्वित प्रत्येक स्तर पर आवश्यक संस्थागत तंत्रों की स्थापना।
- विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त संरचनाओं और संस्थाओं का निर्माण जिसका समन्वय नोडल एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

4.7 निष्कर्ष

इसके परिणामस्वरूप, पाठ्यचर्या सुधार कार्य तैयार करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाए जाने संभव हो सकेंगे-

1. प्रत्येक आयु वर्ग के लिए उपयुक्त पाठ्यचर्या और विविध कार्यक्रम तैयार करना ताकि अधिकतम विकास किया जा सके। ऐसा करते समय पूर्व में बताए गए कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इन कारकों में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता, स्थानीय संदर्भ और आवश्यकता एवं विभिन्न संस्थागत ढाँचे शामिल हैं।
2. प्रत्येक स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यचर्या के लिए उपयुक्त विषयवस्तु और प्रविधि तैयार करना। ऐसा करते समय विविधता और लचीलेपन, विभिन्न शैक्षणिक स्तरों को तथा सेवापूर्व, सेवाकालीन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा।
3. ऊपर कही गई बातों को क्रियान्वित करने के लिए उच्चतर स्तर पर क्षमता का विकास करना तभी संभव हो पाएगा, जब शिक्षक-प्रशिक्षकों का विकास, संसाधन एवं प्रशिक्षण सामग्री का विकास करके और उन्हें पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव और बाह्य कौशल प्रदान किया जाएगा।

4. स्कूल-पूर्व केंद्रों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/संस्थाओं के लिए मूलभूत मानदंडों और मानक तैयार करना।
5. निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विनियामक ढाँचा तैयार करना।

ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष बुनियादी कार्य हैं जो ई. सी. सी. ई. को शैक्षणिक मुख्यधारा के एक भाग के रूप में मान्यता प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे।

5. पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए दिशानिर्देश

जीवन की इस अवधि के महत्त्व और बालक के समग्र और सर्वांगीण विकास और वृद्धि को सुनिश्चित करने वाली पाठ्यचर्या दोनों, की आवश्यकता को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। किस प्रकार की पाठ्यचर्या ऐसे विकास में योगदान दे सकती है? आगे के पृष्ठों में कुछ व्यापक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है, जो एक उपयुक्त पाठ्यचर्या ढाँचे को रेखांकित करते हैं। ये सुझाव हैं जिन्हें आदेश नहीं समझना चाहिए।

पाठ्यचर्या बच्चे को उपलब्ध समस्त अनुभवों का सार है तथा इसे पाठ्यक्रम के रूप में घटाया नहीं जा सकता। इसे विभिन्न संदर्भों में बच्चे के लिए उपयुक्त, बच्चे की आयु के अनुकूल, आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। इसमें शिक्षकों की पूर्ण सहभागिता की आवश्यकता है। शिक्षक की सहभागिता इसे बनाने और कक्षा में इसे व्यक्त करने दोनों प्रकार से है। इस बात पर भी पुनः बल देना आवश्यक है कि पाठ्यचर्या नीरस, अर्थहीन और प्रायः निष्ठुरतापूर्ण कार्यक्रम में बाधा नहीं होनी चाहिए, जो आज स्कूल-पूर्व शिक्षा के लिए पारित की जाती है जिसमें बच्चे सर्वाधिक अनुपयुक्त बातें करने के लिए मजबूर होते हैं। बच्चे में सीखने की नैसर्गिक इच्छा होती है। आजकल प्रायः जो किया जा रहा है उससे बच्चे की अधिक-से-अधिक सीखने की इच्छा का नाश हो रहा है। साथ ही बच्चे के आत्मविश्वास और आत्ममूल्य भी नष्ट हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक प्रदर्शन असंतोषजनक हो रहा है तथा आगे चलकर स्कूल छोड़ने की घटनाएँ हो रही हैं।

5.1 शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रियाएँ

ई. सी. सी. ई. के सामान्य उद्देश्यों को निम्नानुसार बताया जा सकता है :

(क) बच्चे को उसकी अधिकतम क्षमता का विकास करने में समर्थ बनाकर भविष्य में एक स्वस्थ, उत्पादक और संतुष्ट जीवन का आधार तैयार करना

(ख) प्राथमिक स्कूल में प्रवेश और सफलता के लिए बच्चे को तैयार करना, और

(ग) महिलाओं और बालिकाओं को सहायक सेवाएँ प्रदान करना ताकि वे अपनी शिक्षा, प्रशिक्षण जारी रख सकें और कार्य बल का भाग बन सकें।

इन लक्ष्यों को पाने के लिए पाठ्यचर्या निम्न प्रकार से होनी चाहिए :

- विकासात्मक रूप से उपयुक्त कार्यकलाप आधारित तथा बच्चे की आयु और उसकी आवश्यकता के अनुसार, बच्चे की रुचियों तथा क्षमता से जुड़ी हुई।
- स्वास्थ्य और कल्याण, समझ, शारीरिक, सामाजिक, संवदेनशील तथा भाषा जैसे सभी क्षेत्रों में अंतर्संबंधी दृष्टिकोण के माध्यम से सर्वांगीण वृद्धि और विकास की पुष्टि करने के लिए अनुभवों का एकीकृत सेट।
- हमारे देश के विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भाषायी संदर्भों साथ ही साथ बच्चों के बीच मौजूद वैयक्तिक अंतरों के अनुरूप पर्याप्त लचीलापन।
- बच्चे को प्राथमिक स्कूल की दिनचर्या तथा औपचारिक शिक्षण के प्रति सहज बनाने में सहयोगी।

5.2 पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मूलभूत सिद्धांत

चिंतकों ने शुरू से ही बाल्यावस्था की प्रकृति और समाजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में अनुमान लगाए हैं। प्लेटो का विचार कि छोटे बच्चों को राज्य द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, उनके अपने समय में उतना ही मौलिक और अस्वीकार्य था जितने शताब्दियों बाद गांधी के शिल्प आधारित बुनियादी शिक्षा के विचार थे। पश्चिमी चिंतक जैसे रूसो, फ्रोबेल, डेवी, मांटेसरी और अन्य प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के

संचालन को दिशा प्रदान करने में अग्रणी रहे हैं। उनके विचारों ने पाठ्यचर्या विषयवस्तु के निर्माण के लिए इंद्रिगत और व्यावहारिक गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त किया। इन लोगों के आग्रह और अंतर्दृष्टि के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी - खेल, कला, लय, कविता और सक्रिय सहभागिता का समावेश हुआ और मान्यता मिली। हमारे देश के चिंतकों - जिसमें गांधी, टैगोर भी शामिल हैं - ने छोटे बच्चों के व्यवहार के अवलोकन से तथा विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करने की गतिविधियों में बच्चों की रुचि से प्रेरणा पाते हैं। गिजुभाई बधेका तथा ताराबाई मोदक उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने छोटे बच्चों की देखरेख और शिक्षा के लिए एक बाल-केंद्रित दृष्टिकोण की सर्वप्रथम संकल्पना की थी।

हाल ही के समय में, प्याजे, ब्रूनर और वायोगोत्सकी जैसे विकासात्मक मनोविज्ञान तथा बाल विकास के विद्वानों ने अनुसंधान के आधार पर खेल और कार्यकलाप को बच्चे के सीखने के नैसर्गिक तरीके के रूप में महत्त्व प्रदान किया है। कार्यक्रम, सीखने के पैटर्न की समझ और कार्यकर्ताओं और चिंतकों की अंतर्दृष्टि और दर्शन के आधार पर बनने चाहिए। यह पैटर्न बाल्यावस्था की अनिवार्य प्रकृति को पारिभाषित करने वाला होना चाहिए। ई. सी. सी. ई. के शिक्षकों को निम्नलिखित सिद्धांतों की समझ होनी चाहिए:

- सीखने का आधार खेल हो
- शिक्षा का आधार कला हो
- बच्चे की सोच की विशिष्ट विशेषताओं को मान्यता देना
- मूलपाठ (मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान) और संस्कृति का मिश्रण
- औपचारिक तथा अनौपचारिक क्रियाओं का मिश्रण
- दैनिक सामंजस्य में घनिष्ठता और चुनौती
- विशेषज्ञता के स्थान पर अनुभव को प्राथमिकता
- विकास की दृष्टि से उपयुक्त व्यवहार और लचीलापन
- स्थानीय सामग्री, कला और ज्ञान का प्रयोग
- स्वास्थ्य, कल्याण और स्वस्थ आदतों का एकीकरण

इन सिद्धांतों के क्रियान्वयन की विस्तारपूर्वक व्याख्या करने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर हलकी नज़र डालना लाभप्रद होगा :

(अ) विकास के विभिन्न क्षेत्र
(ब) विभिन्न आयु के बच्चों की विकासात्मक विशेषताएँ
(स) बच्चे के सीखने की आवश्यकताओं की प्रकृति

(अ) विकास के विभिन्न क्षेत्र

इन्हें निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है :

- संज्ञानात्मक क्षेत्र
- इंद्रिगत क्षेत्र
- बोधात्मक क्षेत्र
- भाषा क्षेत्र
- भावात्मक/संवेदी
- सामाजिक क्षेत्र
- वैयक्तिक क्षेत्र

प्रत्येक क्षेत्र के भीतर विभिन्न कौशलों का विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा वृद्धि के बारे में विस्तृत जानकारी बाल विकास पर मानक पुस्तकों तथा शिक्षक fu;eloyh[48] में प्राप्त की जा सकती है।

विकास के सभी क्षेत्र जुड़े हैं। बच्चे का शिक्षण केवल संकुचित रूप से परिभाषित विषय क्षेत्रों में नहीं होता। विकास और शिक्षण आपस में संबंधित हैं। कोई गतिविधि यदि एक आयाम को उत्प्रेरित करती है, वह दूसरे आयामों को भी अवश्य प्रभावित करती है।

उदाहरण के लिए, कक्षा में कहानी सुनाना। तीन वर्ष का बच्चा बहुत ही छोटी कहानी सुनेगा। उनकी रुचि कठपुतली के खेल, शब्दों या कविता की संक्षिप्त भूमिका से बनाए रखी जा सकती है। कहानियाँ भी बच्चों को घटनाक्रम को समझने, उनके अपने भावों को जाहिर करने और भाषा पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती हैं। उनमें सुनने की कला को आत्मसात् कराने से बालक क्षमता हासिल करेंगे। उनके शब्द भण्डार का विस्तार होगा, उनकी समझ में वृद्धि होगी।

48. स्वामीनाथन, एम. डेनियल, पी. 2000

उत्कृष्ट प्रेरक कौशलों के स्तर पर, जेसल के मानदंड बच्चों की परिवर्तित होने वाली क्षमताओं की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए, तीन वर्ष का बच्चा एक वृत्त अथवा सीधी रेखा की नकल करता है जबकि चार वर्ष का बच्चा एक क्रॉस की नकल कर लेता है और पाँच वर्ष का बच्चा एक डायमंड अथवा त्रिभुज और प्रिज़्म तक की नकल कर लेता है। इस समझ के आधार पर, बालक को पैटर्न चित्रकला या ऐसी किसी गतिविधि में लगाया जा सकता है जो लिखने की तैयारी को प्रोत्साहित करती हो।

(ब) विभिन्न आयु के बच्चों की विकासात्मक विशेषताएँ

शिशु और टॉडलर्स (0-2+)

शिशु और टॉडलर्स सामाजिक रूप से प्रतिक्रियाशील वयस्कों के बीच अपनी इंद्रियों (देखने, सुनने, चखने, सूँघने और महसूस करने) के माध्यम से वातावरण का अनुभव करने और शारीरिक रूप से आगे-पीछे जाने के माध्यम सीखते हैं। शिशु, जो चंचल नहीं है, वे भी अपने आस-पास के विश्व के बारे में बहुत सी जानकारी एकत्रित और व्यवस्थित करते हैं तथा वे उनकी देखभाल करने वालों से भी लाभान्वित होते हैं, जो उन्हें बाहर ले जाते हैं तथा रुचिकर घटनाएँ और लोग दिखाते हैं। चंचल शिशु और टॉडलर्स बड़े पैमाने पर अपने खेल में खिलौनों और सीखने की अन्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। शिशुओं और टॉडलर्स के साथ वयस्क एक महत्वपूर्ण समाजीकरण की भूमिका निभाते हैं। वयस्कों के साथ प्रगाढ़ सकारात्मक रिश्ते शिशुओं को इस संसार में विश्वास की भावना विकसित करने और क्षमता बढ़ाने में सहायता करते हैं। ये संबंध बच्चों के स्वस्थ आत्मसम्मान के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विश्वासपात्र वयस्क एक सुरक्षित आधार बनते हैं जिसके माध्यम से चंचल शिशु अथवा बच्चे आस-पास के परिवेश की जानकारी प्राप्त करते हैं। एकाकी खेल (0-2 वर्ष) इस आयु में सहज स्थिति है। बच्चे किसी वयस्क अथवा बड़े बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं परंतु अपने सहजात बालक के साथ अधिक संपर्क नहीं करते।

इन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण कौशल अर्जित किए जाते हैं जिसमें शौच करने, खाने और कपड़े पहनने जैसी व्यक्तिगत देखरेख शामिल है तथा ये सभी महत्वपूर्ण जीवन कौशल के रूप में कार्य करते हैं। इस आयु वर्ग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण तकनीक है स्वत: प्रेरित दोहराने की प्रवृत्ति। इसका प्रयोग करने के लिए बच्चों को नई अर्जित कुशलताओं के अभ्यास के लिए तथा स्वायत्तता की भावना का अनुभव कराने के लिए बच्चे को पर्याप्त अवसर प्रदान करना। शिशु अपने खिलौनों को पकड़ते हैं, पटकते हैं, फेंकते हैं और गिराते हैं। धैर्य अत्यंत आवश्यक है क्योंकि टॉडलर्स स्वेटर पहनने की प्रक्रिया के दौरान काफी संघर्ष करते हैं। नकल, लुका-छिपी तथा नाम बताने वाले खेल भी इस आयु में सीखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। रियलिस्टिक खिलौने बच्चों को लगातार कठिन प्रकार के खेलों में व्यस्त रखने में समर्थ होते हैं।

दो वर्ष के बच्चे भाषा को बहुत तेज़ी से सीखते हैं। उन्हें साधारण पुस्तकें, तसवीरें, पहेलियाँ, संगीत तथा सक्रिय खेलों जैसे कूदने, भागने और नाचने के लिए समय एवं स्थान की आवश्यकता होती है। टॉडलर्स सामाजिक कौशल अर्जित करना प्रारंभ कर देते हैं परंतु समूहों में एक खिलौने तक से अधिक संख्या में होना चाहिए। क्योंकि अहम केंद्रित टॉडलर्स मिल-जुलकर रहने की अवधारणा को समझने में समर्थ नहीं होते हैं।

3 से 5 वर्ष के बच्चे

तीन वर्ष के बच्चे बोलना और सुनना पसंद करते हैं परंतु उन्हें कार्यकलाप और संचालन चाहिए होता है जिसमें वे अधिक जोर शारीरिक गतिविधियों को देते हैं। वे नाटकीय खेल, पहिये वाले खिलौनों और चढ़ने वाले उपकरणों, पहेलियों और ब्लॉक वाले खिलौनों को, बात करने, कहानियाँ सुनने को पसंद करते हैं।

चार वर्षीय बालक कई विभिन्न अनुभवों का आनंद उठाते हैं तथा उन्हें छोटे प्रेरक कार्यकलापों जैसे - कैंची वाले खेल, कला, चालबाजीवाले खेल जैसे-पहेलियाँ और खाना बनाने की गतिविधियाँ पसंद हैं। वे एकाग्रता और स्मरण साथ ही वस्तुओं को उनके आकार, रंग और

स्वरूप से पहचानने में अधिक समर्थ होते हैं। चार वर्षीय बच्चों में बुनियादी गणित की अवधारणाएँ और सवाल का उत्तर देने का कौशल विकसित होता है। 3 वर्ष की आयु में बच्चे दो अथवा तीन बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। परंतु 4+ वाले बच्चे पाँच से आठ वर्ष वाले समूह के कार्यकलापों में आसानी से भाग लेते और सहयोग करते हैं तथा स्वतंत्र रूप से भी समूह खेलों का संचालन करने व खेलने के लिए तैयार रहते हैं।

कुछ चार वर्षीय बच्चे और अधिकांश पाँच वर्षीय बच्चे अधिक जटिल संबंधों में विचारों को जोड़ते हैं (उदाहरण के लिए अंकों से जुड़ी संकल्पनाएँ जैसे एक संख्या दूसरे से जुड़ी है) तथा उनकी स्मरण क्षमता और उनका शारीरिक कौशल निरंतर बढ़ता हुआ होता है। कुछ चार वर्षीय तथा अधिकांश पाँच वर्षीय बच्चे लिखित भाषा के क्रियात्मक पहलुओं के प्रति बढ़ती रुचि प्रदर्शित करते हैं, जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचानना और अपना नाम स्वयं लिखने का प्रयास करना। केवल वर्णमाला, ध्वनियाँ और सुलेखन शैली सिखाने के लिए तैयार किए गए कार्यकलाप इस आयुवर्ग के लिए कम उपयुक्त हैं बल्कि उन्हें समृद्ध सचित्र पुस्तकों का वातावरण प्रदान करना चाहिए जो उनमें एक अर्थपूर्ण संदर्भ में भाषा का विकास एवं साक्षरता कौशल पैदा करे।

चार से पाँच वर्षीय बच्चे स्वयं, घर और परिवार के तत्काल अनुभव से आगे भी जा सकते हैं। पाँच वर्षीय बच्चे समुदाय तथा उनके बाहर के विश्व में रुचि दर्शाना शुरू कर देते हैं तथा विशेष घटनाओं और यात्रओं का आनन्द उठाते हैं।

6 से 8 वर्षीय बच्चे

छह वर्षीय बच्चे सक्रिय होते हैं तथा उनमें मौखिक क्षमता अधिक होती है। ये इन अनुभवों से अवधारणाएँ एवं समस्या का समाधान करने संबंधी कौशल विकसित करते हैं। इस आयु तक के बच्चे नियमों को समझने लगते हैं तथा नियमों वाले बड़े खेल खेलते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक और टोली वाले खेल केवल इसी अवस्था पर खेले जा सकते हैं। अधिकांश छह वर्षीय, सात वर्षीय और आठ वर्षीय बच्चे शारीरिक दृष्टि की तुलना में मानसिक दृष्टि से अधिक परिपक्व होते हैं। अत: यंत्रवत कुर्सी पर बैठकर थकाने वाले कार्य की तुलना में इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सरल गतिविधियाँ और प्रयोग अधिक उपयुक्त हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सात वर्षीय बच्चों को अर्जित अनेक नए शारीरिक और समझपरक कौशलों को सीखने और उनका अभ्यास करने में समय की आवश्यकता होती है। वे कारण पूछने, अन्य लोगों को सुनने तथा सामाजिक लेन-देन दर्शाने में पर्याप्त रूप से समर्थ बन जाते हैं।

आठ वर्षीय बच्चों में बढ़ी हुई सामाजिक रुचि के साथ अत्यधिक उत्सुकता भी होती है। अब वे दूसरे के बारे में तथा दूरवर्ती लोगों के विषय में जानने के योग्य होते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के दौरान बच्चे पुस्तकें पढ़ने तथा कहानियाँ सुनने के सांकेतिक अनुभवों से सीख सकते हैं। तथापि वे क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में उनकी समझ उनकी इस योग्यता पर निर्भर करती है कि वे लिखित शब्दों को अपने स्वयं के अनुभवों से किस प्रकार जोड़ते हैं। प्राथमिक कक्षा के बच्चे भी अपने स्वयं के अनुभवों और कल्पनाओं को लिखित भाषा में, किसी से लिखाकर या स्वयं लिखकर संप्रेषण सीखते हैं। यही बात अंकों से जुड़ी संकल्पनाओं के विकास के संबंध में भी सत्य है। बच्चे की गणित संबंधी संकल्पनाएँ खेलों के दौरान तथा वास्तविक जीवन के अनुभवों से उनके स्वयं के विचारों से विकसित होती हैं जिनमें भोजन बनाना अथवा लकड़ी का कार्य जैसी योग्यता शामिल है।

(स) बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं की प्रकृति

बच्चे को विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रकार के अनुभवों की आवश्यकता होती है:

निम्न के माध्यम से वयस्कों के अनावश्यक प्रतिबंधों से आज़ादी

- अन्वेषण
- प्रयोग
- प्रोत्साहन

- चुनौती

निम्न के माध्यम से व्यक्ति विशेष के लिए उपलब्धि की प्रसन्नता

- अवसर
- मार्गदर्शन
- सहायता
- सुरक्षा एवं संरक्षा

निम्न के माध्यम से किसी समूह का सदस्य बनने का अनुकूलन

- सहयोग करने
- सुनने
- साझा करने
- सहानुभूति दर्शाने

5.3 नवजातों और शिशुओं के लिए पाठ्यचर्या (0-2+)[49]

दिए गए संदर्भ इस बात पर निर्भर करते हैं कि बच्चा घर में है अथवा किसी संस्थागत ढाँचे में। यदि वह घर में है तो परिवार में देखभाल करने वालों को विभिन्न साधनों द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यदि वह किसी संस्थागत ढाँचे में है, तो प्रशिक्षण के महत्त्व को पुन: दोहराया जाना आवश्यक है।

छोटे बच्चे बहुत जल्दी चिंतित और अधीर हो जाते हैं। उन्हें अधिक संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील वातावरण की आवश्यकता होती है तथा उन्हें बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए अधिक वयस्कों और कम बालकों के अनुपात की आवश्यकता है।

बहुत छोटे बच्चों के लिए ई. सी. सी. ई. के परिवेश को रंग-बिरंगा होने की आवश्यकता है तथा उनमें संचालन युक्त वस्तुओं और आगे-पीछे हिलने वाले खिलौने की भरमार होनी चाहिए जो नवजातों और शिशुओं को आकर्षित करते हैं तथा उनमें जहाँ आवश्यक हो सतर्क पर्यवेक्षण एवं हस्तक्षेप भी होना चाहिए। उत्साही और प्रतिक्रियाशील लोग वयस्क-बच्चे के बीच निर्भर संबंधों को बनाने के लिए विश्वास और सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। बच्चे संवेदनशील क्रियाकलापों द्वारा दूसरों से संबंध बनाना सीखते हैं जो संकल्पना तैयार करने का आधार उपलब्ध कराता है। नवजात और शिशु अपने स्वयं के अनुभव से प्रयोग और गलतियों, दोहराव, नकल तथा पहचान करना सीखते हैं। तीन वर्ष से कम के बच्चों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम में खेल, सक्रिय अन्वेषण और संचालन होना चाहिए जोकि दिनचर्या के विश्वसनीय ढाँचे के भीतर हो और उन्हें अत्यधिक तनाव से सुरक्षा दे। बच्चे के अनुभवों की गुणवत्ता के लिए अन्य लोगों के साथ संबंधों का महत्वपूर्ण और आवश्यक योगदान है।

सभी शिशु विशिष्ट हैं और उनकी आवश्यकताएँ और परिस्थितियाँ पल-पल में बदलती रहती हैं। वयस्कों को शिशुओं के बदलते हुए संकेतों के प्रति संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए। देखरेख में निरंतरता और सुसंगतता महत्वपूर्ण है। वयस्कों के कार्यक्रम शिशुओं की दिनचर्या के अनुकूल होने चाहिए। शिशु की इच्छा पर ही पकड़ना और छूना जैसी क्रियाओं का निर्धारण होना चाहिए।

घरों के भीतर माताएँ शिशु की मालिश करती हैं, शिशुओं को लोरियाँ सुनाती हैं और शिशु के साथ खेलती हैं जो उन्हें परिचित चेहरे और अजनबी में विभेद करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यह ऐसा कार्य है जो बच्चा समय के साथ सीखता जाता है, जब वह नौ माह का होता है तो पूरी तरह इसमें निपुण हो जाता है।

प्रथम वर्ष के अंतिम भाग के दौरान बच्चा भाषायी ध्वनियों की प्रारंभिक अवस्था को तेज़ी से सीखना प्रारंभ करता है तथा उसे भाषायी वातावरण से पुन: सहयोग की आवश्यकता होती है। शिशुओं को पकड़ना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए, उन्हें झुलाना चाहिए तथा उन्हें गले से लगाना चाहिए। वह शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है। शिशु को यह पता चलता है कि छोटे-छोटे अंतराल के बाद लोग और वस्तुएँ उसके पास मौजूद रहती हैं। ऐसी खेल गतिविधियाँ सकारात्मक प्रेम संबंधों, प्रेरणा, अन्वेषण और प्रयोग को जन्म देती हैं।

49. स्वामीनाथन, एम. 1989

शिशुओं की देखरेख करने वालों, चाहे वे घर में हों या संस्था में, उनके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि दैनिक और प्रतिक्रियाशील, दोनों ही क्रियाकलाप शिशु के प्रतिदिन के अनुभव के लिए आवश्यक हैं। शिशु के पास दृश्य के माध्यम से प्रेरित करने वाली वस्तुएँ, पकड़ने वाली तथा उसे संचालन युक्त वस्तुएँ अवश्य होनी चाहिए। गोद में रहने वाले बच्चों को भी घुमाना और दिखाना आवश्यक है ताकि वह अन्वेषण के महत्त्व से परिचित हो सकें।

उन्हें भोजन नियमित अंतराल पर देना चाहिए तथा उनके स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी पद्धतियों और सोने की अवधि को सावधानीपूर्वक पूरा किया जाना चाहिए।

जीवन के दूसरे वर्ष में, शिशु लोगों को पहचानने में समर्थ होता है और भाषा की दिशा में कदम रखता है। बातचीत, तसवीरों वाली पुस्तकें और वस्तुएँ शिशु के परिवेश का आवश्यक हिस्सा हैं। घर से बाहर का खेल और वो भी अपने अन्य साथियों के साथ, जिज्ञासा और इच्छाशक्ति विकसित करता है।

दो वर्षीय बच्चे का रेत में खेल, गेंद के साथ खेल और भरने तथा खाली करने के खेलों के साथ उनके अनुभवों की आवश्यकता होती है।

वयस्क इस सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन तथा सहायता देते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि वातावरण सुरक्षित और संवेदनशील रूप से सहयोगी है। तीन वर्ष से नीचे वालों की देखभाल और पालन-पोषण के लिए वयस्क-बच्चे के संपर्कों को भाषायी दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। रसोई में माँ के पास बैठा हुआ बच्चा, जो बरतनों और तवे-कड़ाही से खेल रहा है, जबकि उसकी माँ भोजन पका रही है, दोनों ही एक संवेदनशील रूप से सुरक्षित वातावरण में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे होते हैं। डे-केयर तथा अन्य सांस्थानिक व्यवस्थाओं में वस्तुओं को रखने की योजना सावधानीपूर्वक बनाई जानी चाहिए। किसी परिचित वयस्क के साथ संबंधों का महत्त्व तीन वर्ष से कम वालों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत है।

5.4 3-5+ वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा

पाठ्यचर्या कक्षा में घटित होने वाली उन समस्त गतिविधियों का एक सकल योग है और उसकी विषयवस्तु बच्चे के समग्र नैसर्गिक और सामाजिक जगत से ली जाती है। शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यनीतियाँ और पद्धतियाँ मूलभूत सिद्धांतों में से ली जानी चाहिए तथा बच्चे की आयु के अनुसार उसका अनुकूलन किया जाना चाहिए।

5.4.1 सीखने के आधार के रूप में खेल

अधिकांश ई. सी. सी. ई. चिंतकों ने किसी न किसी रूप में बच्चे की सीखने की प्रक्रिया के संबंध में खेल को केंद्र में रखने का उल्लेख किया है। इसका कारण है कि खेल बच्चे के लिए प्राकृतिक, स्वत: स्फूर्त, आकर्षक, आनंददायक और लाभप्रद है। इसे खुद ही शुरू कर सकते हैं। इसके सीखने के परिणामों के कारण बच्चे खेल में शामिल नहीं होते, फिर भी यह देखा[50] गया है कि खेल विकास के प्रत्येक क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देते हैं-उदाहरण के लिए, यह जिज्ञासा और अन्वेषण को प्रेरित करता है, शारीरिक नियंत्रण, सृजनात्मकता, सामाजिक कौशल, भावात्मक संतुलन और भाषायी कौशल पर दक्षता प्रदान करता है। तथापि, सभी स्तरों पर अभिभावक प्राय: खेल को समय की बरबादी मानते हुए और इसे सीखने के विपरीत अर्थ में लेते हैं, अत: "खेल आधारित पाठ्यक्रम" के स्थान पर कभी-कभी "कार्यकलाप आधारित पाठ्यक्रम" को वरीयता दी जाती है।

इस अवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता के विकास को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का सारांश चित्र 5.1[51] में दिया गया है। साथ ही प्रत्येक गतिविधि विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करती है क्योंकि सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं और प्रत्येक गतिविधि में विकास में योगदान देने की क्षमता होती है।

ई. सी. सी. ई. की बनावट को विभिन्न वस्तुओं जैसे गेंद, रेत, झूले, आगे पीछे हिलने वाले आकर्षित करने वाले खिलौने के साथ खेले जाने वाले खेलों की निरीक्षण व्यवस्था करनी चाहिए। खेल का क्षेत्र अन्वेषण तथा शारीरिक क्षमताओं पर दक्षता हासिल करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। जंगल जिम, भ्रमण और स्थान संतुलन बच्चों में विश्वास पैदा करने में सहायक होंगे।

50. पियाजे

51. स्वामीनाथन, एम. और डेनियल, पी. 2004

तीन से पाँच साल के बच्चों के लिए दौड़ने, कूदने, संतुलन बनाने की गतिविधि आवश्यक है। स्वतंत्र खेल घर के भीतर तथा घर के बाहर दोनों ही प्रकार के होने चाहिए। घर के बाहर के खेल अनेक प्रेरक कौशलों के लिए अधिक लाभदायक होते हैं जबकि घर के भीतर स्वतंत्र खेल मुख्यत: छोटे शारीरिक कौशलों से जुड़े होते हैं जैसे, मनके चुनना, पेग बोर्ड, पहेलियाँ। यांत्रिक खिलौने भी कौशल में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। घर के भीतर के स्वतंत्र खेलों में छोटे समूहों में खेले जाने वाले खेलों जैसे पहेलियाँ, नाटक अथवा अनुकरण के खेलों को समय प्रदान किया जाता है।

खेल के अंतर्गत रेखाएँ खींचना, रंगों से खेलना और कभी-कभी वस्तुओं को मिलाना और जोड़े बनाना भी शामिल हो सकते हैं। कार्यशीटों के अंतर्गत परिचित वस्तुओं को मिलाना, कभी-कभार रेखांकित चित्र में रंग भरना आदि गतिविधियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। कभी-कभी बच्चे खेल में जोड़े बनाने, एकसमान जोड़े एकत्रित करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इन सभी गतिविधियों को स्वतंत्र चित्रकला के अवसर के साथ संतुलित किया जाना चाहिए जहाँ रंग अभिव्यक्ति का माध्यम हों।

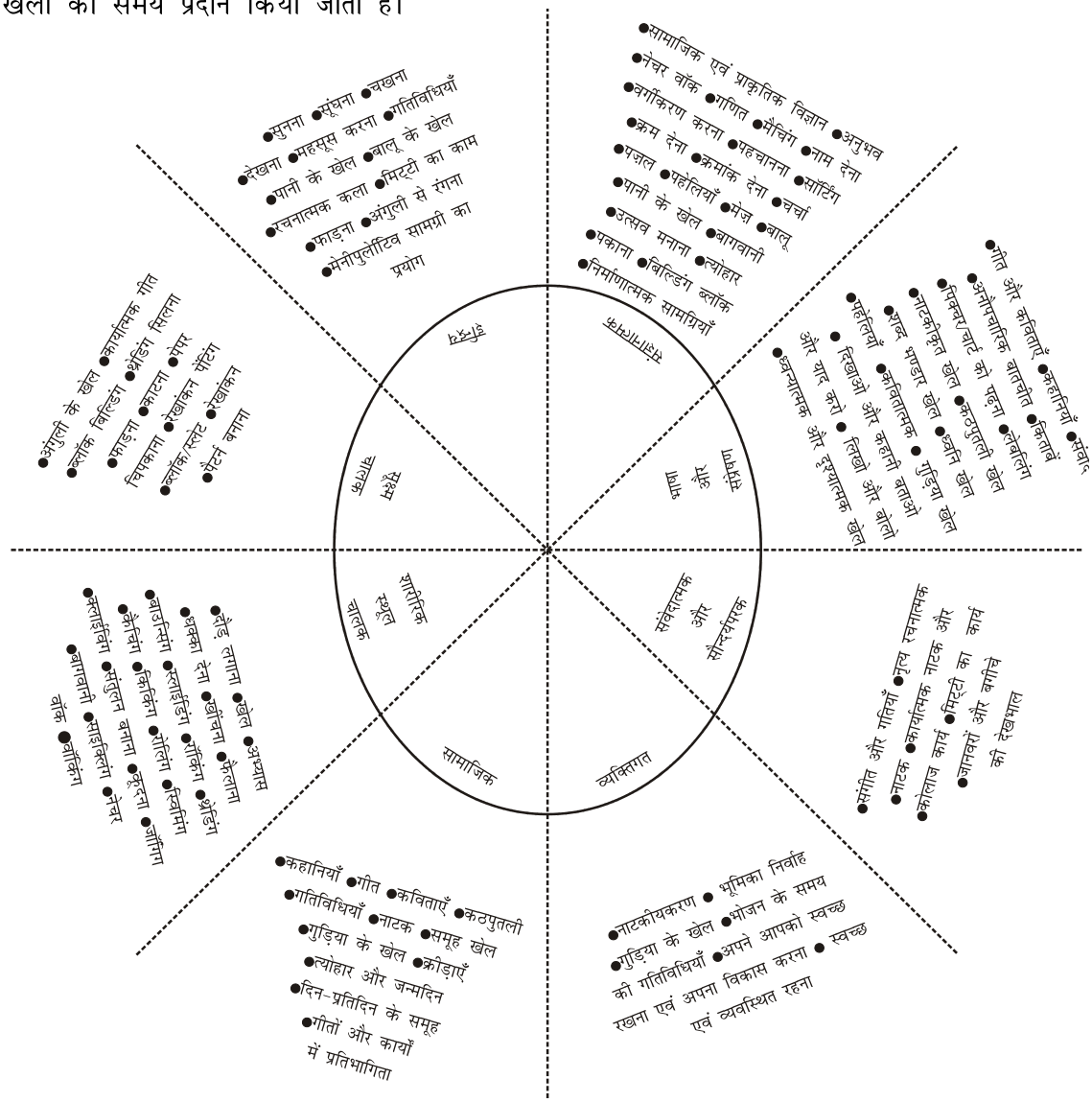

चित्र 5.1 : सुझाई गई खेल-आधारित गतिविधियाँ

स्रोत : बच्चे के विकास के लिए खेल गतिविधियाँ स्कूल-पूर्व शिक्षाओं के लिए एक गाइड, मीना स्वामीनाथन और प्रेमा डेनियल, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली 2004

5.4.2 शिक्षा के लिए आधार के रूप में कला

ई. सी. सी. ई. रुचि पैदा करने का और सीखने की प्रवृत्ति का आधार तैयार कर रहा है। ऐसे में कला को अनेक रूपों में इस्तेमाल करके अभिव्यक्ति और समझ के आनंददायक संदर्भ उत्पन्न किए जा सकते हैं। कला बच्चों की रुचि का अभिन्न अंग है और बच्चे की प्रतिक्रियाओं के प्रवाह को नैसर्गिक रूप से जागृत करने की क्षमता रखती है। समय के विभाजन में बच्चों को इस बात की छूट देनी चाहिए कि वे घूमने-फिरने के लिए अपनी इच्छा को जान सकें। संगीत और कला के माध्यम से सौंदर्य का अनुभव दैनिक जीवन का एक भाग बन सकता है। उदाहरण के लिए, दिन की शुरुआत गीतों, सामूहिक संचलनों और शारीरिक कसरत के साथ करना। हर दिन एक निश्चित समय "गीत का समय" होना चाहिए, इस समय में बच्चे गीतों और धुनों को दोहरा सकें।

बच्चे के अवलोकन और वातावरण को देखने-समझने को तेज़ बनाने में सृजनात्मक नाटक विशेष रूप से एक समर्थकारी अनुभव है। नाटक को कक्षा संसाधन के रूप में विभिन्न तरीकों से प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे, एक गुड़िया घर बनाकर जहाँ बच्चों को उनकी परिचित गुड़िया ढूँढ़कर लेनी पड़े, और चाहे वे व्यक्ति ढूँढ़ने पड़े जिनके साथ वे रहते हैं। नाटक एक ओर फैंटेसी है तो साथ ही यह स्कूल के बाहर उनके जीवन के सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करता है। बच्चों को पुरानी वस्तुएँ (जैसे सैंडिलें, पुराने चश्मे, बटुए, थैले, दुपट्टे, छड़ी और अन्य सुरक्षित वस्तुएँ) खेलने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। जहाँ वे खेलें और वयस्कों के वातावरण में जाकर उनका अभिनय या नकल करें जिससे उन्हें "अन्य" बनने की खुशी प्राप्त होगी। ऐसे अवसर बच्चे में जिज्ञासा, विश्वास और प्रफुल्लता पैदा करने वाले अनुभव बन जाते हैं।

यदि संभव हो, तो बच्चे के लिए स्थानीय कलाकार उपलब्ध होने चाहिए। कलाकारों के साथ काम करना कार्य और कला के विश्व में झाँकने का अवसर प्रदान करता है। छोटे बच्चों के अध्यापक भी बच्चों के साथ दैनिक व्यवहार करने में कला का प्रयोग करने में दक्ष होने चाहिए।

5.4.3 बच्चे की सोच के विशिष्ट लक्षणों को मान्यता देना

ई. सी. सी. ई. पाठ्यचर्या स्कूली शिक्षा के बाद के वर्षों में बच्चे की रुचि और प्रदर्शन पर प्रमुख प्रभाव डालती है। बच्चे में उसके चारों ओर के विश्व के बारे में समझने और सीखने की नैसर्गिक इच्छा और क्षमता होती है। बच्चे लोगों तथा वस्तुओं के संपर्क द्वारा अपने बारे में, दूसरों के बारे में और इस वातावरण के बारे में अवधारणाएँ विकसित करते हैं। साथ ही जटिल समस्याओं के समाधान भी खोजते हैं। वे गणित/विज्ञान को बरतन खाली करने, रेत से कप भरकर, मनके गिनकर, नाश्ते के लिए प्लेटें बाँटने के जरिए सीखते हैं। वे वस्तुओं को छाँटने में, वस्तुओं को कम होते हुए अथवा बढ़ते हुए क्रम में लगा कर आनन्द प्राप्त करते हैं। वे पौधों को बढ़ता हुआ देखकर पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के बारे में सीखते हैं। ई. सी. सी. ई. के शिक्षक को बातचीत के माध्यम से और विश्वास के वातावरण के सहारे बच्चों का ध्यान ऐसे कार्यों की ओर आकर्षित करना चाहिए जिससे बच्चे बातचीत करना, स्वयं को अभिव्यक्त करना और समझना सीख सकें। कहानियाँ सुनाना, बच्चों से उनकी पसंद और नापसंद, भावनाओं के बारे में पूछना बच्चों के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के उदाहरण हैं। ऐसी गतिविधियाँ बच्चे को बढ़ने तथा उनकी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करने में सहायता प्रदान करती हैं। ई. सी. सी. ई. के शिक्षकों को बच्चे को सीखने की नैसर्गिक क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह बच्चों के आत्मविश्वास को हासिल करने और शिक्षा के अगले चरण में रुचि पैदा करने में सहायक होता है।

5.4.4 विषयवस्तु (मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान) और संस्कृति का मिश्रण

खेल आधारित पाठ्यक्रम के बारे में प्राय: की जाने वाली शिकायतों में से एक यह है कि पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित के शिक्षण पर बल नहीं दिया जाता है। इस अवस्था में बाल मस्तिष्कों को अमूर्त बातों से लादना उचित नहीं होगा। फिर भी अधिक मात्रा में शब्दावली को सीखना, जैसे भारी-हलका, ज्यादा-कम, थोड़ा-अधिक आदि और गतिविधियों द्वारा अंतर पहचानना अंकों को जानने से पहले की अवधारणा को स्पष्ट करेगा। बार-बार

सफलता का अनुभव बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करता है जबकि बार-बार की असफलता बच्चे को हीनभावना की ओर ले जाती है। बच्चे यह धारणा खेलों, कार्यशीटों तथा अन्य इंद्रिगत संसाधनों जैसे वस्तुओं के साथ खेलना अथवा नाटक में हिस्सा लेने के माध्यम से ग्रहण करते हैं। पूर्व-साक्षरता का अर्थ है-आकृतियों एवं आकारों के साथ खेलना, शारीरिक क्रियाकलापों पर दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रेरक कौशल को सीखना। कला से संबंधित क्रियाकलाप पूर्व-साक्षरता कार्यों के मुद्दों के साथ जुड़े होते हैं।

बच्चों को अनेक क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है जो उन्हें नामों से परिचित कराने, ध्वनियों और शब्दों को पहचानने में सहायता करें। कहानियाँ, कविताएँ सुनने, क्षेत्रीय भ्रमणों पर जाना, चार्टों को देखना, ये सभी सीखने और लिखने में रुचि पैदा करने के आधार हैं।

5.4.5 औपचारिक तथा अनौपचारिक क्रियाओं का मिश्रण

बैठने वाले और क्रियाकलापों से भरे परिपूर्ण खेल छोटे बच्चों में व्याप्त अधीरता और सक्रिय मनोवृत्ति के सही दिशा में प्रवाह करने में सहायक होते हैं। बच्चों में सुरक्षा की भावना होनी चाहिए तथा वे पहचान खोने के भय के बिना स्वयं को अभिव्यक्त करने में समर्थ होने चाहिए। बच्चे द्वारा घनिष्ठता का अनुभव करने पर ही सुरक्षा संभव है। "शैक्षणिक स्थानों को व्यक्तिगत बना लेना" (अथवा बच्चों को कक्षा में घर जैसा वातावरण महसूस करना) छोटे बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक विशेष समय निर्धारित किया जा सकता है जिसमें बच्चों को उनकी प्राथमिकताओं और पसंदों अथवा विशेष अर्थ वाली घटनाओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यदि बच्चे छोटे-छोटे समूहों में कार्य करें और एक बड़ी सामूहिक गतिविधि में शामिल होने के लिए एकत्र हों तो कक्षा का एक विशेष अर्थ होता है। कक्षा को इस प्रकार व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जहाँ छोटे समूह क्षेत्र तथा साथ ही समूचे समूह के लिए "बड़े सर्किल टाइम" की व्यवस्था हो सके। बच्चे आपस में मिलकर विचार-विमर्श कर सकें। कोई बच्चा अकेले ही कुछ काम करने की इच्छा रखता हो तो उसके ऐसा करने के लिए स्थान और स्वतंत्रता होनी चाहिए।

5.4.6 दैनिक सामंजस्य में घनिष्ठता और चुनौती

बच्चों को गानों, कहानियों और गतिविधियों के दोहराव की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान दोहराव सीखने का एक अनिवार्य तरीका है। अत: दैनिक समय सारणी में प्रतिदिन किन्हीं निश्चित गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए (देखें चित्र 5.2)। यह बालक को

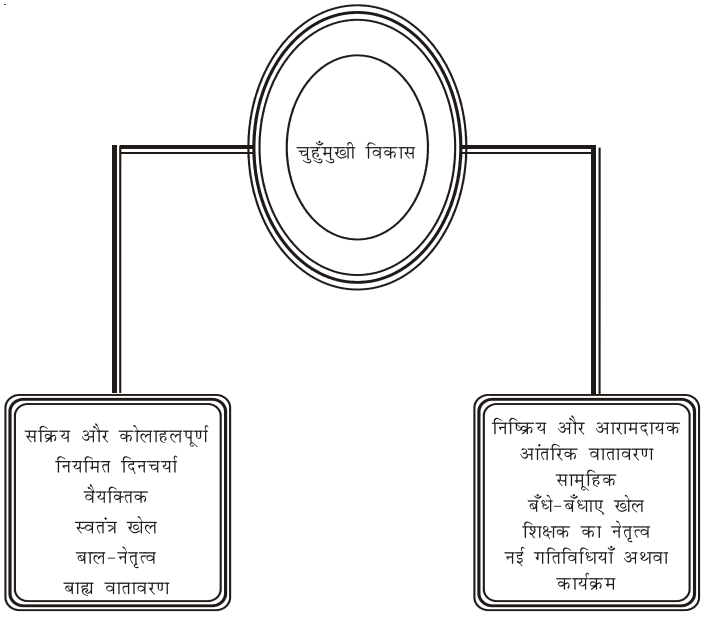

चित्र 5.2 : संतुलित समय-सारणी

सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। परंतु दिनचर्या कठोर नहीं होनी चाहिए। वे लचीली होनी चाहिए, बच्चों के सुझावों के अनुसार खुली होनी चाहिए, उनमें अप्रत्याशित घटनाएँ जैसे किसी अतिथि का आगमन अथवा किसी उत्सव का मनाया जाना भी शामिल होना चाहिए। वे बच्चे के ध्यान की बदलती हुई अवधि तथा मन की स्थिति के परिवर्तनों के अनुसार होनी चाहिए। चुनौती का सामना करने के लिए विविधता भी ज़रूरी है।

5.4.7 विशेषज्ञता के स्थान पर अनुभव को प्राथमिकता

बच्चों के लिए ई. सी. सी. ई. की कक्षाएँ जीवंत और व्यवस्थित होनी चाहिए ताकि बच्चे बौद्धिक रूप से जागरूक रहें। हम जो भी योगदान देते हैं उसमें हमेशा यह डर बना रहता है कि बच्चे काम को पूरा कर सकेंगे या नहीं, यह सच है कि हम बच्चों को कढ़ाई करने के लिए नहीं कह सकते हैं लेकिन बच्चे कढ़ाई में मौजूद विविध बुनावटों को देखकर कुछ-न-कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। बच्चों को कई भिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे गाने, संगीत, विभिन्न लोगों की पोशाक के बारे में जानकारी की विभिन्नता की जानकारी, खान-पान की आदतें, उत्सव मनाना आदि के अनुभव की आवश्यकता होती है। बहुसंस्कृति वाले संदर्भ में सामाजिक विभिन्नता की जानकारी धैर्य और शांति की प्रवृत्ति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बहुभाषीय कक्षा इस संबंध में एक बेहतरीन स्रोत है और इसका प्रयोग अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए।

5.4.8 स्थानीय सामग्री, कला और ज्ञान का प्रयोग

किसी ई. सी. सी. ई. शिक्षक के लिए जमीन से पत्तियाँ, कंकड़ और फूलों की पंखुड़ियाँ उठाना और उनका उपयोग, उनके रंग, आकृति और आकार के अनुसार करवाना सर्वाधिक आसान काम है। रंगोली, कोलम, अल्पना विभिन्न राज्यों में प्रचलित जमीन पर बनने वाली कलाएँ हैं और इन सामग्री का सृजनात्मक रूप से प्रयोग करने में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। स्थानीय भाषाओं में सामान्य वस्तुओं के लिए विभिन्न नाम होते हैं। विभिन्न भाषाओं के स्वर-स्तरों के बारे में जानने के माध्यम से ऐसी जानकारी सहनशीलता की भावना का विकास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों तथा महानगरीय दोनों संदर्भों में, बच्चे स्थानीय कलाओं, कहानियों, लोक कथाओं, गीतों और भाषायी विभिन्नता में जानकारी प्राप्त करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनकी सहभागिता ई. सी. सी. ई. की बनावट को समुदाय का विस्तार बनाती है। इस प्रकार के अनुभव लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में बच्चों की सामाजिक क्षमता और जागरूकता में वृद्धि करते हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों के पूर्व-स्कूलों के बच्चों को रंगों और लोकप्रिय गीतों जैसे समसामयिक सामग्रियों के प्रयोग के अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

5.4.9 विकासात्मक दृष्टि से उपयुक्त व्यवहार

उपयुक्त व्यवहार के लिए आवश्यक है कि वे शारीरिक, सामाजिक, संवदेनशील, समझपूर्ण विकास के सभी क्षेत्रों को समाहित करें। व्यवहार भाषायी दृष्टि से परिपूर्ण हो, आयु से जुड़ा और व्यक्ति विशेष के लिए उपयुक्त हो साथ ही संदर्भ के अनुसार अर्थपूर्ण भी हो। अतः सीखने संबंधी गतिविधियाँ बच्चों के जीवन के अनुसार ठोस, यथार्थवादी और प्रासंगिक होनी चाहिए। सीखना एक पारस्परिक प्रक्रिया है। संगठन बहुसांस्कृतिक, जेंडर, जाति/नस्ल के संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने चाहिए। लचीला दृष्टिकोण एक बहुलतावादी और संदर्भ विशिष्ट पाठ्यचर्या मॉडलों का मार्ग प्रशस्त करता है जिसमें हमारे देश की व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय, आर्थिक और भाषायी विविधता प्रकट होती है। सबसे ऊपर, पाठ्यचर्या को शिक्षक द्वारा व्यवहार में लाना होता है और उसकी भूमिका तथा मार्गदर्शन के महत्त्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है[52]।

5.4.10 स्वास्थ्य, कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी आदतें

ई. सी. सी. ई. की स्थापनाएँ बच्चे को दाँत-नाखून साफ़ करना, कानों के पीछे की सफाई और अन्य प्रकार के जीवन कौशल सीखने की ओर प्रेरित करती हैं। ये खराब स्वास्थ्य के संकेतकों तथा कतिपय व्यवहारों से बचने के बारे में जानकारी भी देती हैं। तीन से आठ वर्ष के बच्चे आदतें विकसित करने की प्रक्रिया में होते हैं। उचित आदतें सीखना बच्चे में स्व-देखरेख, स्वच्छ रहन-सहन

52. वायगोत्सकी

की रुचि को पैदा करती हैं तथा उनमें स्व-निगरानी की क्षमताओं का विकास करती हैं।

दोपहर का भोजन बच्चे को न सिर्फ पोषण प्राप्त करने का अवसर देता है बल्कि इससे भी ज़रूरी साथ बैठने, भोजन बाँटकर खाने तथा एक सुखद वातावरण में भोजन करने का मौका भी उपलब्ध कराता है। चाहे भोजन "मिड-डे-मील" योजना के तहत दिया गया हो, साझे तौर पर बनाया गया हो या फिर बच्चे घर से खाना लाते हों, यह सामाजिक तौर-तरीकों को समझने और समझ विकसित करने तथा भाषा सीखने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। एक ओर पौधों, सब्जियों, मसालों, स्वादों आदि के नाम चर्चा का विषय हो सकते हैं। दूसरी ओर पसंद में अंतर जैसे विषयों पर भी बच्चों से विचार-विमर्श किया जा सकता है। देखभाल और आपस में बाँटने की सामाजिक सीख और सामाजिक बाधाओं से पार पाना एक साथ बैठने के जरिए आता है जो काफी महत्वपूर्ण है।

5.5 3-5+ वर्ष के बच्चों से संबंधित अन्य मुद्दे

5.5.1 अभिभावक और समुदाय

अभिभावकों को ई. सी. सी. ई. के कार्यक्रम की दिनचर्या से परिचित होना चाहिए। बच्चे की प्रगति तथा दैनिक सामंजस्य के बारे में अभिभावक-शिक्षक बैठकों अथवा घर-घर जाने के माध्यम से जाना जा सकता है। अभिभावकों के लिए विशेष समय निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों की कक्षा की दिनचर्या के बारे में जान सकें। ई. सी. सी. ई. केंद्रों को बच्चों की रुचियों और पसंदों के बारे में उनके अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा समुदाय एवं समुदाय के नेताओं से घनिष्ठता बनानी चाहिए। यह केंद्र के लिए सामुदायिक समर्थन और बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

5.5.2 वयस्क और बच्चे के बीच व्यवहार

- व्यवहार सचेत, प्रतिक्रियाशील और आदेश के स्थान पर मार्गदर्शन रूप में हो।
- बच्चों के विचारों को सामने रखने के लिए बातचीत तथा प्रोत्साहन के माध्यम से उन्हें अभिव्यक्ति की अनुमति देता हो।
- कार्यों को सलतापूर्वक पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करना। बच्चों के आपसी व्यवहार और संप्रेषण के तरीकों द्वारा उनमें आत्म-सम्मान का निर्माण करने वाला हो।
- बच्चे को स्वीकारना, सम्मान करना और उन्हें आराम पहुँचाना स्व-अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है।

5.5.3 मूल्यांकन

निरंतर और संगतपूर्ण निगरानी के द्वारा बच्चों की प्रगति पर सावधानीपूर्वक नजर रखे जाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए कोई संख्यात्मक मूल्यांकन अथवा स्तरीकृत परीक्षा की सिफारिश नहीं की गई है। वस्तुतः इसकी मनाही है। प्रारंभिक वर्षों में सीखने की उच्चतर कक्षाओं में जाने के लिए बच्चों की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए अथवा मौखिक साक्षात्कार नहीं लिया जाना चाहिए।

शिक्षक कक्षा की दिनचर्या में बच्चे की सहभागिता के बारे में, दूसरे बच्चों तथा वयस्कों के साथ व्यवहार में उनकी योग्यता के बारे में अपना रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं। विकास के प्रमुख क्षेत्रों में बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए व्यवहार और कौशल के परीक्षण की एक जाँच-सूची/चेकलिस्ट तैयार की जाए।

5.5.4 कक्षा में भाषा

ई. सी. सी. ई. की बनावट में संपर्क और संप्रेषण की भाषा मातृभाषा सामान्यतया बच्चे की "प्रथम" भाषा होगी। यह स्वाभाविक है क्योंकि छोटे बच्चे अपनी परिचित भाषा में ही अवधारणाओं को ग्रहण करने और स्वयं को व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। अधिकांश मामलों में, कक्षा एक से आगे तक शिक्षण का माध्यम यह क्षेत्रीय भाषा अथवा स्कूली भाषा हो सकती है। यदि समूह में ऐसे बच्चे हैं जो विभिन्न भाषायी पृष्ठभूमि से आए हैं, अथवा जो एक भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा से परिचित हैं, या जो एक भाषा बोल सकते हैं परंतु दूसरी भाषा केवल समझ सकते हैं, तो ये वर्ष बच्चों को एक से अधिक भाषाएँ समझने (अथवा प्रयोग करने) में सहायता प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। साथ ही धीरे-धीरे वे अपने आपको उस भाषा में भी ढाल लेते हैं जो बाद में उनके शिक्षण का माध्यम होगी। ऐसा बच्चों

को समृद्ध भाषायी वातावरण प्रदान करके, बच्चों को अपनी भाषा में बात करने के लिए प्रोत्साहित करके एक दूसरे की भाषा सीख कर किया जा सकता है। वे छोटे समूहों में आपस में खेलकर एक दूसरे की भाषा के शब्द आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। यह अन्य भाषाओं के प्रति सम्मान तथा सहनशीलता का विकास करता है।

यदि शिक्षक एक से अधिक भाषाएँ जानता है, तो यह सहायक होगा। यदि नहीं, तो उसे कम से कम बच्चों से उनकी घर की अलग भाषा में कुछ शब्द सीखने का सार्थक प्रयास करना चहिए, जो बच्चों को विशेष रूप से पहले कुछ माह में सहजता और संवेदनशील सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा। चूँकि इस अवसर पर भाषा मुख्यत: मौखिक होती है, भाषा से जुड़ी गतिविधियाँ सुनने और बोलने के रूप में प्रकट होती है, तथा इसके पश्चात् लिखने और पढ़ने से पहले की गतिविधियाँ आती हैं। अत: ऐसा करना कठिन नहीं होना चाहिए। जैसे-जैसे साल गुजरते हैं, शिक्षक को क्षेत्रीय/स्कूल की भाषा में प्रवाह के साथ बोलने के प्रयास करने चाहिए तथा बच्चों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे कक्षा-एक में प्रवेश के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। विभिन्न भाषायी वर्ग से संबंधित होना तथा अनेक भाषाएँ जानना, गर्व और हर्ष का विषय होना चाहिए न कि अलग-थलग पड़ने अथवा हीनताबोध का।

यदि अँग्रेज़ी के लिए सामाजिक माँग है और यदि शिक्षक मौखिक अँग्रेज़ी में पूरी तरह तैयार है और विश्वस्त है, तो इसे इस अवस्था पर दूसरी भाषा के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। तथापि, बहुत कुछ शिक्षक की मौखिक अँग्रेज़ी के ज्ञान तथा उनके प्रशिक्षण और जुड़ाव पर निर्भर करता है लेकिन जो इसके लिए तैयार नहीं हैं, इसे उन पर जबर्दस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। बच्चों को किसी ऐसी चीज के बारे में रटवाना, जिसके बारे में न तो उन्हें और न ही शिक्षकों को पता है। यह ई. सी. सी. ई. की संपूर्ण भावना के विरुद्ध है।

5.5.5 समेकित शिक्षा

एक समेकित कक्षा यह सुनिश्चित कराती है कि सभी बच्चों को गतिविधियों में सहभागिता, समूह से सह संबंध और व्यक्तिगत ध्यान मिलने के लिए एसे निर्बाध और सहयोगी अवसर प्राप्त हों जो उनमें विकासात्मक कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। बाल अधिकार के दृष्टिकोण से, राज्य को यह देखना चाहिए कि विकलांगता की वजह से किसी बच्चे को अस्वीकार तो नहीं किया जा रहा है। विकलांग बच्चों को स्कूल अथवा समुदाय के कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर दिया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने 1995 में विकलांग व्यक्ति अधिनियम पारित किया है। परंतु, अभी इस संबंध में समझ स्पष्ट नहीं है कि भारतीय संदर्भ में किस प्रकार की शिक्षा कार्य करेगी-विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षा, सामान्य स्कूलों में संसाधन केंद्रों के साथ सामान्य शिक्षा अथवा पूर्णत: समन्वित शिक्षा जिसमें विशेष कक्षाएँ कभी-कभी आयोजित हों। कुछ शिक्षाविद् महसूस करते हैं कि विषम और गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को कम से कम पूर्व प्राथमिक स्तर तक विशेष शिक्षा की आवश्यकता होगी।

भारत में ई. सी. सी. ई. की वास्तविकता पर विचार करते हुए प्रथम चरण के रूप में निम्नलिखित कदम प्रारंभ किए जाने चाहिए -

- मौजूदा ई. सी. सी. ई. कार्यक्रमों की पहुँच विशेष आवश्यकता प्राप्त बच्चों तक होनी चाहिए।
- ई. सी. सी. ई. शिक्षकों के पास ऐसा कौशल होना चाहिए कि वे विशेष आवश्यकता प्राप्त बच्चों को पहचान सकें।
- संदर्भ सेवाएँ आसानी से उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और
- ई. सी. सी. ई. केंद्रों के जरिए अभिभावक समर्थन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

5.6 प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेडों में 6-8+ वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यचर्या

इस अवस्था में बच्चों को स्कूल की औपचारिक दिनचर्या से धीरे-धीरे परिचित होने तथा साक्षरता के मूलभूत सिद्धांतों को सीखने (पढ़ने-लिखने), संख्या ज्ञान (गणित की संकल्पनाओं को समझना और उनका प्रयोग तथा

सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण की व्यवस्थित जानकारी के बारे में सीखने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है)। यही कारण है कि यह सुझाव दिया गया है कि पहले ही रेखांकित किए जा चुके बुनियादी सिद्धांतों को प्राथमिक स्कूल के पहले दो वर्षों की पाठ्यचर्या के निर्माण के समय लागू करना होगा। इससे शिक्षा के विभिन्न चरणों में परिवर्तन को सहायता मिलेगी तथा इसे पाठ्यचर्या निर्माताओं और शिक्षकों द्वारा प्राथमिक स्तर पर किया जाना है। निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं :

शिक्षकों के लिए लक्ष्य

- विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का विकास करें।
- बच्चों को "कैसे सीखें" के बारे में सिखाएँ।
- सीखने के वैयक्तिक पैटर्न और समय का सम्मान करें।
- वैयक्तिक अंतरों और सीखने की शैलियों को समझें।

कक्षा में परस्पर व्यवहार के लिए रणनीतियाँ (युक्तियाँ)

- मज़बूत अनुभव प्रदान करें।
- आपसी व्यवहार से सिखाएँ।
- सहयोगी शिक्षण को प्रोत्साहन दें।
- एकीकृत शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना पद्धति का प्रयोग करें।
- बच्चों की सक्रिय सहभागिता के लिए कार्य करें।
- भाषा पढ़ाने के लिए नाटकों का प्रयोग करें।

शिक्षक और बच्चों के बीच संबंध

- बच्चों को उनकी भावनाएँ अभिव्यक्त करने का मौका दें।
- उनके संकट और जीत को साझा करें?
- उत्तरदायी वयस्कों की बच्चों तक पहुँच।

अंततः श्रेष्ठ पाठ्यचर्या केवल प्रशिक्षण और संवेदनशील शिक्षकों द्वारा ही व्यवहार में लाई जा सकती है। जन्म से लेकर आठ वर्षों तक ई. सी. सी. ई. की सफलता गाथा बनाने के लिए, नए प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता है, जो व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हों, तथा बाल विकास के परिप्रेक्ष्य के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हों। इस अवस्था के लिए शिक्षकों की पेशेवर तैयारी, प्रशिक्षण की एक सूझबूझ पूर्ण योजना की माँग करती है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की विकासात्मक माँगों के प्रति प्रासंगिक हो। परंतु यह प्रशिक्षण व्यवस्था आजतक अनियंत्रित है और इसकी अनदेखी की जा रही है।

संदर्भ

आंनदलक्ष्मी, एस. 1985, *कॉगनीटिव कम्पीटेंस इन इनफेंसी,* आई.सी.एस.एस.आर. रिसर्च एब्सट्रैक्ट्स कवार्टर्ली, वोल्यूम XIV, सं. 1और 2, जनवरी-जून, 1985

भट्टाचार्य, ए. के. 1981, न्यूट्रीशनल डीप्राइवेशन एंड रिलेटिड इमोशनल आस्पेक्ट्स इन कोलकाता चिल्ड्रन, *चाइल्ड एब्यूज़ एंड नेगलैक्ट,* 5(4), पृ. 467-476

क्रिस्टीना, जे.आर.जे. 1999, द *फर्स्ट टीचर : चाइल्ड केयर वर्कर्स इन दि वॉलेंटरी सैक्टर इन तमिलनाडु,* रिसर्च रिपोर्ट, सं. 3, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई।

डी'सूजा, ए. 1979, डे केयर फॉर अंडरप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन : ए स्टडी ऑफ क्रेचेज इन दिल्ली, ए. डी'सूजा *(संपादित) चिल्ड्रन इन इंडिया : क्रिटिकल इश्यूज इन ह्यूमन डेवलपमेंट*, नई दिल्ली: मनोहर प्रकाशन, नई दिल्ली।

दत्ता, वी. 1994, *डेवलपमेंटल डिफरेंसिस एमंग प्री-स्कूल चिल्ड्रन इन ग्रुप केयर एंड इन होम केयर,* प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (टी.आई.एस.एस.), मुंबई।

दत्ता, वी. 2001ए, *ए स्टडी ऑफ अर्बन अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स - ए प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाई यूनीसेफ*, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़, मुंबई।

दत्ता, वी. 2001बी, *जॉब परफोर्मेंस ऑफ आँगनबाड़ी वर्कर्स इन थ्री डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र–ए प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाई यूनीसेफ,* टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़, मुंबई।

दत्ता, वी. 2002, *चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कर्स इन महाराष्ट्र : ए स्टडी ऑफ थ्री डिस्ट्रिक्ट्स*, स्पॉन्सर्ड बाई बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़, मुंबई।

दत्ता, वी. 2005, रीचिंग दि अनरीच्ड : अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंटरवेंशन इन इंडिया, जे. पटनायक (सं.), *चिल्ड्रन इन साउथ एशिया : ए क्रिटीकल लुक एट इश्यूज़, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स*, ग्रीनविच, सी.टी. इंफोर्मेशन एज पब्लिशिंग।

डिपार्टमेंट ऑफ ई. ई. एंड एल., एम.एच.आर.डी., 2001, वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ऑन एलीमेंटरी एंड एडल्ट एजुकेशन, टेंथ फाइव-ईयर प्लान, 2002-2007

डिपार्टमेंट ऑफ ई.ई. एंड एल., एम.एच.आर.डी., 2004, रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन।

डोहर्ती, जी., 1997, *ज़ीरो टू सिक्स : द बेसिस फॉर स्कूल रेडीनेस,* एप्लाइड रिसर्च ब्रांच आर-97-8 ई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट : ओटावा, कनाडा।

एल्किंड, डी. 1987, साइटिड इन वी. कौल, 1997, प्रेशर्स ऑन दि प्री-स्कूल चाइल्ड : इश्यूज़ एंड स्ट्रेटजीज़, एंड रोल ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एडवोकेसी इन ई.सी.ई., ए सेमीनार रिपोर्ट, एन. सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली।

इवांस, जे. एल. 1996, क्वालिटी इन प्रोग्रामिंग : एवरीवंस कंसर्न, कार्डिनेटर्स नोटबुक सं. 18, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट।

घई, ओ. पी. 1975, इफैक्ट ऑफ मेरास्मिक मलन्यूट्रीशन ऑन सब्सेक्वेंट मेंटल डेवलपमेंट, *जर्नल ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स*, 12

गोपाल, ए.के. एंड खान, एन. 1998, क्रेचेज सर्विस इन इंडिया, एन. आई. पी. पी. सी. डी., नई दिल्ली।

भारत सरकार, 1985, द चाइल्ड इन इंडिया : ए स्टेटिस्टिकल प्रोफाइल, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन।

भारत सरकार, 1992, प्रोग्राम ऑफ एक्शन।

गुलाटी, ए.के. 1993, इम्पेक्ट ऑफ़ अर्ली स्कूलिंग ऑन द हेल्थ ऑफ़ चिल्ड्रन, बर्डन्ड प्री-स्कूलर: इश्यूज एंड अल्टरनेटिव्स नामक सेमिनार में प्रस्तुत पेपर, राजकीय गृह विज्ञान कॉलेज, चंडीगढ़।

झींगरन, डी. 2005, *लैंग्वेज डिस्एडवांटेज : द लर्निंग चैलेंज इन प्राइमरी एजुकेशन*, ए.पी.एच., नई दिल्ली।

कैरोली, एल.; ग्रीनवुड, पी.; इवरिंघम, एस.; हूबे, जे.; किलबर्न, आर.; रिडेल, पी.; सैंडर्स, एम. और चीसा, जे. 1998, *इनवेस्टिंग इन अवर चिल्ड्रेन : व्हाट वी नो एंड डोंट नो एबाउट कोस्ट्स एंड बेनीफिट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन*, सेंटा मोनिका, कैलीफोर्निया, रेंड।

कात्ज, एल. 1987, *इन कौल, विनीता* 1997 *प्रेशर्स ऑन द प्री-स्कूल चाइल्ड : इश्यूज एंड स्ट्रेटजिस एंड रोल ऑफ़ प्रोफेशनल ऑरगेनाइजेशन्स फॉर एडवोकेसी इन ई. सी. ई. सेमीनार रिपोर्ट*, एन. सी. ई. आर. टी, नई दिल्ली।

कौल, वी.; रामचंद्रन सी. एंड उपाध्याय, जी. सी. 1994, *इम्पेक्ट ऑफ़ ई. सी. ई. ऑन रीटेंशन इन प्राइमरी ग्रेड्स: ए लांगिट्यूडाइनल स्ट्डी*, एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली।

कौल, विनिता 1997, द ट्रेनिंग ऑफ़ टीचर्स, द *फर्स्ट फाइव ईयर्स (संपादित) मीना स्वामीनाथन* में, 1998, सेग पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृ. 195-210

लेविंगर, बी, डेलरोसो एंड मारेक, 1994, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन द कांटेक्स्ट ऑफ़ एजुकेशन फॉर ऑल, *न्यू कान्सेप्ट इनफोर्मेशन सिस्टम*, 2003

लव, जे. पी. स्कॉबर्ट, पी. एंड मैकस्ट्रोथ, ए. 2002, इंवेस्टिंग इन इफेक्टिव चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन: लेसंस फ्रॉम रिसर्च, एम. यंग (संपादित) *फ्राम अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट टू ह्यूमन डेवलपमेंट : इनवेस्टिंग इन ऑवर चिल्ड्रंस फ्यूचर* में वाशिंगटन डी.सी., विश्व बैंक, पृष्ठ संख्या 145-193

एम. एस. एस. आर. एफ. एंड एन. आई. पी. पी. सी. डी., 1996, लर्निंग फ्रॉम इन्नोवेशन- रिपोर्ट ऑफ़ ए कंसल्टेशन ऑन इन्नोवेटिव एप्रोचेज़ टू. ई. सी. सी. ई., चेन्नई।

एम.एस.एस.आर.एफ. 2000, क्वालिटी मैटर्स! अंडरस्टैंडिंग दि रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड लर्निंग कंपीटेंसीज़ ऑफ चिल्ड्रन : एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी इन तमिलनाडु, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई।

(ए) नतेसन, एच.एंड देवदास, आर.पी. 1981, मेजरमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ वैल-न्यूरिश्ड एंड मलन्यूरिश्ड चिल्ड्रन, जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्चेज़, (25)3

पियाजे, जे. 1952, दि ऑरिजिंस ऑफ इंटेलीजेंस इन चिल्ड्रेन (अनुवाद एम. कुक), इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ प्रेस, न्यूयार्क, सर्वप्रथम प्रकाशित, 1934

राममूर्ति, ए. 1990, टूवार्डस इनलाइटेंड एंड ह्यूमैन सोसायटी: रिपोर्ट आफ दि कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ़ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, एम.एच.आर.डी.(मिमियोग्राफ़)।

सेठ, के. 1996, मिनीमम स्पेसीफिकेशंस फॉर प्री-स्कूल्स, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।

सेठ, आर.एम. 1982, फीमेल लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर : ए केस स्टडी ऑफ पंजाब, चंडीगढ़, अमृतसर, टी.एस. सरस्वती और बी. कौर (सं.), 1993, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ इन इंडिया, सेग पब्लिकेशंस इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली।

शाह, पी. एम. वलिम्बे, एस. आर. और धोले, वी. एस. 1979, वेज-अर्निंग मदर्स, मदर-सबस्टीट्यूट एंड केयर ऑफ़ द यंग चिल्ड्रन इन रूरल महाराष्ट्र, *इंडियन पीडियेट्रिक्स*, 1971, 16(2), 167-178

शनमुगवलयुथम, के. एंड निर्मला, एम.एफ. 2003 : ए स्टडी ऑफ़ दि वर्क कंडीशंस ऑफ़ आंगनबाड़ी वर्कर्स इन तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु, फोरसेज।

श्रीराम, आर. एंड गणपति, एम. 1997, चाइल्ड केयर ऑप्शंस इन एग्रीकल्चरल कान्टेक्स्ट : द अनरिजोल्वड डीलिमाज़, *इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली,* xxxii, डब्ल्यू. एस. 64-डब्ल्यू. एस. 72

सुप्रीम कोर्ट, 1993, उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्रप्रदेश सरकार मामले में निर्णय।

स्वामीनाथन, मीना, 1989, द फ़र्स्ट थ्री ईयर्स : ए सोर्स बुक ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन : यूनेस्को, बैंकाक, पेरिस।

स्वामीनाथन, मीना एंड डेनियल, प्रेमा, 2000, *एक्टीविटी बेस्ड डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट करीकुलम फॉर यंग-चिल्ड्रन*, इंडियन एसोसिएशन फॉर प्री-स्कूल एजुकेशन, चेन्नई-कोयम्बटूर, नैवेली।

स्वामीनाथन, मीना, 2003, इम्पावरमेंट ऑफ़ वूमेन थ्रू सर्टीफिकेशन ऑफ़ ई. सी. डी. ट्रेनिंग इन तमिलनाडु, ए तमिलनाडु फोर्सेज डाक्यूमेंट, चेन्नई (अप्रकाशित)।

स्वामीनाथन, मीना एंड डेनियल, प्रेमा, 2004, *प्ले एक्टीविटीज फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट : ए गाइड टू प्री-स्कूल टीचर्स,* नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।

यूनेस्को, पेरिस, 2003, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन ई-9 कंट्रीज़ः स्टेट्स एंड आउटलुक, प्रीपेयर्ड फॉर दि फिफ्थ ई-9, मिनिस्ट्रियल मीटिंग।

उपाध्याय, जी.सी. तथा सहयोगी, आइडेंटीफाइंग न्यूमरेसी एंड रीडिंग रेडीनैस लेवल्स ऑफ इंट्रेंट्स टू क्लास I: ए सिंथेसिस रिपोर्ट, एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली।

उपाध्याय, जी. सी. तथा सहयोगी, 2000, पाठ्यक्रम बोझ : पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर एक मार्गदर्शी अध्ययन, प्राथमिक शिक्षक, एन. सी. ई. आर. टी., नंबर 3(26), नई दिल्ली।

वायोगोत्स्की, एल. एस. 1985, प्ले एंड इट्स रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ़ दि चाइल्डः जे. बर्नर, ए. जोली और के. सयल्वा द्वारा संपादित - *प्लेः इट्स रोल इन डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन* में, न्यूयार्क, बेसिक बुक्स, पृ. 59 7-608